

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Email: complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ. ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ", ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110 008
H.O. Accounts & Audit Department
"Shares Cell", Bank House, 1st Floor,
21, Rajendra Place, New Delhi - 110008

ਸੰਦਰਭ:.....

ਦਿਨਾਂਕ /Dated:.....

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2018-19

June 07, 2018

To,

Bombay Stock Exchange Limited,
Department of Corporate Services,
25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001.
SCRIP ID : PSB
SCRIP CODE : 533295

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051.
SYMBOL: PSB SERIES: EQ

Dear Sir,

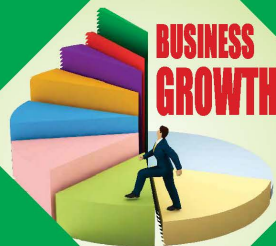
Reg: Annual Report 2017-18

We have informed stock exchanges on 22.05.2018 that the Eighth Annual General Meeting of Shareholders of the Bank will be held on Friday, June 29th, 2018 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085.

We are forwarding Annual Report 2017-18 including Notice for Eighth Annual General Meeting scheduled to be held on 29.06.2018.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary



Service is
the way of life



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18



पी.एस.बी

MSME
Loan



Housing Loan



Car Loan



Education
Loan



१९ श्री वागिदास जी की इज्जत

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



कार्यकारी निदेशक
श्री फरीद अहमद
Executive Director
Sh. Fareed Ahmed



कार्यकारी निदेशक
श्री गोविंद एन डोंग्रे
Executive Director
Sh. Govind N Dongre



श्री एस. सेल्वा कुमार
Sh. S. Selva Kumar



श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena



श्री अतनु सेन
Sh. Atanu Sen



श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta



श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh



श्री एस.आर. घेडीया
Sh. S.R. Ghedia



श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

विषय—सूची / Contents

पृष्ठ संख्या / Page No.

1.	उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2.	निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3.	नोटिस / Notice	4-13
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	14-37
5.	कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	38-87
6.	व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report	88-111
7.	बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	112-191
8.	वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	192-195
	तुलन-पत्र / Balance Sheet	196-197
	लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	196-199
	अनुसूचियाँ / Schedules	200-267
	नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	268-271
9.	प्रॉक्सी प्रारूप / Proxy Form	272-273
10.	उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	274-275



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2018 को / As on 31.03.2018

1. जमा Deposits	10172617
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6973878
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2868489
4. सकल निवेश Gross Investments	3315003
5. परिचालन लाभ Operating Profit	114471
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-) 74380
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-) 0.69%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	6.93 %
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.27%
10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.25%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

कार्यकारी निदेशक

श्री फरीद अहमद

Executive Director

Sh. Fareed Ahmed

कार्यकारी निदेशक

श्री गोविंद एन डोंग्रे

Executive Director

Sh. Govind N Dongre

निदेशक / Directors

श्री एस. सेल्वा कुमार, आई.ए.एस.

Sh. S. Selva Kumar, IAS

श्री प्रदीप्त के. जैना

Sh. Pradipta K. Jena

श्री अतनु सेन

Sh. Atanu Sen

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता

Sh. T.R. Mendiratta

श्री हर्ष बीर सिंह

Sh. Harsh Bir Singh

सीए, एस.आर. घेडीया

CA, S.R. Ghedia

श्री मधु सूदन दादू

Sh. Madhu Sudan Dadu

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री संजय जैन

Sh. Sanjay Jain

महाप्रबंधक / General Managers

श्री एस.सी. क्वात्रा

Sh. S.C. Kwatra

श्रीमती हरविन्द्र सचदेव

Smt. Harvinder Sachdev

श्री जी.एस. नारंग(प्रतिनियुक्ति पर)

Sh. G.S. Narang (On Deputation)

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स धवन एण्ड कं.

M/S Dhawan & Co.

मैसर्स दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

M/S Davinder Pal Singh & Co.

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.

M/s S. Maan & Co.

मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कं.

M/s Baldev Kumar & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पी.एस.बी

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21 – राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

www.psbindia.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की आठवीं सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में शुक्रवार, 29 जून, 2018 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी जिसमें निम्न कारोबार किए जाएंगे:

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों अर्थात् 31 मार्च, 2018 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खातों पर, बैंक की लेखों में सम्मिलित अवधि में गतिविधियों एवं कार्य शैली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखाकारों की रिपोर्टों पर विचार करने, अनुमोदन करने तथा अंगीकार करने हेतु।

यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में ई-मतदान/मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों को सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि 22.06.2018 निर्धारित की है। एतद् द्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 23.06.2018 से 29.06.2018 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक के सम्बंध में बन्द रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2018

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com**NOTICE**

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Friday, the 29th June, 2018 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2018, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Notice is also given that the Bank has fixed 22.06.2018 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 23.06.2018 to 29.06.2018 (both days inclusive) in connection with the Eighth Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 21 May, 2018

Dr. Fareed Ahmed
Executive Director

टिप्पणियां

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखत द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक-ए) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 24.06.2018 (रविवार) को सायं 5 बजे अथवा बैंक के कार्य-घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य-प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बर्शते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा पंजीकृत है।

2. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24.06.2018 (रविवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 29.06.2018 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुबंध 'E') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात् होगा, और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

4. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट-पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

44, समुदाय केंद्र, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I

नजदीक पी.वी.आर., नारायणाए नई दिल्ली- 110 028

फोन 011- 41410592, 41410593 ई मेल: delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपॉजिटरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूचित करें।

5. लाभांश

बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2018 (Sunday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2018 (Sunday).

3. REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 29.06.2018, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/ Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

4. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I
Near PVR Naraina, NEW DELHI-110 028.

Ph: 011 41410592, 41410593 email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

5. DIVIDEND

No dividend has been declared by the Bank for the year 2017-18.



6. अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए उक्त पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

7. फोलियों का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण-पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

8. शेयर धारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई हैं, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र. का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 के पास प्रेषित करें या [complianceofficer/psb.co.in](mailto:complianceofficer@psb.co.in) पर ई-मेल करें।

9. शेयर धारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा। बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मदों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वा.सा.बै. की ई-वोट, वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक (कट ऑफ डेट) 22.06.2018 है। ई-वोटिंग की अवधि 26.06.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 28.06.2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात ई-वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगइन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने मतदान के माध्यम से मत का प्रयोग किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं—

कंपनी सचिव,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय (शेयर कक्ष)
लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,
21-राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110008.
टेलीफोन- 011- 25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

11. अन्य जानकारी:

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारणों से हॉल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2018

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

7. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

8. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.

9. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 22.06.2018. The e-voting period shall commence on 26.06.2018 from 10.00 a.m. and end on 28.06.2018 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. Incase they vote through poll, the same will not be considered.

10. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell,
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, New Delhi-110008
Telephone: 011-25782926, 25812922 E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

11. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 21 May, 2018

Dr. Fareed Ahmed
Executive Director

मतदान प्रक्रिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की छठी वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-मतदान

बैंक कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अनुसार, आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-मतदान की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- दिनांक 26.06.2018 को प्रातः 10 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 28.06.2018 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास अंतिम तिथि 22.06.2018 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- शेयरधारकों को ई.वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरधारक/सदस्यों पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
 - सीएसडीएल हेतु – 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - एनएसडीएल हेतु – 8 स्वरूप की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
 - भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- दर्शायी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा –न्यूमेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी)	कृपया जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) डीमेट खाते में या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियों में के रूप में लॉगइन करने हेतु प्रविष्ट करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियों संख्या, लाभांश बैंक विवरण जैसा कि (iv) में उल्लेखित है प्रविष्ट करें।

- इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उनके द्वारा लॉगिन पासवर्ड, नए पासवर्ड स्थान में बदल कर देना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में ई-मतदान हेतु दिए गए मसौदे में किया जा सकता है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक हेतु "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

E-Voting

E-Voting for the Eighth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Eighth AGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 26.06.2018 at 10.00 a.m. and ends on 28.06.2018 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 22.06.2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details Or Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (dd/mm/yyyy) format as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xiii) यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" को क्लिक करें।
- (xiv) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- (xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- (xviii) शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाईल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रायड आधारित मोबाईलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाईल एप को गूगल के प्ले स्टोर से हासिल किया जा सकता है। एप्पल और विंडो फोन का उपयोग करने वाले एप्पल स्टोर तथा विंडो फोन स्टोर से क्रमशः एप प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाईल पर मतदान करते समय मोबाईल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।
- (xix) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट
- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से अलग, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगइन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
 - पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia.com/cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
 - लॉगइन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट कर लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia.com/cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
 - अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।
- (xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस को प्रेषित करने के बाद भी ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट दिया है वह वार्षिक सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. 4629) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे बैठक संपन्न होने के 48 घंटों के भीतर अक्षरशः, वार्षिक सामान्य बैठक की संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा

बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com/cdslindia.com पर ई-वोटिंग मेनुअल उपलब्ध है या helpdesk.evotingindia.com/cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री राकेश दलवी, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 25वां माला, विंग ए मारटौन फ्यूचर एक्स, माफतलाल मिल्स कॉम्प्लेक्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (ई) मुम्बई-400013, दूरभाष नं. 1800225533 या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इन्टाइम प्रा. लिमिटेड, 44, कम्प्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011-41410592, 41410593 या delhi/linkintime.co-in को ई-मेल करें।

- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Annual General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-voting immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013., Phone-1800225533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, 44-Community Centre, 2nd floor, Naraina Indl Area, Phase-I, New Delhi-28 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.



निदेशक मंडल रिपोर्ट 2017-18

बैंक का निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाते के साथ वार्षिक रिपोर्ट को हर्ष के साथ प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य:

विगत वर्ष में प्रमुख सुधार किए गए जिन्होंने लघु अवधि में वृद्धि पर प्रभाव डाला। यद्यपि, यह आशा की जा रही है कि आने वाले दिनों में सुधार के लाभ प्राप्त होने लगेंगे। 01 जुलाई, 2017 की अर्द्ध-रात्रि को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए पुनः पूंजीकरण के साथ बहु-प्रतीक्षित जुड़वा तुलन-पत्र (टी.बी.एस.) का प्रस्ताव निर्णय के नजदीक है। प्रमुख दबाव ग्रस्त कंपनियों को नए भारतीय दीवाला कोड के अंतर्गत लाकर नीलामी के माध्यम से चूककर्ता कंपनियों की नीलामी करना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, मजबूत धरातल पर चक्रीय उत्थान का अनुभव कर रही है, आशा की जाती है कि आने वाले कुछ वर्षों तक यह रुख बना रहेगा हालांकि गिरावट का जोखिम बना रहेगा।

पूर्व की नीतियों के प्रभावों के समाप्त होने तथा वैश्विक उत्थान के कारण निर्यात में उठान के कारण, वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृद्धि की आशा है और इस वर्ष के 6.75% से यह 7-7.5% हो सकती है। विगत एक वर्ष के 4.9% की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2018 में कृषि में वृद्धि थोड़ी कम 2.1% पर, उद्योग में 4.4% तथा सेवाओं में 8.3% रही है। वर्ष 2017-18 में देश में मुद्रा स्फीति साधारण रही है। अप्रैल-दिसम्बर 2017-18 के दौरान ग्राहक मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) आधारित मुद्रा स्फीति औसतन 3.3% रही है जोकि विगत छः वित्तीय वर्षों में न्यूनतम है जब कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) पर आधारित मुद्रा स्फीति 2.9% पर रही। एक अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य एवं बजट जानने के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण तत्व है। विगत चार वर्षों में यह लगातार नीचे गया है अर्थात् वर्ष 2017-18 में 3.2%। इसको 2% से नीचे लाने का लक्ष्य है। चालू खाते का घाटा जीडीपी का 1.5% रहने का अनुमान है जोकि 3% की दर से काफी कम है जो अर्थव्यवस्था के लिए अतिसंवेदनशील में परिवर्तित हो सकता है। विदेशी मुद्रा भण्डार \$424 मिलियन हो गए हैं। वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां तथा कीमतों में उछाल विपरीत परिस्थितियों को पैदा कर सकते हैं।

संवृद्धि आंशिक गति से रफ्तार पकड़ रही है क्योंकि विमुद्रीकरण एवं जीएसटी का अस्थायी प्रभाव समाप्त हो रहा है और उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं। निर्यात ने गति पकड़ी है और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि लगभग 11.3% है। वैश्विक व्यापार में संभव सुधार के कारण भारत के बाह्य क्षेत्र मजबूत रहेंगे यद्यपि, डब्ल्यू.टी.ओ. की चिन्ता बनी हुई है।

बैंक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और आर्थिक संवृद्धि को क्रियाशील एवं निरन्तरता बनाए रखने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, विशेषकर विकासशील देशों और भारत में जहाँ कोई विकल्प नहीं है। भारतीय बैंक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं जिससे उनकी लाभप्रदता एवं स्थायित्व प्रभावित होती है। भारतीय बैंकों के सामने सबसे बड़ी जोखिम अनर्जक ऋणों में वृद्धि है। विगत कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण आस्ति गुणवत्ता खराब होती रही है और बैंक सरलता से धन एकत्र करने में सफल नहीं हो रहे हैं, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनके खराब ऋणों का प्रतिशत ज्यादा है। यदि बैंक अपनी पूंजी जल्दी नहीं वसूल पाते हैं तो रिजर्व बैंक की पूंजी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कुछ भारतीय बैंक असफल हो सकते हैं।

बैंक तकनीकी विकास एवं नवोन्मेषी उत्पाद का लाभ उठा कर प्रभावोत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रतिस्पर्धा के दबाव का सामना करते हैं। इस संबंध में, बैंकों को अपनी शाखा के नेटवर्क का लाभ उठाते हुए गैर-बैंककारी क्षेत्रों के साथ बैंक के कार्य करने से अन्य वित्तीय संस्थानों के ऊपर सफलता प्राप्त होगी। धरातल पर ग्राहक, विशेषकर एस.एम.ई. और कृषि में बड़े व्यावसायिक अवसरों की कुंजी हो सकते हैं। संभाव्य ग्राहकों का बड़ा डिजिटल डाटा बेस, मोबाईल की अधिकता, ई-कॉमर्स तथा स्मार्ट फोन आधारित सेवाओं के प्रयोग से एस.एम.ई. की साख के आंकलन करने की लागत को घटा सकता है जो बैंक हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बैंक तकनीक का उपयोग अपने आपको अलग दर्शाने तथा प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए करेगा।

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार: दिनांक 31.03.2017 को बैंक के रु. 145803.25 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर बैंक का कुल व्यापार रु. 171464.95 करोड़ रहा।

लाभ: वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान रु. 201.08 करोड़ के लाभ की तुलना में बैंक ने वर्ष 2017-2018 के दौरान रु. 743.80 करोड़ की कुल हानि दर्ज की। वर्ष 2016-17 के 0.20% की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल -0.69% रहा।

लाभांश: बोर्ड ने वर्ष 2017-18 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

DIRECTORS' REPORT 2017-18

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2018.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

ECONOMIC OUTLOOK

Major reforms were undertaken over the past year which in the short term has impacted the growth trajectory. However, it is expected that the benefit of the reforms will accrue in the days to come. The transformational Goods and Services Tax (GST) was launched at the stroke of midnight on July 1, 2017. The long-festering Twin Balance Sheet (TBS) issue is nearing resolution with bank recapitalization package in place to strengthen the public sector banks and the auction of defaulting companies by sending the major stressed companies for resolution under the new Indian Bankruptcy Code. The global economy, meanwhile, is experiencing a broad-based cyclical upturn, which is expected to be sustained over the next couple of years, although downside risks persist.

The economic turnaround is expected to gain further traction this financial year and it could accelerate from 6.75% this year to 7-7.5% in 2018-19, as a result of the dissipating effects of earlier policy and the export uplift from the global recovery. Agriculture growth was at 2.1% for financial year 2018, sharply lower than 4.9% a year earlier followed by industry at 4.4% and services at 8.3%. Inflation in the country continued to moderate during 2017-18. Consumer Price Index (CPI) based headline inflation averaged 3.3% during April-December 2017-18, the lowest in the last six financial years while Wholesale Price Index (WPI) based inflation stood at 2.9%. Fiscal Deficit as a percentage of GDP is the most important factor to judge the health of an economy and budget. It has gone down steadily over the past four years i.e. 3.2% in 2017-18. The target is to bring it below 2%. The current account deficit is estimated at a modest 1.5% of GDP, well below the 3% rate at which economics turn vulnerable. Foreign exchange reserves have soared to \$424 billion. Headwinds however remain with prices moving northwards and global political uncertainties.

Growth is picking up partly because the temporary impact of demonetisation and GST has dissipated, and corrective actions have been taken. Exports have picked up and manufacturing sector growth is about 11.3%. India's external sector to remain strong on likely improvement in global trade, though WTO concerns remain.

The banks are the lifelines of the economy and play a catalytic role in activating and sustaining economic growth, especially, in developing countries and India is no exception. Indian banks face different kinds of problems, which have affected their profitability and financial stability. The biggest risk to Indian banks is the rise in bad loans. The asset quality deterioration continues leading to slowdown in the economy in the last few years and banks are not able to raise money easily, especially public-sector banks which have high percentage of bad loans. If banks do not shore up their capital soon, some could fail to meet the minimum capital requirement set by the RBI.

Banks face sustained competitive pressure to increase efficiency and productivity by leveraging on technological developments and product innovations. In this regard, banking with the unbanked may probably give banks an edge over other financial intermediaries by leveraging on their branch networks. Customers at the bottom of the pyramid especially in SME and Agriculture may hold the key to big business opportunities. The availability of large digital database on potential borrowers, mobile density, e-commerce and usage of smart-phone based services is likely to reduce the cost of assessing creditworthiness of SMEs which are the thrust area of the Bank. Bank will adopt technology as an enabler to differentiate itself and shall have an edge over its competitors.

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS: During the year ended 31.03.2018, total Business of the Bank stood at Rs171464.95 crore as compared to Net Profit of Rs. 145803.25 crore as on 31.03.2017.

PROFIT: The Bank recorded a Net Loss of Rs 743.80 crore for the year 2017-18 as compared to Net Profit of Rs. 201.08 crore during the FY 2016-17. The Return on Assets (ROA) stood at -0.69% as compared to that at 0.20% in the year 2016-17.

DIVIDEND: The Board has not recommended any dividend for the year 2017-18.



पूंजी एवं आरक्षितियां: दिनांक 31.03.2017 को बैंक की निवल मालियत रु. 5046.39 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को रु. 4733.96 करोड़ रही।

दिनांक 31.03.2018 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बॉसल III) 11.25% है जोकि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.875% के विरुद्ध है।

बॉसल III अनुवर्ती अतिरिक्त टीयर I बांड जारी करना

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु. 1000 करोड़ के बॉसल III अतिरिक्त अनुवर्ती टीयर I बांड को 10.90% वार्षिक पर जारी किया है। यह बांड बेमियादी हैं।

जमाएं: बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2018 को रु. 101726.17 करोड़ रही जोकि दिनांक 31.03.2017 को रु. 85540.16 करोड़ थी। बैंक की औसत जमा लागत 5.93% रही जोकि विगत वर्ष 6.73% थी।

अग्रिम: दिनांक 31.03.2018 को बैंक के कुल अग्रिम रु. 69738.78 करोड़ रहे जोकि दिनांक 31.03.2017 को रु. 60263.09 करोड़ थे। अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 8.80% रहा जोकि विगत वर्ष के दौरान 9.73% था।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

- बैंक ने शाखाओं और 351 व्यवसायिक प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10.78 लाख खाते खोले और प्रत्येक खाते में जमा रु. 5890 की औसत से रु. 635 करोड़ के कासा/एफडी/आरडी की जमाएं संग्रहित की।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, व्यवसायिक प्रतिनिधियों द्वारा लाया गया व्यवसाय लगभग रु. 359 करोड़ था जिसमें एन.पी.ए./टी.डब्ल्यू.ओ. के 2180 खातों में रु. 11.83 करोड़ की कुल राशि की वसूली सम्मिलित है।
- बैंक ने प्रत्येक तिमाही में 10 अच्छा कार्य करने वाले बैंक मित्रों को रु. 1,100/- का पुरस्कार और एक प्रशंसा पत्र देने प्रक्रिया लागू की है।
- पी.एम.जे.डी.वाई. में कुल जीरो बैलेंस खाते 1% हैं जोकि उद्योग के 20% के विरुद्ध हैं।
- क्रियाशील पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में कुल आधार की प्रविष्टि 84% है।
- बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से गांवों में वित्तीय साक्षरता कैंम्पों का आयोजन किया जहाँ मूलभूत बैंक की सेवाओं के साथ पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, ओवर ड्राफ्ट आदि वित्तीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि वे अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इन सेवाओं का लाभ ले सकें। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने कुल 1192 वित्तीय साक्षरता कैंपों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. ओडी को एटीएम/माइक्रो एटीएम के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया है। वर्तमान में, 70605 ओडी संस्वीकृत की गई हैं। कुल संस्वीकृत राशि रु. 10.86 करोड़ है।
- हमारे माइक्रो एटीएम आधार सुविधा युक्त भुगतान प्रणाली (ईपीएस) और रुपये पिनपैड सक्षम हैं जो ग्रामीण ग्राहकों को उनके बायोमैट्रिक या रुपये डेबिट कार्ड द्वारा अंतः और अंतर बैंक लेन-देनों को करने में सहायता करते हैं।
- बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान 155 के लक्ष्य के विरुद्ध 141 आधार पंजीकरण केंद्र सफलतापूर्वक खोले हैं। बैंक ने स्वयं अपनी किट खरीदी हैं और बैंक का अपना स्टाफ ऑपरेटर/पर्यवेक्षण के रूप में कार्य कर रहा है।

विपणन एवं बीमा

- बैंक ने वर्तमान में एल.आई.सी. व एस.बी.आई जीवन बीमा कंपनियों के साथ कॉरपोरेट एजेंसी के लिए गठबंधन किया है और कुल रु. 8.81 करोड़ के व्यवसाय के साथ 3981 पॉलिसियां की हैं।
- सोवरन गोल्ड योजना की 14 श्रृंखलाएं सफलतापूर्वक पूर्ण की गई हैं और रु. 61.19 लाख का कमीशन प्राप्त किया है।

नई पहल

- ईलॉक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देनों हेतु पंजीकृत ग्राहकों के क्रियाशील खातों को एसएमएस "REPLY" सुविधा को लागू करते हुए फ्रीज करना।
- यू.पी.आई./पी.ओ.एस./आधार-पे/भारत-QR कोड लागू करना।
- पीएसबी-भारत QR कोड लागू करना। भीम पीएसबी उपकरण में भारत QR कोड स्कैन एवं भुगतान करने की कार्यविधि लागू की गई है।
- एटीएम कार्डों की ग्रीन पिन कार्यविधि लागू करना।

CAPITAL & RESERVE: The Net Worth of the Bank stood at Rs 4733.96 crore as compared to Rs. 5046.39 crore as on 31.03.2017.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 11.25% as on 31.03.2018 against the minimum stipulated requirement of 10.875%.

Issue of Basel III Compliant Additional Tier I Bonds:

During the Year, Bank issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds amounting to Rs 1000 crore at 10.90% p.a. These Bonds are perpetual in nature.

DEPOSITS : The total deposits of the Bank stood at Rs 101726.17 crore as on 31.03.2018 as compared to Rs. 85540.16 crore as on 31.03.2017. The average cost of deposits of the bank improved to 5.93% as compared to 6.73% in previous year.

ADVANCES: The Bank's Advances stood at Rs 69738.78 crore as on 31.03.2018 as compared to Rs. 60263.09 crore as on 31.03.17. The average yield on Advances stood at 8.80% as compared to 9.73% during the last year.

ACHIEVEMENTS UNDER PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJNA

- The Bank has opened 10.78 lac Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) accounts through Branches and 351 Bank Mitrs and mobilized CASA/FD/RD deposit of Rs. 635 Crore, with average deposit per account Rs. 5890.
- During this financial year 2017-18 business brought by Bank Mitrs is Rs.359 Crores which include Recovery in 2180 NPA/TWO accounts amounting to Rs.11.83 Crore.
- The Bank has introduced a system of awarding 10 Outstanding performing Bank Mitrs every quarter with cash rewards of Rs. 1100/- and an appreciation letter.
- Total Zero Balance accounts in PMJDY are at 1 % against industry average of 20 %
- Total Aadhaar seeding in Active PMJDY Accounts is 84%.
- Bank in coordination with the FLCs took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY and OD discussed with the customers/villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. During this financial year 2017-18, Bank has successfully organized 1192 Financial Literacy Camps.
- The Bank has successfully implemented PMJDY OD through ATMs/MicroATMs. At present, 70605 ODs have been sanctioned. Total amount sanctioned is Rs.10.86 Crores.
- Our all MicroATMs are AEPS & Rupay PINPAD enabled, helping rural customers to do intra and inter Bank transactions using their biometrics or Rupay Debit Cards.
- Bank has successfully opened 141 Aadhaar enrolment Centers during 2017-18 against the target of 155. Bank has purchased its own kits and our own staff is working as Supervisor/Operators.

MARKETING AND INSURANCE

- The Bank has presently a Corporate Agency tie-up with LIC and SBI Life for life insurance business and 3981 policies has been done with total Insurance business of Rs. 8.81 crore.
- Total number of **14 tranches** of **Sovereign Gold Scheme** successfully handled and Commission of **Rs.61.19 Lac earned**.

NEW INITIATIVES

- Implementation of SMS "Reply" facility to registered customers for debit freeze their operative accounts for Electronic Banking Transactions.
- Implementation of UPI/POS/ Aadhaar-Pay/ Bharat-QR Code.
- Implementation of PSB-BHARAT QR Code. Bharat QR Code scan and pay functionality has been implemented in BHIM PSB App.
- Implementation of Green PIN functionality for ATM cards.



- रुपये प्री-पेड कार्ड को लागू करना।
- भारत बिल पेमेन्ट प्रणाली (बीबीपीएस)(प्री लॉगइन) को लागू करना।
- ऑखों से अन्धे स्टाफ की सहायता के लिए JAWS साफ्टवेयर लागू करना।
- बैंक ने 14 नई शाखाएं खोली हैं जिनमें से 50% शाखाएं अर्थात् 7 गैर-बैंकिंग क्षेत्र में खोली गयी हैं।
- जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) का अधिग्रहण पीएसबी एटीएम पर यूनियन पे इंटरनेशनल (यूपीआई) के ग्राहकों की लेन-देन।
- पीएसबी एटीएम पर आधार ई-सत्यापन स्थिति को दर्शाना।

पुरस्कार एवं उपलब्धियां

- माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री, वित्त एवं कंपनी मामले ने बैंक को सूक्ष्म ऋण में योगदान करने के लिए सीआईएमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016-17 प्रदान किया।
- भारत के एसोशिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एसोचौम) ने बैंक को "लघु बैंक श्रेणी में कृषि बैंकिंग एवं सरकारी योजनाएं" के लिए माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र की संवृद्धि में योगदान के लिए "एसोचौम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार" दिया।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 20.04.2017 को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सीआईएमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016, अब दिनांक 18.01.2018 को वित्तीय समावेशन केशबुक अवार्ड और दिनांक 10.03.2018 को बी.सी. मॉडल पर स्कॉच अवार्ड जीता है।
- बैंक की जूनियर हॉकी टीम ने अमृतसर में आयोजित इंटर कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट जीता।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

- दिनांक 31.03.2017 को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 24928 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर रु 28685 करोड़ हो गए।
- दिनांक 31.03.2017 को बैंक के कृषि अग्रिम रु. 11355 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2018 की समाप्ति पर रु. 1342 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 12697 करोड़ हो गए।
- बैंक का छोटे और सीमांत किसानों को अग्रिम रु. 6464 करोड़ रहा जोकि आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य 8.00% की तुलना में मार्च, 2017 के एनबीसी का 9.76% है।
- बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में रु. 1040 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 1009.79 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया है जोकि लक्ष्य का 97.09% है।
- दिनांक 31.03.2018 तक केसीसी संचालित कुल 2.17 लाख खातों में से, बैंक ने केसीसी के 2.12 लाख खातों (97.69%) में रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं।
- बैंक ने पंजाब एवं हरियाणा में वित्तीय साक्षरता को फैलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 19 वित्तीय साक्षरता कैंप (एफएलसी) खोले हैं।
- वर्ष 31.03.2017 के अंत में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन में से एक आरएसईटीआई जोकि मोगा में हैं, को सर्वोच्च ग्रेड 'AA' दिया गया और उसको ग्रामीण बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण देने हेतु सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया है।
- बैंक ने केंद्रीय भण्डारण निगम, राष्ट्रीय प्रतिभूति प्रबंधन सेवाएं लिमिटेड और प्रेस्टीज बल्क हैंडलिंग निगम (प्रा) लिमिटेड के साथ कृषि-उत्पाद बंधक ऋण योजना के अंतर्गत वेयर हाउस रसीद के विरुद्ध वित्त पोषण हेतु करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- बैंक ने TReDS प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के बिल भुनाने के लिए एमआई एक्सचेंज के साथ समझौता किया है।

खुदरा ऋण

- दिनांक 31.03.2018 को बैंक का खुदरा ऋण संविभाग रु. 14894.90 करोड़ है और इस प्रकार खुदरा ऋण विभाग ने विगत वर्ष पर 13.48% की व्यावसायिक वृद्धि दर्ज की है।
- दिनांक 31.03.2018 को सकल अग्रिम की तुलना में खुदरा ऋण का प्रतिशत 21.33% है।
- खुदरा ऋण के अंतर्गत उत्पादों को अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रस्तावों को उदार तथा औचित्यपूर्ण बनाया है। वित्तीय वर्ष के दौरान, तीन नए उत्पाद अर्थात् पीएसबी बंधक ऋण, पीएसबी व्यापार ऋण और पीएसबी एसएमई तरलता प्लस का शुभारम्भ किया गया।
- बैंक ने सभी अंचलों में उधार की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बाह्य सतर्कता अभिकरणों का पंजीकरण किया है।

- Implementation of RuPay Pre-paid card.
- Implementation of Bharat Bill Payment System (BBPS)(Pre-login)
- Implementation of JAWS software for supporting the visually challenged staff.
- Bank has opened 14 new branches out of which 50% branches i.e. 7 new branches were opened in Unbanked Rural Centre.
- Acquiring of Japan Credit Bureau (JCB) and Union Pay International (UPI) Customers' transactions at PSB ATMs
- Display of Aadhaar E-verification status on PSB ATMs

AWARDS & ACHIEVEMENTS

- Bank was awarded CIMSME Excellence Award 2016-17 for contribution to Micro Credit by Hon'ble Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs Sh. Arjun Ram Meghwal
- The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (**ASSOCHAM**) has awarded Bank "Agriculture Banking & Government Schemes in the Small Bank Class" ASSOCHAM Social Banking Excellence Award" by Sh. Shiv Pratap Shukla, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India for contribution in growth of Agriculture & MSME Segment.
- Bank has received CIMSME Excellence Award 2016 under Financial Inclusion through BC Model on 20.04.2017, Governance, Now Financial Inclusion Casebook Award on 18.01.2018 and SKOCH Award for BC Model on 10.03.2018 during this financial year.
- Bank's Junior hockey team won Inter College Hockey Tournament held at Amritsar.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

- Total Priority Sector Advances increased from Rs. 24928 crore as on 31.03.2017 to Rs. 28685 crore as on 31.03.2018.
- Bank's Agriculture advances increased from Rs. 11355 crore as on 31.03.2017 to Rs.12697 crore as on 31.03.2018 i.e by Rs. 1342 crore.
- Bank's advances to Small & Marginal Farmers increased to Rs. 6464 crore which is 9.76% of March, 2017 ANBC against the RBI stipulated target of 8.0%.
- Bank made advances to the tune of Rs.1009.79 crore against the target of Rs. 1040 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana which is 97.09% against the target.
- Bank has issued RuPay Debit Cards in 2.12 lac KCC accounts out of the total operative KCC accounts of 2.17 lac (97.69%) as on 31.03.2018.
- Bank has 19 Financial Literacy Centres (FLCs) at block level in Punjab & Haryana *to spread financial literacy among people.*
- One of three RSETIs i.e. Moga was given highest grade 'AA' by Ministry of Rural Development for the year ended 31.03.2017 making it eligible for Govt. grants for training of rural unemployed youths.
- Bank signed MoU with Central Warehousing Corporation, National Collateral Management Services Limited and Prestige Bulk Handling Corporation (P) Ltd for Financing against warehouse receipt under Agri-produce Pledge Loan scheme.
- Bank has signed MoU with M1 Exchange on TReDS platform for bill discounting of MSME.

RETAIL LENDING

- The Retail Lending portfolio of the Bank as on 31.03.2018 stands at Rs 14894.90 Cr and thereby, Retail Lending has registered a business growth of 13.48% over the previous year.
- The percentage of Retail Advances to Gross Advances was 21.33% as on 31.03.2018.
- The Bank has rationalized the Retail Lending products to make them more attractive and competitive. During the FY, three new products viz. PSB Mortgage Loan, PSB Vyapar Loan and PSB SME Liquid plus were launched.
- The Bank has empanelled External Due Diligence Agencies across the Zones to improve quality of lending.



आस्ति गुणवत्ता

बैंक के अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी रहे हैं तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है। "प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम-2002" के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रों पर वसूली कैंप आयोजित किए।

वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित खातों में बैंक की वसूली औचित्यपूर्ण रही है। वसूली के लिए किए गए अथक तथा केन्द्रित प्रयासों के फलस्वरूप रु. 66.93 करोड़ की तकनीकी बढ़ा खातों में वसूली सहित कुल रु. 806.05 करोड़ की वसूली की जा सकी।

बैंक ने नए गैर निष्पादित खातों में बढ़ोत्तरी को रोकने में हर संभव प्रयास किए। परिणामस्वरूप कुल तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2017 के रु. 6297.59 करोड़ तथा रु. 4375.08 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को क्रमशः रु. 7801.65 करोड़ तथा रु. 4607.87 करोड़ रहे। 31.03.2018 को गैर-निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है –

(राशि करोड़ में)

एनपीए	31.03.2017 की स्थिति अनुसार		31.03.2018 की स्थिति अनुसार	
सकल	6297.59	10.45%	7801.65	11.19%
निवल	4375.08	7.51%	4607.87	6.93%

दिनांक 31.03.2018 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बढ़ा खातों सहित) 54.41% रहा।

ऋण निगरानी

बैंक ने ऋण एक्सपोजरों वाले उच्च मूल्य खातों की प्रभावशाली निगरानी तथा नयी चूक गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए रु. 25 लाख से अधिक प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा रु. 25 लाख तक के ऋणों की निगरानी हेतु आंचलिक कार्यालय स्तर पर अलग से नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इन निरीक्षण कक्षों ने अंचलों तथा शाखाओं के साथ निरन्तर आधार पर बड़े स्तर पर नए एनपीए बनने से रोकने को सुनिश्चित करने हेतु नजदीकी अनुवर्ती कार्रवाई की है। आरबीआई तथा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र मामलों की पुनरसंरचना की जा रही है जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों हेतु संशोधित फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है।

विभाग ने अन्य अभिकरणों जैसे एक्सपीरियन के साथ गठबंधन किया है और आवश्यक तत्परता बढ़ाने के लिए सिबिल के अन्य उत्पाद जैसे ई-पुष्टीकरण को नामांकित किया है। नियंत्रण प्रणाली के तौर पर, विभाग द्वारा कई कार्य-विधियों का विकास किया गया है ताकि स्वचालन से सूचना प्रदान करने/राजस्व की हानि पर रोक लगाने में सरलता हो।

निवेश प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय

- 31.03.2018 को बैंक की कॉरपोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम संग्रह एवं निवेश नीति के अनुरूप निवेश-सूची संरचना सहित बैंक का सकल निवेश रु. 33150.03 करोड़ था।
- बैंक ने इस वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूति में ट्रेडिंग गतिविधियों से अब तक का सबसे उच्चतम लाभ अर्जित किया जोकि मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के रु. 261.97 से 1.8% बढ़कर 31.03.2018 को रु. 266.82 करोड़ हो गया है।
- विदेशी विनिमय विभाग का कुल लाभ रु. 34.08 करोड़ है और वर्ष 2017-18 हेतु डीलिंग कक्ष का विनिमय लाभ रु. 19.68 करोड़ है।
- विभाग ने एक विदेशी विनिमय मार्केटिंग टीम बनाई है जो नियमित रूप से वर्तमान एवं भावी ग्राहकों के पास बैंक की विदेशी विनिमय व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए जाती है।

जोखिम प्रबंधन: बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम, परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, के लिए एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक के शिखर स्तर के प्रबंधन तथा बोर्ड के अधिकारों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन तथा बैंक की जोखिम प्रवृत्ति को लागू करने का संपूर्ण दायित्व है। महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्र.का. जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) द्वारा बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की जाती है।

जोखिम प्रबंधन के कार्य जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) – बोर्ड स्तर की समिति द्वारा किए जाते हैं। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.), आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन समिति (एलको), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एम.आर.एम.सी.), और आईसीएएपी के अनुसार पूंजी आयोजना समिति जैसी अन्य समितियां हैं।

ASSET QUALITY:

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act -2002" were used effectively. The Bank had also organized Recovery Camps during the year at various centers.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year remained reasonable. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs. 806.05 Crore including recovery of 66.93 Crore in Technically Written Off Accounts.

Bank has made sincere and earnest efforts to contain fresh slippage. As a result our gross NPAs and net NPAs as on 31.03.2018 have been contained at Rs.7801.65 Crore and Rs.4607.87 Crore respectively against Rs. 6297.59 Crore and Rs. 4375.08 Crore as on 31.03.2017.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2018 vis-à-vis previous year is as under;

Amount in Crore)

NPA	As on 31.03.2017		As on 31.03.2018	
Gross	6297.59	10.45%	7801.65	11.19%
Net	4375.08	7.51%	4607.87	6.93%

The Provision Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O.A/Cs), as on 31.03.2018 stood at 54.41 %.

CREDIT MONITORING

"The Department had already set up a Control Room for proper and effective monitoring of large accounts, with exposure above Rs.25 Lac at HO and accounts upto Rs.25 Lac by separate Control Rooms at Zonal Offices. These Control Rooms have undertaken close follow-up with zones and branches on an ongoing basis to ensure reduction in slippage of accounts to a large extent. Restructuring of eligible cases is being done as per RBI and Ministry guidelines including Revised Framework for Resolution of Stressed Assets.

Department has entered into Tie –ups with other agencies like Experian and also enrolled for other products of CIBIL like e-verify for enhanced Due Diligence. As a control mechanism, various functionalities have been developed by the department, to ease reporting/put a check on revenue leakage with the help of automation.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

- The Bank's total gross investment as on 31.03.2018 was Rs.33150.03 crore, with a portfolio composition consistent with the organization requirement, risk perception, and investment policy of the Bank.
- Bank made highest ever trading profit of Rs. 266.82 crore with a increase of 1.8% over March 2017 profit of Rs. 261.97 crore on account of active trading in G-sec and Non SLR securities,
- The total profit of Foreign Exchange Department is Rs. 34.08 Crore and dealing room exchange profit for the year 2017-18 is Rs. 19.68 crore.
- The Department has created a forex marketing team which regularly visits the current and prospective customers to increase the foreign exchange business of the Bank.

RISK MANAGEMENT: The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) headed by General Manager.

The Risk Management Function is managed through Risk Management Committee (RMC)- a board level subcommittee. Other committees are Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset and Liabilities Management Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC), Market Risk Management Committee (MRMC) and Capital Planning Committee as per ICAAP.

नीति-तंत्र: बैंक के समक्ष जोखिमों का मापन, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां तथा कार्यविधियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार ऋण प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) व आपदा उद्धार प्रबंधन (डीआरएम) नीति, स्ट्रेक्स टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने संबंधी तकनीकों की प्रयोग नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन, आईसीएपी नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, इंद्रा गुप्त लेन-देनों एवं जोखिम के प्रबंधन तथा लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर नीति।

बैंक का बॉसल-II के साथ अनुपालन: भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 की प्रभावी तिथि से नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बॉसल-II के आधार पर बैंक ने पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक ने बॉसल-III के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सीआरएआर की संगणना शुरू की है जो जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सीआरएआर की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बॉसल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। बॉसल-II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बॉसल-III के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

आई.सी.ए.पी. नीति: बॉसल-II व बॉसल-III – स्तंभ 2- पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति तैयार की गई है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। आईसीएपी परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जाता है तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

प्रकटीकरण: बॉसल-II व बॉसल-III, स्तंभ-3 'बाजार अनुशासन' विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गई है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण जोखिम: ऋण-जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण-कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल हैं। ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा ऋण-जोखिम तथा नीति-निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इसके द्वारा उद्योग, कॉर्पोरेट, खुदरा तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

कॉर्पोरेट जोखिम के लिए ऋण रेटिंग जोखिम मॉडल और एनबीएफसी ऋण जोखिम, रियल स्टेट एवं खुदरा ऋण जोखिम, खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग, एवं उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्पत्तियों के लिए एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है।

बाजार जोखिम: बैंक का पोर्टफोलियो ब्याज-दरों तथा मुद्रा-दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार जोखिम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) बाजार जोखिम से संबंधित काम-काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम मापन-प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का कड़ा अनुपालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ कार्यालय भी स्थापित है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है जोकि बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को देय होने पर पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना करता है।

परिचालनगत जोखिम: परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके। बैंक के पास लॉस डाटा प्रबंधन करने के लिए बोर्ड अनुमोदित लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है ताकि बैंक की सम्पूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति(ओआरएम) को लागू करने में प्रबंधन हेतु न्यूनतम मानक स्थापित किए जा सकें और विस्तृत तथा मजबूत परिचालन लॉस डाटाबेस को बनाया जा सके।

POLICY FRAMEWORK: The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to. The various policies are Integrated Risk Management Policy, Asset-Liability Management (ALM) Policy, Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management (ORM) Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, ICAAP Policy, Integrated Risk Management Policy, Policy on Management of Intra Group Transactions & Exposures and Loss Data Management Framework.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II: In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing CRAR w.e.f. June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank has geared for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. Bank has also appointed a Consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK: Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate Exposure, NBFC Exposure, Real Estate Exposure and Retail Exposure, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/ portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

MARKET RISK: The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed. Moreover, a Mid Office is also in place.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they come due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

OPERATIONAL RISK: The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees the matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework & ORM systems so as to be able to migrate to advance approaches of calculation of Operational Risk Capital. The Bank has Board approved Framework for Loss Data Management to set minimum standards for management of Bank's Operational Loss Data in order to comply with the overall Operational Risk Management (ORM) Policy of the Bank and facilitate creation of a robust and comprehensive Operational Loss Database.



मानव संसाधन प्रबंधन

31.03.2018 को संवर्ग वार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार रही:

श्रेणी	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018
अधिकारी	6663	6545
लिपिक	2241	2346
अधीनस्थ स्टाफ	496	429
कुल	9400	9320

रोजगार में महिलाएं: 31.03.2018 को हमारे कुल 9320 स्टाफ सदस्यों में से 2570 महिलाएं हैं जो कुल योग का 27.58% बनती हैं।

महिला कार्मिकों हेतु विराम अवकाश योजना: बैंक की महिला कार्मिकों हेतु सहायक कार्य करने का परिवेश बनाने तथा कैरियर में सरलता के साथ प्रगति करने के लिए, बैंक के बोर्ड ने बैंक की सभी स्थायी पूर्णकालीन महिला कार्मिकों के लिए उनके संपूर्ण कैरियर में 2 वर्ष के विराम अवकाश योजना का अनुमोदन किया है।

महिला सशक्तिकरण: बैंक ने अपनी महिला कार्मिकों सशक्त बनाने और उनके कैरियर में वृद्धि करने हेतु विशेष कदम उठाए हैं। प्रधान कार्यालय में स्थित प्र.का. मानव संसाधन महिला कक्ष बैंक में महिला कार्मिकों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों, अनुरोधों तथा शिकायतों/शिकायती पत्रों पर तुरंत निवारण के लिए कार्रवाई करता है और बैंक की सभी महिला कार्मिकों के कल्याण की देखभाल करता है। 08 मार्च, 2018 को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, माननीय कार्यकारी निदेशकों ने महिला कार्मिकों को संबोधित किया और अग्रसर होने हेतु प्रोत्साहित किया।

पदोन्नतियां: बैंक वर्ष दर वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों को अच्छा काम (Top performers) करने वालों को पुरस्कार के रूप में तथा उन्हें और जिम्मेवार पदों को संभालने के उद्देश्य से पदोन्नत नियमित रूप से करता रहता है। वर्ष के दौरान निम्न पदोन्नतियां की गई हैं:-

से पदोन्नतियां	उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक	सहा. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक	मुख्य प्रबंधक से सहा. महाप्रबंधक	वरि. प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक	प्रबंधक से वरि. प्रबंधक	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी	अधीनस्थ से लिपिक	योग
सामान्य	1	-	3	16	26	304	233	-	583
विशेषज्ञ	-	1	-	2	36	23	-	-	62
योग	1	1	3	18	62	327	233	-	645

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास: प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास का एक अंतरंग हिस्सा है। बैंकिंग उद्योग के वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिवेश में, स्टाफ को तकनीक में नवीनतम विकास, प्रणाली, प्रक्रिया और कानूनी पहलुओं आदि से रुबरू कराना अधिक महत्वपूर्ण है।

आकर्षक संस्थागत संस्कृति का निर्माण करने में प्रशिक्षण एवं विकास महत्वपूर्ण कदम हैं जिसमें कार्मिकों को बेहतर करने के लिए उत्साहित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। इससे कार्मिकों की क्षमता का निर्माण होता है और विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ज्ञान एवं कौशल प्राप्त होता है। बैंक द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य नई भर्तियों को एकीकृत कर और उनके कौशल, ज्ञान में वृद्धि करते हुए, वर्तमान कार्मिकों की संस्थागत लक्ष्यों के प्रति सोच में परिवर्तन करना ताकि बैंक को देश का तकनीकी एवं सेवा के प्रति समर्पित बैंक बनाया जा सके।

बैंक में भर्ती हुए नए परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे अभिमुखता प्रशिक्षण, शाखा स्तर पर अग्रिमों हेतु प्रशिक्षण, ऋण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण मूल्यांकन, एन.पी.ए. प्रबंधन और एनपीए की वसूली पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने स्टाफ सदस्यों के उनके पेशागत कौशल को निरंतर विकसित करने के लिए आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तावित 19 प्रमाणित एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की है। बैंक ने जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी के ई-लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए आईआईबीएफ से करार भी किया है जिसको इंटरनेट पर "एचआरडी पहल: ई-लर्निंग" के शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

बैंकों में क्षमता विकास: भारतीय रिजर्व बैंक की "क्षमता विकास पर समिति" की अनुशंसाओं का अनुपालन: भारतीय रिजर्व बैंक की "क्षमता विकास पर समिति" के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने विशेषज्ञ क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टाफ जैसे ट्रेजरी परिचालन, जोखिम प्रबंधन, लेखांकन, ऋण प्रबंधन के लिए उक्त को अनिवार्य किया है। बैंक उन स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करेगा जिन्होंने संबंधित विशेषज्ञ विभागों/प्रधान कार्यालय की डैस्कों में आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है। **बैंक उनको कोर्स फीस (जी.एस.टी. छोड़कर) का अधिकतम एकमुश्त रु. 15,000/- केवल एक कोर्स के लिए प्रतिपूर्ति करेगा जिन्होंने बैंकों में क्षमता विकास के अंतर्गत निर्धारित प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है।**

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के परिपेक्ष्य में बैंक ने समस्त अपने कार्यालयों/शाखाओं में नियुक्त सभी कार्मिकों को अल्पावधि में एक ही समय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध वेबनॉर का आयोजन करता है।

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2018 is as under:

Category	31 st March 2017	31 st March 2018
Officers	6663	6545
Clerks	2241	2346
Sub-staff	496	429
Total	9400	9320

Women in employment: Out of the total strength of 9320 as on 31.03.2018, the women employees are 2570 constituting 27.58% of the total strength.

Sabbatical Leave Scheme for the Women Employees: To facilitate a smooth career progression and conducive working environment for the women employees of the Bank, the Board of the Bank has approved the Sabbatical Leave Scheme for all permanent full time Women employees of the Bank for maximum of 2 years during their entire career.

Women Empowerment The Bank has taken specific steps to empower its women employees and to plan their career growth. HO HRD Women Cell at Head Office looks after feedback/ suggestions, requests and complaints/grievances, received from women staff of the Bank for quick disposal and Welfare of all Women Staff Members of the Bank. On 8th March 2018, on the occasion of International Women's Day, Executive Directors addressed the women employees and motivated them to excel.

Promotions: Bank is regularly promoting people almost in all cadres year after year to keep on rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities. Following promotions have been effected during the year:-

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFF to MGR	CLK to OFF	SUBSTF to CLK	Total
General	1	-	3	16	26	304	233	-	583
Specialist	-	1	-	2	36	23	-	-	62
Total	1	1	3	18	62	327	233	-	645

Training & Human Resources Development: Training is an integral part of human resource development. In the current competitive environment in the Banking Industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc.

Training and grooming are important steps in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged & motivated to perform better. It helps in augmenting the competencies of employees & equip them with the right skills & knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments. The training programs organized by the Bank are geared towards integrating the new recruits into the Bank & in enhancing the skills, knowledge and for reorienting the attitude of its existing work force to the organizational objectives so as to transform the Bank to a technology & service driven Bank of the country.

The newly recruited POs were provided Orientation Training, Training on Advances at Branch Level, Training Programme on Credit Management, Credit Appraisal, NPA Management & Recovery of NPAs.

To encourage staff members to upgrade their professional skills, Bank has incentivized re-imbursement of the full course fee of 19 Certified and Diploma Courses offered by IIBF. Bank has also tied up with IIBF for e-learning material for JAIIB & CAIIB which has been placed on Bank's intranet under the head "HRD Initiative: E-Learning".

Capacity Building in Banks: Compliance with the recommendations of the "Committee on Capacity Building" of Reserve Bank of India: In compliance with the directions of 'Committee on Capacity Building' of Reserve Bank of India, the Bank has made it mandatory for the staff working in the specialized areas such as Treasury operations, Risk management, Accounting, Credit management. The Bank shall consider posting of staff members who obtain required certifications in the related specialized Departments/ on the desks at Head Office. **Bank will reimburse a lump sum amount of course fee (excluding GST) upto a maximum of Rs. 15000/- for one course only to those who attain the certification prescribed under Capacity Building in Banks.**

In view of MoF guidelines, Bank regularly conducts Webinars to reach out to all staff members of all branches/offices at the same time to train them in a short span.

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक अपने 50% स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इस दृष्टिकोण से, सी.बी.आर.टी., चण्डीगढ़, निब्सकॉम, नोएडा, एस.टी.सी., दिल्ली में सामान्य बैंकिंग एवं कंप्यूटर ज्ञान में 400 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक आंचलिक कार्यालय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिनमें विभिन्न वर्गों के 7601 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। शीर्ष स्तर पर 115 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

निब्सकॉम, नोएडा एवं एस.टी.सी., दिल्ली में नए पदोन्नत वरिष्ठ प्रबंधकों, प्रबंधकों एवं अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रत्यक्ष भर्ती: वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, तेजी से शाखाओं का विस्तार, निरन्तर व्यावसाय में वृद्धि और सेवानिवृत्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए, बैंक ने भर्ती आरम्भ की। बैंक की विभिन्न मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ती के लिए दोनो विशेषज्ञ एवं परीवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान, 3 राजभाषा अधिकारी, 1 आईटी अधिकारी और वेतनमान-1 में 134 परीवीक्षाधीन अधिकारी तथा लिपिकीय वर्ग में 445 एकल विंडो परिचालक-। ने बैंक में कार्यग्रहण किया।

औद्योगिक संबंध: बैंक में संपूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कामगार एवं अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास तथा अन्य विषयों पर प्रबंधन के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श में सहभागिता की और उनको सुलझाने के प्रयास किए गए। स्टाफ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवारों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार परिवार निवारण समिति का गठन भी किया गया है। बैंक हितों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न अदालतों/ट्रीब्यूनलों में लंबित सेवा से संबंधित मामलों की उचित निगरानी भी की गई।

आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोजगार: बैंक समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधित व्यक्तियों के हित एवं विकास के प्रति सांविधानिक सुरक्षा तथा सामाजिक लक्ष्य के प्रति बचनबद्ध है। बैंक भर्ती में पदों के आरक्षण के मामलों में आरक्षण नीति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी करने हेतु एक विशेष एससी/एसटी कक्ष की स्थापना की गई है। बैंक के एससी/एसटी कार्मिकों की सभी संबंधित मामलों में शिकायत निवारण के लिए तथा विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी जोकि महाप्रबंधक की रैंक का है, को पदनामित किया गया है।

दिनांक 31.03.2018 को अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों की क्रमशः संख्या 1884 और 595 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के कार्मिक संख्या निम्न है:

श्रेणी	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अन्यज पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सेवाकर्मी	दिव्यांग
अधिकारी	1176	498	1373	59	144
लिपिक	557	81	563	167	35
अधीनस्थ स्टाफ	151	16	28	42	9
कुल	1884	595	1964	268	188

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां तथा आर्थिक सहायता

हमारे बैंक में कार्मिकों के सेवाकाल के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने अथवा मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थापन पर अनुग्रह राशि का भुगतान करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने पात्र मामलों में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को वित्तीय सहायता के रूप में रु. 4.06 लाख का कुल भुगतान किया है।

कार्मिक कल्याण: बैंक के कार्मिकों को विकासशील गतिविधियों में प्रभावी सहभागिता करने हेतु उत्साहित एवं प्रोत्साहित करने के लिए, वेलफेयर ट्रस्ट स्टाफ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चला रहा है।

बैंक की ओर से बैंक के सभी कार्मिकों को उनके जन्म दिन पर स्मृति चिह्न/पहचान का प्रतीक

एक संस्था की सफलता और वृद्धि में कार्मिक की सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कार्मिक की सहभागिता के विभिन्न आयामों में एक, उसकी पहचान है। पहचान से एक व्यक्ति के साथ-साथ पूरी टीम को एक संदेश जाता है। बैंक का पक्का मत है कि एक सहभागिता करने वाला कार्मिक उच्च कार्यनिष्पादन करता है और उसके काम में लगाव और रुचि जागृत होती है। तदनुसार, कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण और गुडविल भावना दिखाते हुए, बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन के साथ कार्मिकों की सहभागिता के प्रति एक योजना आरम्भ की है। बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन के साथ बैंक की ओर से बैंक के सभी एवं प्रत्येक कार्मिक, चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, को उनके जन्म दिन पर रु. 200 (अधिकतम सीमा) का स्मृति चिह्न/पहचान का प्रतीक देने की योजना शुरू की है।

The Bank endeavored to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2017-18. With this in view, 400 programmes were conducted in General Banking & Computer knowledge at CBRT Chandigarh, NIBSCOM Noida, STC Delhi & Locational Trainings were conducted at Zonal Offices in various fields from 1st April 2017 to 31st March 2018, in which training was imparted to 7601 employees of different cadres. 115 Officers were imparted training at Apex Level.

Management Development Programme for newly promoted Senior Managers, Managers & Officers was conducted at NIBSCOM & STC Delhi.

Direct Recruitment: The Bank launched recruitment drive to cater to the challenges of superannuation, sustained business growth and rapid branch expansion during the financial year 2017-18. Recruitment of both the Specialist Officers and Probationary Officers was done to address the diverse manpower requirement of the Bank. During the year 2017-18, 3 Official Language Officer, 1 IT Officer, 134 Probationary Officers in Scale –I and 445 Single Window Operators-A in Clerical cadre have joined the Bank.

Industrial Relations: The Industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same. A Grievance Redressal Committee has been constituted as per the guidelines received from Ministry of Finance to redress the grievances raised by staff members. Proper monitoring of service matter cases pending in various courts/tribunals was done to safeguard Bank's interest.

Employment to Reserved Category Employees: Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and Other Backward Classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of posts in recruitments.

A special SC/ST cell has been set up in the Bank to monitor the Reservation & other provisions for SC/ST employees. An executive in the rank of General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC/ST employees and takes care of all matters of grievance redressal of SC/ST employees of the Bank.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1884 and 595 respectively on 31.03.2018. The staff strength under various reserved categories is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PWD
OFFICERS	1176	498	1373	59	144
CLERKS	557	81	563	167	35
SUB-STAFF	151	16	28	42	9
TOTAL	1884	595	1964	268	188

Compassionate Appointments and Financial Assistance to the Dependents of Deceased Employees

Our Bank is having scheme for compassionate appointment on compassionate grounds or payment of ex-gratia amount in lieu of compassionate appointment to eligible family of the deceased employee who dies while in service. During the financial year 2017-18, Bank has made total payment of Rs.4.06 lac towards financial assistance to the families of the deceased employees in eligible cases.

Staff Welfare: In order to motivate and encourage the staff for effective participation in development activities, the Welfare Trust of Employees is maintaining various welfare schemes for the staff.

Memento/Token of Recognition To All Employees of the Bank on their Birthdays on behalf of the Bank.

Employee engagement plays an important role in the success and growth of an organization. One of the various tools of employee engagement is **Recognition**. Recognition sends a powerful message to the individual as well as to the rest of the team. The Bank strongly believes that an engaged employee performs at a higher level and bring passion and interest to his/her job. Accordingly, with a view to motivate the employees and as a goodwill gesture, the Bank with the approval of the Board has launched a new scheme towards employee engagement in the Bank. The Bank with approval of the Board introduced a scheme of giving a memento/ token of recognition of approx. Rs.200 (maximum limit) on behalf of the Bank to each and every employee irrespective of his/her cadre on his/her Birthday.



एस.एम.जी.एस.-IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति टोकन राशि की मात्रा में वृद्धि तथा सेवानिवृत्ति पर सभी कार्मिकों को सेवानिवृत्त प्रतीक चिह्न/ट्राफी प्रदान करना: बैंक के निष्ठावानों को सम्मानित करने जिन्होंने बैंक की वृद्धि हेतु अथक परिश्रम करते हुए अपनी पद की गरिमा के साथ दायित्वों का निर्वाहन करने पर बोर्ड ने एस.एम.जी.एस.-IV एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति टोकन राशि की मात्रा में वृद्धि की है। आगे, एक कदम और, सेवानिवृत्ति पर सभी कार्मिकों को अधिकतम रु. 2,000 /— तक का पंजाब एण्ड सिंध बैंक का मेटालिक प्रतीक चिह्न/ट्राफी/बैज प्रदान करने का अनुमोदन किया गया, चाहे वे किसी भी कैडर से संबंधित हों। यह ट्राफी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को भी प्रदान की जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

- ग्राहकों को जिनके गलत प्रयासों के कारण इंटरनेट बैंकिंग अनुपलब्ध हो गई थी, "इनेबल/इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट" की कार्यप्रणाली उपलब्ध करा दी गई है।
- ई-केवाईसी वर्जन 2.1 लागू कर दिया गया है।
- मुद्रा खातों के लिए इंटरनेट बैंकिंग आरम्भ कर दी गई है।
- ग्राहकों हेतु कैश क्रेडिट खाते में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. सुविधा शुरू कर दी गई है।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में प्रत्येक स्तर पर सुपरिभाषित दायित्वों के साथ आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली है। यह आंतरिक लेखा परीक्षण निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग के माध्यम से परिचालित करती है। कार्यकारियों की लेखा परीक्षा समिति, जोकि प्रथम स्तरीय समिति है, निरीक्षण और लेखा परीक्षण कार्य देखती है।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रणाली पहचान, नियंत्रण प्रबंधन जोखिमों की आंतरिक लेखा परीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंक लेखा परीक्षण करता है जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण, प्रबंधन लेखा परीक्षण और निरीक्षण (एमएआई) और ऋण लेखा परीक्षण जिसके द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। बैंक की व्यवसायिक ईकाइयां/कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण के अधीन है और प्रबंधन लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के क्षेत्र में 24 आंचलिक कार्यालय एवं 29 प्रशासनिक कार्यालय आते हैं और नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, के अतिरिक्त उसके निष्पादन की गुणवत्ता और रु. 3 करोड़ एवं उससे अधिक के ऋण जोखिम बाह्य सनदी लेखाकारों के लेखा परीक्षण के अधीन आते हैं। बैंक पंजीकृत कानूनी सलाहकारों के माध्यम से लीगल लेखा परीक्षण करता है। निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग के पास विशेष कक्ष है जो आंकड़ों की निगरानी ऑफसाइट निगरानी यूनिट (ओ.एम.यू.) द्वारा करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक की 1261 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया, 423 शाखाओं/कार्यालयों को समवर्ती लेखा परीक्षण प्रणाली के अधीन लाया गया, 126 शाखाओं/कार्यालयों में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण किया गया और समवर्ती लेखाकारों/लेखाकारों एवं आंतरिक स्टाफ की सेवाएं लेते हुए 822 शाखाओं के राजस्व लेखा परीक्षण किए गए।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग लोक उत्पीड़न/शिकायतों के निवारण की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान 5837 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 46 शिकायतें निवारण हेतु प्रक्रिया में हैं। बैंकिंग लोकपाल ने वर्ष के दौरान बैंक के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दिया।

सारांश में, बैंक का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग अपने बोर्ड, नियामक एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं प्रणाली का प्रभावी रूप से निगरानी करने हेतु अनुपालन कर रहा है।

अनुपालन कार्यकलाप: मुख्य अनुपालन अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। निदेशक मण्डल की अनुमोदित अनुपालन नीति के अनुसार स्वतन्त्र अनुपालन विभाग कार्य करता है। अनुपालन विभाग संबंधित व्यवसायिक विभागों को नियामक दिशा-निर्देशों को प्रेषित करता है और निदेशक मण्डल/ए.सी.बी. के समक्ष अनुपालन की स्थिति को प्रस्तुत करता है। अनुपालन जांच एवं स्वयं प्रमाणीकरण के माध्यम से विभिन्न नियामक/सांविधिक दिशा-निर्देशों एवं कोडों के अनुपालन को अनुपालन विभाग सुनिश्चित करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, भा.रि. बैंक की एस.एस.एम. टीम ने 22 मई, 2017 से 07 जुलाई, 2017 तक पर्यवेक्षण मूल्यांकन (आई.एस.ई.) करने के लिए ऑन साइट निरीक्षण किया और जोखिम को न्यूनतम (आर.एम.पी.) करने की योजना के साथ दिनांक 31.03.2017 की जोखिम आंकलन रिपोर्ट (आर.ए.आर.) प्रस्तुत की। बैंक एसएसएम, भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि. बैंक) के समन्वय के साथ जोखिम को न्यूनतम करने की योजना (आर.एम.पी.) को लागू करने पर कार्य कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, भा.रि. बैंक अथवा अन्य किसी नियामक निकाय द्वारा बैंक के विरुद्ध कोई नियामक दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

Enhancement in quantum of Retirement Token amount being given to Officers in SMGS-IV and Above and Presenting Retirement Memento/Trophy to all Employees on Retirement: In view of honoring the stalwarts of the Bank who have worked tirelessly to work for the growth of the Bank by shouldering the responsibilities their position demands, the Board approved to enhanced the quantum of retirement token amount given to officers in SMGS-IV and above. Further, as a step ahead it was approved to present a metallic memento/trophy/plaque of Punjab & Sind Bank for amount not exceeding Rs.2000/- (Inclusive of taxes) to all staff members on their superannuation irrespective of their cadre. The trophy will also be presented to Executive Directors and Chairman & Managing Director on their superannuation.

INFORMATION TECHNOLOGY

- "Enable/Activate Internet Banking" functionality has been provided for customers to activate their user accounts whose Internet Banking is disabled due to wrong attempts.
- Implementation of E-KYC version 2.1.
- Internet Banking for Mudra Accounts has been started/enabled.
- NEFT/RTGS facility in CC Accounts has been provided for customers.

INTERNAL CONTROLS

"The Bank has in-built control systems with well-defined responsibilities at each level. It conducts internal audit through its Inspection & Audit Department. Audit Committee of Executives, being first tier Committee oversees the Inspection & Audit function.

The inspection & audit system plays an important role in identification, control and management risks through internal audit functions. The Bank carries out audits-like Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit (CCA), IS Audit, Management Audit & Inspection (MAI) and Credit Audit through which different facets of Internal Audit requirements are covered. The Bank's business units/offices are subjected to RBIA, CCA & IS Audit and Bank's Management Audit & Inspection covers 24 Zonal Offices & 29 Administrative Offices and examines policies and procedures, besides quality of execution thereof and credit exposures of Rs. 3.00 crore & above are subjected to Credit Audit by external Auditors. The Bank conducts the legal audit through empaneled legal advisors. The Inspection and Audit Department has special cell for monitoring data through Offsite Monitoring Unit (OMU).

During FY 2017-18, Risk Based Internal Audit was concluded in 1261 branches of the Bank, 423 branches/offices were brought under Concurrent audit system, Information System Audit was conducted in 126 branches/offices and 822 Branches were subjected to Revenue audit by engaging services of CAs/CA firms and internal staff.

The Inspection Department is monitoring redressal of public grievances/complaints. During FY 2017-18, 5837 complaints were received of which 46 complains are in process for redressal. The Banking ombudsman no award against the Bank during the year.

To summarize Bank's Inspection & Audit Department has been effectively monitoring the compliance of the system & procedures laid down by its own Board, the Regulator and Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION: Compliance Department is working under the guidance and supervision of Chief Compliance Officer. The independent Compliance Department works as per Board approved Compliance Policy. Compliance Department disseminates the regulatory guidelines to respective business departments and places the status of compliance before Board/ ACB. Compliance Department ensures the compliance of various regulatory/statutory guidelines & codes by the way of self-certification and compliance testing.

During the FY 2017-18, RBI SSM team conducted on-site Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) from May 22 to July 07, 2017 submitted its Risk Assessment Report (RAR) as on 31.03.2017 along with Risk Mitigation Plan (RMP). Bank is working in co-ordination with the SSM, Reserve Bank of India (RBI) to implement the Risk Mitigation Plan (RMP).

During the FY 2017-18, no regulatory penal action was taken against the Bank by RBI or any other regulatory bodies.

जन-संपर्क

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने कॉर्पोरेट स्तर पर सार्वजनिक रूप से अपनी छवि को मजबूत करने के लिए एक मल्टी मीडिया रणनीति अपनाई और तदनुसार प्रचार-प्रसार संपूर्ण देश के विभिन्न दर्शकों को परिलक्षित कर अपने उत्पादों, निविदा, वित्तीय और अन्य प्रदर्शन, विज्ञापन आदि को विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया गया। प्रचार-प्रसार बजट और इसकी उपयोगिता को विकेंद्रित कर ऑचलिक प्रबंधकों को शक्ति प्रदान की गई ताकि वे स्थानीय क्षेत्र के व्यापारिक क्षमताओं को देखते हुए प्रचार साधनों के निर्णय और नियमित एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए योग्य मामलों पर अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकृति प्रदान कर सकें।

प्रधान कार्यालय स्तर पर बैंक ने बाह्य प्रचार उपकरणों अर्थात् प्रायोजक तथा बैनरों एवं होर्डिंगों का उपयोग उच्च महत्व के प्रचार जैसे गुरुपर्व महोत्सव, सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट, पटना साहिब, बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर भाई वीर सिंह साहित्य सदन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में सहभागिता, विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा ओलंपियाड में सहभागिता, एसएआरएस मेला में सहभागिता एवं अमृतसर एयरपोर्ट पर होर्डिंग्स द्वारा औद्योगिक प्रचार तथा वाघा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक बैंक की पहुँच का विस्तार किया गया। बैंक ने अपने परंपरागत कैलेंडर 2018 जोकि वृहत् रूप में बैंक के ग्राहकों और शुभचिंतकों में बाँटा गया, के द्वारा अत्यधिक प्रचार पाया और प्रिंट मीडिया में बैंक की प्रेस विज्ञप्तियों को स्थान मिलने से इस क्षेत्र में अच्छा प्रचार-प्रसार हुआ है।

बैंक को इन सभी गतिविधियों से राष्ट्र की सेवा में स्वयं को पुनः समर्पित करने और प्रचार-प्रसार क्षेत्र में बड़ी सफलता अर्जित करने हेतु सक्षम किया।

सतर्कता

सतर्कता प्रशासन के ज्ञान में संवृद्धि करने तथा संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तथा कार्यक्षेत्र स्तर पर सतर्कता को उत्पन्न करने एवं पोषित करने की नीति और अन्य प्रथाओं अथवा स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं करने पर कार्यरत स्टाफ को शिक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय जैसे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निरोधात्मक सतर्कता पर एक व्याख्यान को सम्मिलित करने, पीएसबी विजिल (तीसरा अंक) में निरोधात्मक सतर्कता पर विभिन्न लेखों को सम्मिलित करने आदि को लागू किया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक केंद्रीय विषय-वस्तु "मेरी दूरदर्शिता - भ्रष्टाचार मुक्त भारत" पर सत्य निष्ठा के साथ सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया। कार्यक्रम के दौरान सतर्कता समाचार पत्र "करें और न करें" का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंक स्तर पर संपूर्ण देश में ग्राम सभाओं/स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें एक लाख से अधिक सहभागियों ने सहभागिता की। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों की गई जिनमें - वाद-विवाद, वक्तृत्व, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, रैलियां, सेमीनारों/कार्यशालाओं, पैदल यात्राओं, साईकिल यात्राओं, रोड शो, मोबाईल वैनो के माध्यम से जागरुकता, स्वास्थ्य कैंपों, पैम्पफलेटों/के वितरण/बैनरों, जर्नल/न्यूज लैटर जारी कर, स्लोगन प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं आदि सम्मिलित थीं। इन कार्यक्रमों में उपस्थित रह कर, समाज के विशिष्ट व्यक्तियों ने शोभा बढ़ाई। स्टाफ सदस्यों/बैंक के ग्राहकों/आम जनता को बैंक की वेब साईट पर उपलब्ध यू.आर.एल. के माध्यम से ई-शपथ लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 15000 से अधिक व्यक्तियों ने सहभागिता की और संपूर्ण देश में ई-शपथ सुविधा का लाभ उठाया।

सतर्कता विभाग द्वारा कुछ शाखाओं की सामान्य शीर्षों, निष्क्रिय खातों, के.सी.सी. एवं मीयादी ऋण खातों आदि में लेन-देन की ऑफ साईट निगरानी के आधार पर, कुछ अनियमितताएं और संदेहास्पद लेन-देन पायी गई। तदनुसार, सतर्कता विभाग की जानकारी के आधार पर बैंक ने प्रत्येक अंचल से दो अधिकारियों को नामित करने का निर्णय लिया जो निरोधात्मक सतर्कता उपाय के तौर पर शाखा के लेन-देन की नियमित निगरानी करेंगे।

दंडात्मक सतर्कता

जैसा कि प्रचलन में है, इस वर्ष भी सभी अनुशासनात्मक प्राधिकारियों/नियंत्रकों की सक्रिय सहभागिता और माननीय सी.वी.सी./अन्य सरकारी अधिकरणों के समन्वय से, अनिर्णीत अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों में कमी लाने के लिए विशेष जोर दिया गया जो निम्न से परिलक्षित है:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अनिर्णीत सतर्कता(आरडीए) मामले	70	58	49	54*
अनिर्णीत सीवीसी संदर्भित मामले	01	00	00	00
जारी आरोप पत्र	63	56	53	62
ओडीआई सूची में अधिकारियों की संख्या	120	98	81	75

* उक्त 54 मामलों में से, दिनांक 31.03.2018 से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को 05 मामलों में दूसरे स्तर की सलाह दी जा चुकी है और इनको आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने पर जल्दी ही निस्तारित कर दिया जाएगा।

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During the financial year 2017-18, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in Public at corporate level and accordingly publicity was made through the print media by release of its product, tender, financial and other display/notice ads in different newspapers, magazines and souvenirs targeting various audiences all over the country. The publicity budget and its utilization was decentralized empowering the Zonal Heads to decide the means of the publicity depending upon the business potential of the local area, to sanction the deserving cases under their discretionary powers for proper and effective control.

The Bank at HO level used outdoor publicity tools i.e. Sponsorship and Display of Banners & Hoardings on events of high publicity value e.g. Gurpurab celebrations, Surjit Hockey Tournament, participation in Exhibition organized by Bhai Vir Singh Sahitya Sadan on Sri Guru Gobind Singh Ji at Patna Sahib, Bihar, participation at National Talent Olympiad for students with special needs, participation at SARAS Mela and also corporate publicity through hoardings at Amritsar Airport and at Wagha International Border facilitated extension of outreach of the Bank. The Bank also received immense publicity through Bank's traditional Wall Calander 2018 which was widely distributed among clients and well wishers of the Bank and the Bank also earned well deserved publicity by way of coverage of its press releases by the print media.

All these activities facilitated the Bank to rededicate itself to the service of the nation and enabled it to earn a well deserved mileage on the publicity front.

VIGILANCE

With the aim to sensitize and enrich the knowledge of Vigilance Administration and in order to inculcate and nurture a culture of alertness at the ground level and to educate the operating staff for curbing non-observance of the laid down procedures or other malpractices. Various measures like lectures on Preventive Vigilance in training programmes, release of PSB Vigil (IIIrd Volume) incorporating various articles on Preventive Vigilance etc. were implemented.

During the year 2017-18, the Bank observed Vigilance Awareness Week with the central theme "My vision – Corruption Free India" from 30.10.2017 to 04.11.2017 in true spirit. During the programme Vigilance News Letter "DOs & DON'Ts" was also released. Besides, different programmes were also organized at the Bank level across the country at Gram Sabhas / schools and colleges which were attended by over one lakh participants. Various activities were performed during Vigilance Awareness Week including -Debates, Elocution, Quiz programmes, Rallies, Seminars / Workshops, Walkathons, Cyclothons, Road shows, Awareness through Mobile Vans, health camps, Distribution of Pamphlets/Banners, Issue of Journal/ Newsletter, Slogan Competition, Essay Writing Competition etc. These programmes were graced by eminent personalities of the society. The staff members / customers of the Bank/ general public were encouraged to have E-Pledge through URL provided on Bank's web site, which resulted in participation of more than 15000 people and availed E-Pledge facility across the nation.

On recommendations of Vigilance Department, Bank has decided to nominate two nodal officers for each zone who will regularly monitor transactions in Nominal heads, Dormant accounts, Inoperative Accounts at Branch level, as Preventive vigilance measure.

PUNITIVE VIGILANCE

As in vogue, this year also special thrust was given to reduce the pendency of disciplinary action cases, with the active involvement of all the Disciplinary Authorities (DAs) / Controllers and with proper coordination with the Hon'ble CVC / other Govt. Agencies, which is evident from the following details:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Vigilance (RDA) Cases pending	70	58	49	54*
Pending CVC referred Complaints	01	00	00	00
Charge Sheet issued	63	56	53	62
No. of officials in the ODI List	120	98	81	75

*Out of these 54 cases, 2nd stage advices have been conveyed in 5 cases to the respective Disciplinary Authorities before 31.03.2018 and the same shall be disposed off shortly after following the due process.



सुरक्षा: बैंक की संस्थागत संरचना के अंतर्गत बैंक का एक सुस्थापित सुरक्षा कवच है। प्र.का. सुरक्षा विभाग सभी मुद्रा पेटिकाओं और शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है तथा तदनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बना रहा है ताकि प्रभावी, नई एवं अभेद्य सुरक्षा प्रणाली द्वारा वर्तमान सुरक्षा की चुनौतियों से निपटा जा सके। भारि. बैंक/भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगभग सभी शाखाओं में सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है।

आंचलिक सुरक्षा अधिकारी प्रचलन में सुरक्षा व्यवस्थाओं का आंकलन करने के लिए शाखाओं का आवधिक सुरक्षा परीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अतिरिक्त निरोधात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुशंसा करते हैं। वे प्रशासनिक और कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ नजदीकी संबंध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा प्रधान कार्यालय के अन्य अधिकारीगण भी मुद्रा पेटिकाओं का सुरक्षा परीक्षण कर रहे हैं और बैंक की अति संवेदनशील शाखाओं के औचक दौरे भी कर रहे हैं।

भारि. बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की सभी मुद्रा पेटिकाओं में अधिगम (Access) नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया गया है। मुद्रा पेटिका के स्ट्रांग कक्ष तक पहुँच (एक्सेस) को नियंत्रित करने हेतु एक उचित प्रणाली तथा पेटिका के वाल्ट कक्ष में प्रवेश/निकास संबंधी प्रविष्टि के उचित अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है।

सभी शाखाओं और मुद्रा पेटिकाओं में सुरक्षा अलार्म प्रणाली स्थापित है। अधिकांश शाखाओं में भारि. बैंक के विनिर्दिष्टों के अनुरूप स्ट्रांग कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक की कुल 12 (बारह) मुद्रा पेटिकाएँ हैं और सभी को राज्य के पुलिस गार्डों द्वारा अभिरक्षा प्रदान की जा रही है। बैंक की सभी शाखाओं में सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सभी नकदी का विप्रेषण सशस्त्र गार्डों की अभिरक्षा में होता है।

सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा पर रिक्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

खतरे की चेतावनी, नकदी की मात्रा, मूल्यवान वस्तुओं और निरंतर नगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सभी मुद्रा पेटिकाओं, शाखाओं और ए.टी.एम. में सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

भारतीय लेखा मानकों को लागू करना:

भारि. बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.76/21.07.001/2015-16 जारी किया है जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को 01 अप्रैल, 2018 से आरम्भ हो रही लेखा अवधि से आगे, समाप्त हो रही अवधियों की तुलना में या 31 मार्च, 2018 के पश्चात। इंड ए.एस. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणियों तथा समेकित वित्तीय विवरणियों पर लागू होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 05 अप्रैल, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपनी प्रथम मौद्रिक नीति के कथन में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) हेतु एक वर्ष के लिए अस्थगित कर दिया है ताकि 01 अप्रैल, 2019 से इंड ए.एस. को लागू किया जा सके, 01 अप्रैल, 2018 से आरम्भ हो रहे वर्ष की तुलना के साथ।

वर्तमान में बैंक अपनी प्रक्रिया एवं प्रणाली में किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान करने की प्रक्रिया में है और तकनीकी हल तलाश रहा है।

आगे, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने 30 सितंबर, 2016 को समाप्त अर्द्ध-वार्षिकी तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 की 30 जून, 2017 की तिमाही संबंधित स्टैंडएलोन प्रारूप इंड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के साथ अन्य अभिकलनों को भारि. बैंक को प्रेषित कर दिया है।

राजभाषा कार्यान्वयन: वर्ष 2017-18 राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। इस वर्ष हमारे बैंक को क क्षेत्र के लिए राजभाषा का सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति शील्ड (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह (आईएस) ने माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री राम कोविंद जी के कर कमलों से 14.09.2017 को विज्ञान भवन में भव्य आयोजन में प्राप्त किया। इसके साथ ही बैंक की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को दिल्ली के सभी बैंकों के लिए बनाई गई समिति (दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। दिल्ली बैंक नगराकास द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरबैंक प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक को कुल 16 पुरस्कार प्राप्त हुए जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में बेहतर काम करने के लिए बैंक को लुधियाना, दिल्ली, बरेली, भोपाल, पटियाला, चंडीगढ़, गाँधी नगर तथा दुर्ग(भिलाई) छत्तीसगढ़ में भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्डें प्रदान की गईं।

SECURITY: The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. The H.O. Security department has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer and other officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also undertake random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all Currency Chests of the Bank has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency Chest Strong Rooms and proper records of entry into / exit from the Vault Room of the chest is being maintained.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of branches.

The Bank has a total of 12 (twelve) currency chests and all of them are being guarded by the State Police guards. All the branches of the Bank are provided with armed guards. All cash remittances are escorted by armed guards.

All the Security Officers undergo refresher training on security, once in a year.

Keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance, CCTV Surveillance System have been installed at all the Currency chests, Branches & ATMS.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The Reserve Bank of India issued a circular DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 on February 11, 2016, requiring scheduled commercial banks to comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for periods ending on or after March 31, 2018. Ind AS would be applicable to both Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements.

RBI, on April 5, 2018, through its first monetary policy statement for FY2018-19, deferred Ind AS implementation for the scheduled commercial banks (excluding RRBs) by one year such that the implementation of Ind AS would begin from April 1, 2019 onwards, with comparatives for the year beginning April 1, 2018.

The Bank is currently in the process of identifying the changes required to be made to its systems and processes and is evaluating technology solutions.

Further, as per Reserve Bank of India (RBI) directions, the Bank submitted Standalone *proforma* Ind AS financial statements along with other computations to the RBI for the half-year ended September 30, 2016 and for the quarter ended June 30, 2017 in FY 2017-18, as required.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE: The year 2017-18 was a year of achievements in view of implementation of official language. This year, our bank received the highest award Kirti Shield (first prize) for implementation of official language in A region. On 14.09.2017 at Vigyan Bhawan in the grand ceremony our bank's Chairman and Managing Director, Mr. Jatinderbir Singh (IAS) received the award from Hon'ble President Shri Ram Kovind ji. Simultaneously, the bank's Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur' was awarded second prize by the committee formed for all the banks of Delhi (Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee) and also received an incentive award for the implementation of official language at Head office. During the year, our bank received a total no. of 16 awards in different interbank competitions organized by different banks under Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee, is a record. Besides this, Bank was also awarded Rajbhasha Shields in Ludhiana, Delhi, Bareilly, Bhopal, Patiala, Chandigarh, Gandhi Nagar and Durg (Bhilai) Chhattisgarh by respective Town Official Language Implementation Committees for better Implementation of Official Language in banking sector.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। हिंदी को अनुवाद के कटघरे से बाहर निकालकर राजभाषा कार्यान्वयन को परियोजना कार्यान्वयन के सिद्धांतों के आधार पर प्रचलित और प्रसारित किया गया। कुल 85 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 1496 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 603 शाखाओं में आयोजित डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2793 कर्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण भी दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 691 शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण किए गए।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की विशेष उपलब्धि यह भी रही है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 'राजभाषा अंकुर' पत्रिका के रचनाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में आशातीत वृद्धि की गई है। वर्ष 2017-18 में प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता स्टाफ-सदस्यों को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए गए। उसी प्रकार यह नकद पुरस्कार आंचलिक कार्यालय स्तर पर भी आरंभ किए जाने प्रस्तावित है।

सामान्य प्रशासन:

अप्रैल, 2017 में कार्यालय भवन का रंजीत नगर में निर्माण पूर्ण हो चुका है और अभी तक शाखा कार्यालय, रंजीत नगर और आर.सी.सी., दिल्ली परिसर में स्थान्तरित हो चुके हैं और बैंक हाउस भवन का नवीकरण कार्य (बेसमेंट को छोड़ कर) जुलाई, 2017 में पूर्ण हो चुका है। प्रधान कार्यालय के बेसमेंट के नवीकरण और बाहरी सौन्दर्य हेतु निविदा जारी की जा चुकी है और नवीकरण/बाह्य सौन्दर्य का कार्य प्रगति पर है।

निदेशक मंडल का गठन

31 मार्च, 2018 के अनुसार, निदेशक मंडल में दो कार्यकारी निदेशकों के अतिरिक्त सात अन्य निदेशकों जिसमें वित्त-मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों, दो शेयरधारक निदेशकों तथा एक अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक जो सनदी लेखाकार वर्ग से तथा दो अन्य अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के बोर्ड निदेशकों के नियोजन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

समावेशन

- श्री गोविन्द एन डोंग्रे को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 09.10.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 4/5/(2) 2017-बीओ-1 के माध्यम से नियुक्त किया गया।
- श्री एस. सेल्वाकुमार को बैंक का वित्त मंत्रालय नामित निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 17.08.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 6/3/2012-बीओ-1 के माध्यम से नामित किया गया।
- श्री एस.आर. घेडीया को बैंक का अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, सनदी लेखाकार वर्ग के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 6/1/2015-बीओ-1 के माध्यम से नामित किया गया।
- श्री मधु सूदन दादू को बैंक का अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.न. 6/1/2015-बीओ-1 के माध्यम से नामित किया गया।
- दिनांक 01.07.2017 को श्री हर्ष बीर सिंह को शेयरधारकों के मध्य से शेयरधारक निदेशक चुना गया।
- दिनांक 01.07.2017 को श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता को शेयरधारकों के मध्य से शेयरधारक निदेशक चुना गया।

सेवा समाप्ति

- श्री जतिन्दर बीर सिंह ने दिनांक 31.12.2017 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया अर्थात् महीने का अंतिम दिन जिस दिन उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की।
- श्री मुकेश कुमार जैन, बैंक के कार्यकारी निदेशक को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या एफ.न. 4/4/2016-बीओ/1(Vol-II) के माध्यम से ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. नियुक्त किया।
- श्री एस.आर. मेहर, वित्त मंत्रालय नामित निदेशक ने दिनांक 17.08.2017 तक निदेशक मंडल में रहे।
- श्री एम.एस. सारंग ने दिनांक 30.06.2017 को शेयरधारक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री एस.पी. बबूता ने दिनांक 30.06.2017 को शेयरधारक निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

During the financial year 2017-18, Bank made significant progress in implementation of official language Policy of Govt. of India for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. The implementation of official language was prevalent and extended on the basis of the principles of project implementation by taking out Hindi from the balustrade of translation. A total of 85 workshops were organized, in which 1496 staff members were trained. Besides this, in 603 Hindi Desk Training Programmes, 2793 staff members were imparted training for using official language and Unicode training on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in 691 Branches / offices.

The special achievement of financial year 2017-18 is that from the financial year 2018-19, the honorarium amount given to the writers for writing in Rajbhasha Ankur Magazine has been enhanced as per experience. In the year 2017-18, at Head office level, attractive cash prizes were also given to the winners participated in different competitions for initiating implementation of official language. Similarly, this system is proposed to be started at the Zonal office level also.

GENERAL ADMINISTRATION:

Construction of Office Building at Ranjit Nagar was completed by **April'2017** and as on date B/O Ranjit Nagar & RCC, Delhi has shifted to the premises and renovation of Bank House Building (except basement) was completed by **July'2017**. The tender for the renovation of Basement and External beautification of the HO Building was floated and renovation/ External beautification work is in process

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2018, the Board comprised of two Executive Directors besides seven other Directors including representatives from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, two Share Holder Directors and one Part Time Non Official Director under CA category and two other Part Time Non Official Directors.

The constitution of Bank's Board of Directors underwent following changes during the year 2017-18:

INCLUSIONS

- Sh. Govind N Dongre was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5(2)/2017-BO.I dated 09.10.2017.
- Sh. S Selvakumar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/3/2012-BO.I dated 17.08.2017.
- Sh. S R Ghedia was nominated as Non Official Part Time Director under CA category vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Madhu Sudan Dadu was nominated as Non Official Part Time Director vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Harsh bir Singh was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017
- Sh. T R Mendiratta was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017

CESSATIONS

- Sh. Jatinderbir Singh completed his term as Chairman and Managing Director of the Bank on 31.12.2017 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.
- Sh. Mukesh Kumar Jain, Executive Director of the Bank was appointed as Managing Director & CEO, Oriental Bank of Commerce vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F. No. 4/4/2016-BO/I(Vol.II)
- Sh. S R Mehar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank upto 17.08.2017
- Sh. M S Sarang completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.
- Sh. S P Babuta completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.



कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य-प्रणाली बैंक के पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं, जोखिम प्रबंधन कार्य-प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा प्रभाग तथा स्वतन्त्र सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है।

बैंक निगमित प्रशासन से संबंधित मामले में सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच केन्द्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व की विवरणी

निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करने में –

- लागू लेखा-मानकों के साथ-साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है, का पालन किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों को नियमित रूप से लागू किया गया है।
- वित्तीय-वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए हैं।
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण के लिए उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया है तथा खातों को अविरल प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षण: जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है, बैंक ने समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018 के लेखांकन वर्ष हेतु मैसर्स धवन एण्ड कम्पनी, नई दिल्लीय मैसर्स दविंदर पाल सिंह एण्ड कम्पनी, मोहाली, मैसर्स एस. मान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली तथा मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कंपनी, चण्डीगढ़ को केन्द्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।

अभिस्वीकृतियां:

बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सदभावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।

निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ-सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16 मई, 2018

फरीद अहमद

कार्यकारी निदेशक

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors.

The Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which have been examined by the Statutory Central Auditors.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENTS

The Directors confirm that in preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2018:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2018.
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

STAUTORY AUDIT : As approved by Reserve Bank of India, the Bank has appointed M/s Dhawan & Co., New Delhi and M/s Davinder Pal Singh & Co., Mohali, M/s S Mann & Co, New Delhi and M/s Baldev Kumar & Co Chandigarh as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2018.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors of the Bank thanks valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and continued support.

The Directors also acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges of various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

The Directors place on record their deep appreciation for the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the corporate goals in years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 16 May, 2018

Fareed Ahmed

Executive Director

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट (2017-18)

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के साथ शेयर-धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कंपनी प्रबंधन पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत कंपनी निकाय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन) अधिनियम 2015 का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2018 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या अर्थात् बैंक के अतिरिक्त	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उपसमितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	शून्य	13	शून्य	शून्य	*
2.	श्री गोविंद एन जोग्रे	कार्यकारी निदेशक	शून्य	12	शून्य	शून्य	**
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार	निदेशक – वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	10	शून्य	शून्य	***
4.	श्री पी.के. जेना	निदेशक- भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	4	शून्य	शून्य	@
5.	श्री एस.आर. घेडीया	गैर-आधिकारिक श्रेणी – सनदी लेखाकार श्रेणी	शून्य	5	शून्य	शून्य	@@
6.	श्री अतनु सेन	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	6	5	1	#
7.	श्री मधु सूदन दादू	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	5	2	2	##
8.	श्री हर्षबीर सिंह	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	1057	5	शून्य	शून्य	\$
9.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	100	6	शून्य	शून्य	\$\$

* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 की सं. एफ.नं.4/5(6)/2016-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु पदग्रहण करने की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2017-18)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2018 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2018	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank)
1.	Sh. Fareed Ahmed	Executive Director	NIL	13	NIL	NIL	*
2.	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	NIL	12	NIL	NIL	**
3.	Sh. S Selva Kumar	Director – MOF Nominee	NIL	10	NIL	NIL	***
4.	Sh. P K Jena	Director – RBI Nominee	NIL	4	NIL	NIL	@
5.	Sh. S R Ghedia	Non Official Category - CA Category	NIL	5	NIL	NIL	@@
6.	Sh. Atanu Sen	Non-Official Director	NIL	6	5	1	#
7.	Sh. Madhu Sudan Dadu	Non-Official Director	NIL	5	2	2	##
8.	Sh. Harsh Bir Singh	Non-Official Director (Shareholder Director)	1057	5	NIL	NIL	\$
9.	Sh. T R Mendiratta	Non-Official Director (Shareholder Director)	100	6	NIL	NIL	\$\$

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5(6)/2016-BO.I dated 16th February 2017 as Executive Director for a period of three years from the date of his taking over charge of the post , or until further orders, whichever is earlier.

- **** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की सं. एफ.नं. 4/5/(2)/2017-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त 31.03.2020 तक के प्रभारी होने की तारीख अर्थात् उनके सेवा निवृत्त होने की तारीख अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- ***** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2017 की सं. एफ.नं. 6/3/2012-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- @** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मई, 2013 की सं. एफ.नं. 6/34/2013-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- @@** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर, 2017 की सं. एफ.नं. 6/1/2015-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (जी) के तहत उनकी नियुक्ति की सूचना की तिथि से 3 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त।
- #** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2016 की सं. एफ.नं. 6/24/2015-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3-ए) के तहत उनकी नियुक्ति की सूचना की तिथि से 3 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक इनमें जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- ##** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर, 2017 की सं. एफ.नं. 6/1/2015-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के तहत उनकी नियुक्ति की सूचना की तिथि से 3 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक इनमें जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त।
- \$** शेयरधारकों के मध्य से, केंद्र सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।
- \$\$** शेयरधारकों के मध्य से, केंद्र सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए :

(क) नियुक्ति -

- श्री गोविंद एन डोंगरे को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 09.10.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं. 4/5(2)/2017-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री एस सेल्वाकुमार को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 17.08.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/3/2012-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के नामांकित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- श्री एस.आर. घेडीया को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/1/2015-बी.ओ.-1 द्वारा सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- श्री मधु सूदन दादू को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 27.12.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/1/2015-बी.ओ.-1 द्वारा गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- श्री हर्ष बीर सिंह को पंजाब और सिंध बैंक के शेयरधारकों में से दिनांक 01.07.2017 को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।
- श्री टी.आर. मेंदीरत्ता को पंजाब और सिंध बैंक के शेयरधारकों में से दिनांक 01.07.2017 को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।

- ** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/(2)/2017-BO-I dated 9th October 2017 as Executive Director w.e.f. the date of his taking over charge of the post upto 31.03.2020 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.
- *** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 17th August 2017 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @@ Appointed as non official Part Time Director under Chartered Accountant category in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (g) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- # Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/24/2015-BO-I dated 28th January 2016 under sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- ## Appointed as non official Part Time Director in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (h) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- \$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.
- \$\$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.

2.2 Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2017-2018:

[A] Appointment:

- Sh. Govind N Dongre was appointed as Executive Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 4/5(2)/2017-BO.I dated 09.10.2017.
- Sh. S Selvakumar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/3/2012-BO.I dated 17.08.2017.
- Sh. S R Ghedia was nominated as Non Official Part Time Director under CA category vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Madhu Sudan Dadu was nominated as Non Official Part Time Director vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/1/2015-BO.I dated 27.12.2017
- Sh. Harsh bir Singh was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017
- Sh. T R Mendiratta was elected as Director from amongst the Shareholders of Punjab and Sind Bank on 01.07.2017

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

- श्री जतिंदरबीर सिंह ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 31.12.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया अर्थात् महीने के अंतिम दिन जब उन्होंने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की।
- बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री मुकेश कुमार जैन को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 14.07.2017 की अधिसूचना संख्या एफ.नं. 4/4/2016-बी.ओ./I(Vol-II) द्वारा ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें दिनांक 15 जुलाई, 2017 पूर्वाह्न बैंक से कार्यमुक्त कर दिया गया।
- श्री एस आर मेहर बैंक के बोर्ड में दिनांक 17.08.2017 तक वित्त मंत्रालय द्वारा नामांकित निदेशक रहे।
- श्री एम एस सारंग ने शेयरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 30.06.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री एस पी बबूता ने शेयरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 30.06.2017 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

2.3 वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय:

श्री गोविंद एन डोंगरे

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री गोविंद एन डोंगरे
2.	पिता का नाम	श्री नारायण जी डोंगरे
3.	जन्म तिथि एवं आयु	26/03/1960 तथा 58 वर्ष
4.	वर्तमान पता	ई.डी. कार्यालय, बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	govindndongre@psb.co.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एमएससी (हॉर्टिकल्चर), सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक
8.	अनुभव	भूतपूर्व महाप्रबंधक, विजया बैंक
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

श्री एस सेल्वाकुमार

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एस. सेल्वा कुमार
2.	पिता का नाम	श्री सीरंगनारयण
3.	जन्म तिथि एवं आयु	10/07/1968 तथा 49 वर्ष
4.	वर्तमान पता	आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, उत्तरी ब्लॉक, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	js&abc@nic.in
6.	शैक्षिक योग्यता	एमआईआई, एलएलबी, एमए, अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
8.	अनुभव	लोक प्रशासन
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

[B] Outgoing Directors during the year:

- Sh. Jatinderbir Singh completed his term as Chairman and Managing Director of the Bank on 31.12.2017 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.
- Sh. Mukesh Kumar Jain, Executive Director of the Bank was appointed as Managing Director & CEO, Oriental Bank of Commerce vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F. No. 4/4/2016-BO/I(Vol.II) dated 14.07.2017 and was relieved from Bank on forenoon of 15th July, 2017
- Sh. S R Mehar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank upto 17.08.2017
- Sh. M S Sarang completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.
- Sh. S P Babuta completed his term as Shareholder Director on 30.06.2017.

2.3 Profile of Director appointed during 2017-18:**Sh. GOVIND N DONGRE**

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. GOVIND N DONGRE
2.	FATHER'S NAME	Sh. NARAYANA G DONGRE
3.	DATE OF BIRTH & AGE	26.03.1960 & 58 Years
4.	PRESENT ADDRESS	ED Office, Bank House, 21 Rajendra place, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	govindndongre@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M. Sc. (Horticulture), CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	Ex. GM Vijaya Bank
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

Sh. S SELVAKUMAR

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. S. SELVA KUMAR
2.	FATHER'S NAME	Sh. SEERANGARAYAN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	10/07/1968 & 49 Years
4.	PRESENT ADDRESS	Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	js-abc@nic.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	AMIE, LLB, MA, POST GRAGUATE COURSE IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MOF NOMINEE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	PUBLIC ADMINISTRATION
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

श्री एस.आर. घेडीया

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री शैलेश आर घेडीया
2.	पिता का नाम	श्री रामजी एन घेडीया
3.	जन्म तिथि एवं आयु	25/04/1957 तथा 60 वर्ष
4.	वर्तमान पता	बी/202, लैब आशीष, पुरानी पुलिस क्यूट्रस लैन, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400069
5.	ई-मेल पता	ghediasr@hotmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	बी.कॉम, एफ.सी.ए.
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	सनदी लेखाकार श्रेणी के तहत अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
8.	अनुभव	34 वर्ष (व्यावसायिक सनदी लेखाकार)
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

श्री मधु सूदन दादू

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री मधु सूदन दादू
2.	पिता का नाम	श्री ओम प्रकाश दादू
3.	जन्म तिथि एवं आयु	05/06/1963 तथा 54 वर्ष
4.	वर्तमान पता	ए-21, सैक्टर 27, नोएडा-201301
5.	ई-मेल पता	msdadu@apsom.com
6.	शैक्षिक योग्यता	बीई (ऑनर्स), एमएससी (ऑनर्स)
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
8.	अनुभव	32 वर्ष, उद्भयमवृत्ति
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	कन्वर्जेंस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एप्सम इंफोटेक्स लिमिटेड

श्री हर्ष बीर सिंह

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री हर्ष बीर सिंह
2.	पिता का नाम	श्री करतार सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	30/07/1954 तथा 63 वर्ष
4.	वर्तमान पता	1625, फेज-V, मोहाली - 160059
5.	ई-मेल पता	harsh_bir@hotmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	एमएससी (ऑनर्स), एमएससी (सू.प्रौ.), एमबीए, एमसीए, एलएलबी, सीएआईआईबी
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	शेयरधारक निदेशक
8.	अनुभव	भूतपूर्व महाप्रबंधक पंजाब एण्ड सिंध बैंक
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

Sh. S R GHEDIA

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. SHAILESH R GHEDIA
2.	FATHER'S NAME	Sh. RAMAJI N GHEDIA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	25.04.1957 & 60 Years
4.	PRESENT ADDRESS	B/202, LABH ASHISH, OLD POLICE QTRAS LANE, ANDHERI (E) MUMBAI -400069
5.	EMAIL ADDRESS	ghediasr@hotmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B. COM , F.C.A.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR UNDER CA CATEGORY
8.	EXPERIENCE	34 YEARS (PRACTICING CA)
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

Sh. MADHU SUDAN DADU

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. MADHU SUDAN DADU
2.	FATHER'S NAME	Sh. OM PRAKASH DADU
3.	DATE OF BIRTH & AGE	05.06.1963 & 54 Years
4.	PRESENT ADDRESS	A-21 SECTOR 27 NOIDA, 201301
5.	EMAIL ADDRESS	msdadu@apsom.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	BE (Hons), M.Sc. (Hons)
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART TIME NON OFFICIAL DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	32 YEARS, ENTREPRENEURSHIP
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	CONVERGENCE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES PVT. LTD., APSOM INFOTEX LTD

Sh. HARSH BIR SINGH

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. HARSH BIR SINGH
2.	FATHER'S NAME	Sh. KARTAR SINGH
3.	DATE OF BIRTH & AGE	30.07.1954 & 63 Years
4.	PRESENT ADDRESS	1625, PHASE V, MOHALI 160059
5.	EMAIL ADDRESS	harsh_bir@hotmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MSc (Hons), MSc (IT), MBA, MCA, LLB, CAIIB
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	SHAREHOLDERS DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	Ex. GM PUNJAB & SIND BANK
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	----

श्री टी.आर. मेंदीरत्ता

क्र.सं.	व्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री तीरथ राज मेंदीरत्ता
2.	पिता का नाम	श्री घनश्याम दास मेंदीरत्ता
3.	जन्म तिथि एवं आयु	29/11/1959 तथा 58 वर्ष
4.	वर्तमान पता	बी-1, जीवन ज्योत, सीतलवाड़ लेन, नैपेन्सिया रोड, मुम्बई-400036
5.	ई-मेल पता	t.mendiratta@licindia.com
6.	शैक्षिक योग्यता	बी.कॉम
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	शेयरधारक निदेशक
8.	अनुभव	भारतीय जीवन बीमा निगम में 30 साल से अधिक का अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण (यदि कोई है)	-----

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 08 बैठकें हुईं जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित खण्ड 12 की न्यूनतम 06 बैठकों के विरुद्ध हैं।

16.05.2017	29.06.2017	09.08.2017	27.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	09.01.2018	13.02.2018		

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबंध है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की	दिनांक 29.06.2017 की ए.जी.एम. में उपस्थिति
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	6	6	उपस्थित
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2	उपस्थित
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	8	8	उपस्थित
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	4	4	—
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	3	3	अनुपस्थित
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	17.08.2017 से 31.03.2018	5	5	—
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	8	7	अनुपस्थित
श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)	27.12.2017 से 31.03.2018	2	2	—
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	8	8	उपस्थित
श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	27.12.2017 से 31.03.2018	2	2	—
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	2	उपस्थित
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	2	उपस्थित
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	01.07.2017 से 31.03.2018	6	6	—
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.07.2017 से 31.03.2018	6	5	—

Sh. T R MENDIRATTA

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. TIRATH RAJ MENDIRATTA
2.	FATHER'S NAME	Sh. GHANSHYAM DAS MENDIRATTA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	29.11.1959 & 58 Years
4.	PRESENT ADDRESS	B-1, JEEVAN JYOT, SETALVAD LANE, NAPEANSEA ROAD, MUMBAI, 400036
5.	EMAIL ADDRESS	t.mendiratta@licindia.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B.Com
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	SHAREHOLDERS DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	OVER 30 YEARS EXPERIENCE IN LIC OF INDIA
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	----

2.4 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2017-18, total 8 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

16.05.2017	29.06.2017	09.08.2017	27.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	09.01.2018	13.02.2018		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 29.06.2017
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	6	6	Attended
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2	Attended
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	8	8	Attended
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	4	4	--
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	3	3	Not Present
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	17.08.2017 to 31.03.2018	5	5	--
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	8	7	Not Present
Sh. S R Ghedia- Non Official Director (CA Category)	27.12.2017 to 31.03.2018	2	2	--
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 31.03.2018	8	8	Attended
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	27.12.2017 to 31.03.2018	2	2	--
Sh. S P Babuta – Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	2	Attended
Sh. M S Sarang - Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	2	Attended
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	01.07.2017 to 31.03.2018	6	6	--
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	01.07.2017 to 31.03.2018	6	5	--

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 17(5) की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य वार्षिक बैठक:

शेयरधारकों की आयोजित की गई अंतिम तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है :

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	सोमवार 29.06.2015	प्रातः 9.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	मंगलवार 28.06.2016	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	गुरुवार 29.06.2017	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003

कोई भी विशेष प्रस्ताव विगत तीन ए.जी.एम. में स्वीकृत नहीं किया गया।

4. निदेशकों की समिति :

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	बोर्ड की सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	शेयरधारक/हितधारक संबंध समिति
8.	मानव संसाधन समिति
9.	सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
10.	कार्यपालकों की पदोन्नति पर बोर्ड की समिति
11.	अपील और समीक्षा के मामलों से निपटने के लिए समिति
12.	वसूली की निगरानी हेतु समिति
13.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान
14.	इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति
15.	नामांकन समिति

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. Annual General Meeting :

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Monday 29.06.2015	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Tuesday 28.06.2016	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Thursday 29.06.2017	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee of the Board
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	I T Strategy Committee
10.	Committee of the Board on Executives' Promotions
11.	Committee for dealing with the case of appeals and review
12.	Committee for Monitoring of Recovery
13.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
14.	Review Committee for Willful Defaulter
15.	Nomination Committee

4.1. बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड-13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना इस प्रकार है—

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद — कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे — कार्यकारी निदेशक
3.	श्री पी.के. जेना — भा.रि.बैंक नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन — गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री एम.एस. दादू — गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 11 बैठकों का आयोजन हुआ :

16.05.2017	15.06.2017	29.06.2017	24.07.2017	07.09.2017
27.09.2017	14.11.2017	05.12.2017	26.12.2017	09.01.2018
02.02.2018	13.02.2018	09.03.2018		

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	9	9
श्री एम.के. जैन — कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	3	3
श्री फरीद अहमद — कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री गोविंद एन डोंग्रे — कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	7	7
श्री पी.के. जेना — भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	13	11
श्री अतनु सेन — गैर आधिकारिक निदेशक	30.01.2017 से 29.07.2017 18.01.2018 से 31.03.2018	7	7
श्री एम.एस. दादू — गैर आधिकारिक निदेशक	18.01.2018 से 31.03.2018	3	3
श्री एम.एस. सारंग — शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	3	3
श्री हर्ष बीर सिंह — शेयरधारक निदेशक	21.07.2017 से 20.01.2018	7	7
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता — शेयरधारक निदेशक	30.07.2017 से 29.01.2018	6	5

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director , Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2018 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Sh. Govind N Dongre – Executive Director
3.	Sh. P K Jena – RBI Nominee Director
4.	Sh. Atanu Sen – Non-Official Director
5.	Sh M S Dadu – Non-Official Director

During Financial Year 2017-18, Management Committee of the Board met on 13 occasions on the following dates:

16.05.2017	15.06.2017	29.06.2017	24.07.2017	07.09.2017
27.09.2017	14.11.2017	05.12.2017	26.12.2017	09.01.2018
02.02.2018	13.02.2018	09.03.2018		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	9	9
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	3	3
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	7	7
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	13	11
Sh. Atanu Sen -- Non Official Director	30.01.2017 to 29.07.2017 18.01.2018 to 31.03.2018	7	7
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	18.01.2018 to 31.03.2018	3	3
Sh. M S Sarang – Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	3	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	21.07.2017 to 20.01.2018	7	7
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	30.07.2017 to 29.01.2018	6	5

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक-सनदी लेखाकार श्रेणी (अध्यक्ष)
2.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक
5.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी) की 06 अवसरों पर बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

13.04.2017	16.05.2017	28.06.2017	09.08.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
1	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक-सनदी लेखाकार श्रेणी (दिनांक 18.01.2018 से अध्यक्ष)	18.01.2018 से 31.03.2018	1	1
2	श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	3	3
3	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3
4	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	4	4
5	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
6	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	6	6
7	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	30.07.2017 से 18.01.2018	2	2
8	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	09.01.2018 से 31.03.2018	1	1
9	श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	3	3

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S R Ghedia – Non Official Director -CA Category (Chairperson)
2.	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director
3.	Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director
4.	Sh. P K Jena – RBI Nominee Director
5.	Sh. Harsh Bir Singh -- Shareholders Director

During the Financial Year 2017-18, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 6 occasions on the dates given below:

13.04.2017	16.05.2017	28.06.2017	09.08.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S R Ghedia – Non Official Director-CA Category (Chairperson since 18.01.2018)	18.01.2018 to 31.03.2018	1	1
2	Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	3	3
3	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3
4	Sh. S R Mehar- MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	4	4
5	Sh. S. Selva Kumar - MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
6	Sh. P K Jena -- RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	6	6
7	Sh. Atanu Sen – Non Official Director	30.07.2017 to 18.01.2018	2	2
8	Sh. Harsh Bir Singh – Share Holder Director	09.01.2018 to 31.03.2018	1	1
9	Sh. S P Babuta – Shareholders Director	01.04.2017 to 30.06.2017	3	3

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई / 2004.5. डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004 / 23.04.01ए / 2003-04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि :

- धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।
- धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।
- सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना।
- धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न है :

15.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री एस.पी. बबूता – श्रेयधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	1

4.3 Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Sh. Govind N Dongre -- Executive Director
3.	Sh. S. Selva Kumar - MOF Nominee Director
4.	Sh. Atanu Sen – Non Official Director

The Committee met four times during the Financial Year 2017-18 as per the details below:

15.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	1
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. Atanu Sen -- Non official Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. S P Babuta - Share Holder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	1

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7 / 23.04.001 / 2009-10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रु.1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रु.1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे और जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

4.4 बोर्ड की सतर्कता समिति :

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10 / 12 / 90 / सतर्कता / सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक
4.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार चार अवसरों पर बैठकें कीं :

16.05.2017	07.09.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रकार है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

4.4 Vigilance Committee of the Board

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre -- Executive Director
3.	Shri P K Jena – RBI Nominee Director
4.	Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director

The Committee met four times during the Financial Year 2017-18 as per the details below:

16.05.2017	07.09.2017	14.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain– Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	1
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक
6.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार छः अवसरों पर बैठकें कीं :

15.05.2017	28.06.2017	07.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	13.02.2018		

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरवीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	5	5
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	6	6
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	6	6
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	2
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	1
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	4	3

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढाँचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से हैं। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक की सुरक्षा की भी देखभाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समिति :

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है।

31 मार्च, 2018 को समिति के निम्न सदस्य हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक—सनदी लेखाकार श्रेणी
5.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri Atanu Sen – Non official Director
4.	Shri M S Dadu – Non official Director
5.	Shri T R Mendiratta - Shareholder Director

The Committee met six times during the Financial Year 2017-18 as per the details below:

15.05.2017	28.06.2017	07.09.2017	14.11.2017
26.12.2017	13.02.2018		

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	5	5
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	6	6
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 31.03.2018	6	6
Sh. Shri S P Babuta – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	2
Sh. M S Sarang – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	1
Sh. Harsh Bir Singh -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	4	3

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committee:

Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2018:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri S R Ghedia – Non Official Director –CA Category
5.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है :

- ग्राहक सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	0
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	0
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	2

4.7 शेयरधारक/हितधारक संबंध समिति :

सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 17.04.2014 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीकरण करार के प्रावधानों की समीक्षा की है और कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सूचीकरण करार के संशोधित खण्ड 49 को अधिसूचित किया है जोकि दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी है। खण्ड 49(VIII)(ई) के अनुसार गैर-आधिकारिक निदेशक की अध्यक्षता में "शेयरधारक संबंध समिति" का गठन किया जाएगा जो शेयरधारकों तथा निवेशकों की कोई शिकायत, यदि कोई है, का निवारण करेगी।

अंशधारकों, डिबेंचरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों के परिवादों के निवारण करने की प्रक्रिया के लिए शेयरधारक संबंध समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	
1.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2017-18 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

16.05.2017	07.09.2017	15.11.2017	09.01.2018
------------	------------	------------	------------

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele.

During the Financial Year 2017-18, the Committee met on the following dates:

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	0
Sh. S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. M S Sarang- Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	0
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	2

4.7 Stakeholders Relationship Committee:

SEBI vide Circular dated 17.04.2014, has reviewed the provisions of the Listing Agreement relating to Corporate Governance as per provisions of Companies Act, 2013 and has notified revised Clause 49 of the Listing Agreement relating to Corporate Governance w.e.f. 01.10.2014. Clause 49(VIII) (E) provides that a Committee under the Chairmanship of a non-executive Director named as “Stakeholders Relationship Committee” shall be formed to redress shareholders and investors complaints, if any.

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted to look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Debenture holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director	Chairperson
2.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director	Member
3.	Shri Govind N Dongre – Executive Director	Member
4.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director	Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

16.05.2017	07.09.2017	15.11.2017	09.01.2018
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	3	3
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	1
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	1	1
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2017 का शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2018 को बकाया
शून्य	08	08	शून्य

दिनांक 31.03.2018 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। श्री अजीत सिंह आहूजा, कंपनी सचिव को सेबी के विनियमन 6 की शर्तों के अनुसार (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 के तहत बैंक के "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

4.8 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन विकास समिति का गठन दिनांक 05.05.2012 को बोर्ड प्रस्ताव संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा एशोसिएट्स के साथ विचार-विमर्श करने हेतु किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य कोई सदस्यों के मध्य से कोई एक बैठक के कोरम के लिए आवश्यक है। बैठक कभी भी आवश्यक हो, की जा सकती है लेकिन तिमाही में कम से कम एक बार की जानी आवश्यक है। दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	3	3
Sh. M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Sh. M S Sarang – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	1
Sh. S P Babuta – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	1	1
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3
Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2017	Received during the year	Resolved during the	Pending as on 31.03.2018
NIL	08	08	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2018. Shri Ajit Singh Ahuja, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.8 HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri M S Dadu – Non official Director
5.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	5	5
Shri Govind N Dongre -- Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2

श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	2	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 15.03.2018	5	5
श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	0	0
श्री एम.एस. सारंग – शेयरधारक निदेशक	01.04.2017 से 30.06.2017	2	1
श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	2

4.9 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति :

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति कार्यरत है।

दिनांक 31.03.2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
5.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक
6.	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	2	2
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	2	2
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	2	2
श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2017 से 15.03.2018	5	5
श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	0	0
श्री एस.पी. बबूता – शेयरधारक निदेशक	30.01.2017 से 30.06.2017	2	2
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	3	3

4.10 कार्यपालकों की पदोन्नति पर बोर्ड की समिति :

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

Shri S R Mehar -- MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	2	1
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Shri Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 15.03.2018	5	5
Sh M S Dadu –Non Official Director	15.03.2018 to 31.03.2018	0	0
Shri M S Sarang – Shareholder Director	01.04.2017 to 30.06.2017	2	1
Shri T R Mendiratta -- Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	2

4.9 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri Atanu Sen -- Non official Director
5.	Shri M S Dadu – Non official Director
6.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

15.05.2017	29.06.2017	07.09.2017	15.11.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	2	2
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	5	5
Shri Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	2	2
Shri S R Mehar -- MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	2	2
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	2	2
Shri Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2017 to 15.03.2018	5	5
Sh M S Dadu –Non Official Director	15.03.2018 to 31.03.2018	0	0
Shri S P Babuta –Shareholder Director	30.01.2017 to 30.06.2017	2	2
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	3	3

4.10 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Govt. of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level.

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

27.07.2017	19.03.2018			
------------	------------	--	--	--

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	1	1
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	15.03.2018 से 31.03.2018	1	1
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	1
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	1	1
श्री पी.के. जेना – भा.रि.बैंक नामित निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	2	2

4.11 अपील और समीक्षा के मामलों से निपटने के लिए समिति :

अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा याचिका तथा अपीलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 10.08.2016 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22389 द्वारा बोर्ड की समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31.03.2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस सेल्वाकुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
2.	श्री हर्ष बीर सिंह – शोयरधारक निदेशक
3.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शोयरधारक निदेशक

4.12 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7/112/2012-बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, बैंक में वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)
5.	श्री हर्ष बीर सिंह – शोयरधारक निदेशक

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director
4.	Shri P K Jena – RBI Nominee Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

27.07.2017	19.03.2018			
------------	------------	--	--	--

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	1	1
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	15.03.2018 to 31.03.2018	1	1
Shri Govind N Dongre -- Executive Director	15.03.2018 to 31.03.2018	1	1
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	1
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	1	1
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2017 to 31.03.2018	2	2

4.11 Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri S Selvakumar – MOF Nominee Director
2.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director
3.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

4.12 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed – Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director
4.	Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)
5.	Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई :

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	26.12.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें, जिनमें सहभागिता की
श्री जतिन्दरबीर सिंह – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2017 से 31.12.2017	4	4
श्री एम.के. जैन – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 15.07.2017	1	1
श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2017 से 31.03.2018	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक	10.10.2017 से 31.03.2018	3	3
श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2017 से 17.08.2017	1	0
श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	27.09.2017 से 31.03.2018	4	4
श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)	15.03.2018 से 31.03.2018	0	0
श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	18.07.2017 से 31.03.2018	4	4

4.13 शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति का निर्वाचन- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.04.2012 की शर्तों के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड संकल्प दिनांक 05.05.2012 संख्या 19840 द्वारा किया गया।

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)
4.	श्री टी.आर. मेंदीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

4.14 इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पार्टी को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के आदेश की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतन्त्र निदेशकों के साथ किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री गोविंद एन डोंग्रे – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एस. सेल्वा कुमार – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक

वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.15 नामांकन समिति

भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 'फिट एवं प्रोपर' के अनुसार जाँच, नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सावधानी बरतने हेतु दिनांक 29.03.2017 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22749 द्वारा कम से कम तीन सदस्यों के साथ नामांकन समिति का गठन किया गया है।

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2017-18

15.05.2017	27.09.2017	15.11.2017	26.12.2017	13.02.2018
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh – CMD	01.04.2017 to 31.12.2017	4	4
Shri M K Jain – Executive Director	01.04.2017 to 15.07.2017	1	1
Shri Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2017 to 31.03.2018	5	5
Shri Govind N Dongre – Executive Director	10.10.2017 to 31.03.2018	3	3
Shri S R Mehar – MOF Nominee Director	01.04.2017 to 17.08.2017	1	0
Shri S. Selva Kumar – MOF Nominee Director	27.09.2017 to 31.03.2018	4	4
Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)	15.03.2018 to 31.03.2018	0	0
Shri Harsh Bir Singh – Shareholder Director	18.07.2017 to 31.03.2018	4	4

4.13 Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed– Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)
4.	Shri T R Mendiratta – Shareholder Director

4.14 Review Committee for Willful Defaulter

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Fareed Ahmed– Executive Director
2.	Shri Govind N Dongre – Executive Director
3.	Shri S. Selva Kumar -- MOF Nominee Director
4.	Shri Atanu Sen – Non Official Director

No meeting was held during the year.

4.15 Nomination Committee

Nomination Committee with minimum three members has been constituted vide Board Resolution No. 22749 Dated 29.03.2017 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री अतनु सेन – गैर आधिकारिक निदेशक
2.	श्री एस.आर. घेडीया – गैर आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)
3.	श्री एम.एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की दिनांक 15.06.2017 को बैठक हुई ।

4.16 शेयर अंतरण समिति:

चार कार्यपालकों की समिति जिसमें तीन महाप्रबंधक, एक उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक हैं, संयोजक के रूप में कंपनी सचिव के साथ एक पखवाड़े में शेयरों का संप्रेषण/अंतरण/रीमेट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए बैठक करती है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान शेयर अंतरण समिति की छब्बीस बैठकें आयोजित की गईं। बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से 15 दिन के अंदर सभी शेयरों का अंतरण कर दिया जाए।

4.17 अन्य प्रकटन

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों के मध्य आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य पद्धति कार्यक्रम का विवरण "निवेशकों की सूचना" के शीर्ष के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर प्रकट किया गया है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन एवं बकायों का भुगतान:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (₹.)
1.	श्री जतिन्दरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	21,33,000.00 (01.04.2017 से 31.12.2017)
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	6,91,235.64 (01.04.2017 से 15.07.2017)
3.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	22,44,122.00
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे	कार्यकारी निदेशक	10,59,945.00 (10.10.2017 से 31.03.2018)

ख. वर्ष 2017-18 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार तथा भा.रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है) :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (₹.)
1	श्री एस.पी. बबूता	1,40,000
2	श्री एम.एस. सारंग	1,10,000
3	श्री टी.आर. मेंदीरता	2,50,000
4	श्री अतनु सेन	4,40,000
5	श्री हर्ष बीर सिंह	3,50,000
6	श्री एम.एस. दादू	70,000
7	श्री एस.आर. घेडीया	50,000
	कुल योग	14,10,000

The composition of the Committee as on 31st March 2018 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Shri Atanu Sen – Non official Director
2.	Shri S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)
3.	Shri M S Dadu -- Non official Director

The Committee met on 15.06.2017 during the Financial Year 2017-18.

4.16 Share Transfer Committee:

A committee of four officials comprising of three GMs, one DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2016-17. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

4.17. Other Disclosures:

- The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.
- The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website www.psb.india.com under head of "Investors Information".

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2017-18:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri Jatinderbir Singh	Chairman & Managing Director	21,33,000.00 (01.04.2017 to 31.12.2017)
2	Shri M K Jain	Executive Director	6,91,235.64 (01.04.2017 to 15.07.2017)
3	Shri Fareed Ahmed	Executive Director	22,44,122.00
4	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	10,59,945.00 (10.10.2017 to 31.03.2018)

B. The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2017-18 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Reserve Bank of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh. S P Babuta	1,40,000
2	Sh. M S Sarang	1,10,000
3	Sh. T R Mendiratta	2,50,000
4	Sh. Atanu Sen	4,40,000
5	Sh. Harsh Bir Singh	3,50,000
6	Sh. M S Dadu	70,000
7	Sh. S R Ghedia	50,000
	TOTAL	14,10,000

6. अदावी/दावा न किए गए लाभांश :

बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार, बैंक को लाभांश की राशि जिसे अपने संबंधित लाभांश खाते में अंतरित की तिथि से सात वर्ष तक अदावी/अदा नहीं किया गया हो, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) में अंतरित करना आवश्यक होगा।

दिनांक 31.03.2018 को ऐसे अप्रदत्त लाभांश खातों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	अप्रदत्त लाभांश का विवरण	31.03.2018 को शेष राशि
1.	लाभांश 2010-11	9,14,428.00
2.	लाभांश 2011-12	11,31,106.00
3.	लाभांश 2012-13	16,43,247.60
4.	लाभांश 2013-14 (अन्तरिम)	14,08,556.40
5.	लाभांश 2013-14 (अंतिम)	6,56,967.60
6.	लाभांश 2014-15	5,19,131.70
7.	लाभांश 2015-16	14,39,077.15

7. प्रकटीकरण :

- क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों में टकराव की संभावना बनती हो।
- ख) संबंधित पार्टी प्रविष्टियाँ नीति बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।
- ग) बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- घ) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नहीं गया है।
- ङ) व्यवसायिक उत्तदायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।
- च) बेसल-II और बेसल-III बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध हैं।
- छ) लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

8. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं:

बैंक ने सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं/अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अनुसार लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी की अनुसूची-II के भाग-ई [विनियमन 27(1)] (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं को लागू करने का परिमाण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र है।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	कंपनी बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सी.ई.ओ. के पद पर नियुक्त कर सकती है।	भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाती है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छःमाही घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।	शेयरधारकों की सूचना हेतु तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
4.	कंपनी को अपरिशोधित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जा सकती है।	बैंक की वित्तीय विवरणियाँ अनक्वालिफाइड होती हैं।
5.	आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को सीधे तौर पर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष रखा जाता है।

6. Unclaimed Dividend:

In terms of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Bank is required to transfer amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act 2013.

The details of such unpaid Dividend accounts outstanding as on 31.03.2018 are as under:-

Sr. No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2018
1.	Dividend 2010-11	9,14,428.00
2.	Dividend 2011-12	11,31,106.00
3.	Dividend 2012-13	16,43,247.60
4.	Dividend 2013-14 (Interim)	14,08,556.40
5.	Dividend 2013-14 (Final)	6,56,967.60
6.	Dividend 2014-15	5,19,131.70
7.	Dividend 2015-16	14,39,077.15

7. DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at www.psb.india.com.
- No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.
- Business Responsibility Report is available on website of the Bank at www.psb.india.com.
- Basel-II and Basel-III is available on website of the Bank at www.psb.india.com.
- Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at www.psb.india.com.

8. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary requirements	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Company may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	Chairman & Managing Director is appointed by Govt. of India in terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Quarterly/Half Yearly/Yearly financial results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on Bank's website www.psbindia.com for information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
5.	The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

9. संप्रेषण के साधन :

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारी को विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहाँ पर बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं (एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी), जैसा भी आवश्यक हो।

बैंक के तिमाही/वर्ष दर वर्ष/वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाइट – <http://www.psbindia.com> पर उपलब्ध है।

भारत में बैंक के इक्विटी शेयर निम्न प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

1. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लि.

फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001

बीएसई कोड: 533295

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051

एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एनएसडीएल, सीडीएसएल को अभिरक्षा शुल्क और बीएसई, एनएसई को एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सूचीकरण शुल्क का आज तक का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक द्वारा जारी टीयर-II बॉण्डों के संबंध में डेबिट सूचीयन करार के खंड 2A तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के सेबी परिपत्र संख्या परि/आईएमडी/डीएफ/18/2013 की शर्तों के अनुसार डिबेंचर ट्रस्टी का प्रकटन

बॉण्ड धारकों हेतु ट्रस्टी



आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.

पंजीकृत कार्यालय

एशियन बिल्डिंग, भूतल

17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई – 400001

दूरभाष : (022) 40807000, फैक्स : 91-22-66311776 / 40807080

ई-मेल : itsl@idbitrustee.com

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

द्वितीय तल 'ई', एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर,

पन्डूरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई – 400025

दूरभाष : (022) 24252525, फैक्स : +91-22-24252525

ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.com

विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

आईएल एंड एफएस वित्तीय केंद्र, प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, 7वां तल

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400051, भारत

दूरभाष : (022) 26593535, फैक्स : 91-22-26533297

ई-मेल : mumbai@vistra.com

9.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण :

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: <http://www.psbindia.com>.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India :

1) Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001

BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

NSE CODE : PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS :



IDBI Trusteeship Services Ltd.

Registered Office

AsianBuilding, Ground Floor, 17, R Kamani Marg,

Ballard Estate, Mumbai – 400 001

Tel No. (022) 40807000

Fax No. 91-22-66311776 / 40807080

E-mail:itsl@idbitrustee.com

Axis Trustee Services Limited

2nd Floor 'E', Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,

Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400025

Tel No: (022) 24252525 Fax No: +91-22-24252525

Email: debenturetrustee@axistrustee.com

Vistra ITCL (India) Limited

The IL&FS Financial Centre, Plot No. C-22, G Block, 7th Floor,

Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400051, India

Tel No. (022) 26593535; Fax No. 91-22-26533297

E-mail:Mumbai@vistra.com

9.1 Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

31 मार्च, 2018 को बैंक के पास 56,49,12,284 इक्विटी शेयर हैं जिनमें से 56,48,25,735 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	86549	0.0015
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	7,14,51,970	12.6483
सी.एस.डी.एल.*	49,33,73,765	87.3363
कुल योग	56,49,12,284	100.0000

* दिनांक 27.03.2018 को आबंटित 16,45,01,257 इक्विटी शेयर शामिल हैं और इसे दिनांक 04.04.2018 को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के डीमैट खाते में जमा किया गया था।

9.2 ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)

ईलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों पर, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन ई.सी.एस./एन.ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं, सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

9.3 शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायत निवारण करने की प्रणाली हेतु हितधारक संबंधों पर समिति का गठन किया है। समिति नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करती है और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है। बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन भी किया है जो शेयरों के संप्रेषण/अंतरण/रीमेट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए न्यूनतम एक पखवाड़े में बैठक करती है।

बैंक ने लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, शेयरों, लाभांश आदि के मुद्दे से जुड़े अन्य गतिविधियों के बीच निवेशकों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना है।

निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर शेयर अंतरण एजेंट को प्रेषित कर सकता है :

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.

(यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

44, कम्प्यूनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I,

पी.वी.आर. नारायणा के पास, नई दिल्ली-110028

दूरभाष: (011) 41410592 से 0594

फैक्स: (011) 41410591

ई मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में की है, जहाँ शेयरधारक अपने अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय : लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21, राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली -110008

दूरभाष : (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्स: (011) 25781639

ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 6(2)(डी) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है)

As on March 31, 2018 the Bank has 56,49,12,284 Number of Equity Shares of which 56,48,25,735 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	86549	0.0015
Dematerialized		
NSDL	7,14,51,970	12.6483
CDSL *	49,33,73,765	87.3363
Grand Total	56,49,12,284	100.0000

* includes 16,45,01,257 equity shares allotted on 27.03.2018 and the same were credited to Demat account of President of India (Govt. of India) on 04.04.2018

9.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

9.3 Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfer of Shares are duly affected within a period of fifteen from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances. The Board has also constituted Share Transfer Committee which meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares.

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares, dividend etc.

The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

44, Community Centre, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-I,

Near PVR Naraina, New Delhi-110 028.

Phone : (011) 41410592 to 0594

Fax : (011) 41410591

E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office : Accounts & Audit Deptt.(Shares Cell),

21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.

Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922

Fax : (011) 25781639

E-mail : complianceofficer@psb.co.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.

10. निलंब खाते में आबंटियों के अदावी शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट (31.03.2018) :

क्र.सं.	विवरण	एनएसडीएल आईएन301330 -21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	—	—
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियाँ, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा फर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर (संभावित) :

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018	
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	29.06.2018 (शुक्रवार)
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक का समय	10 बजे प्रातः काल
आठवीं सामान्य बैठक का स्थल	स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, प्लॉट नं.3, सैक्टर-3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085
बहियों को बंद करने की तारीख	23.06.2018 से 29.06.2018
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	23.06.2018 (सायंकाल 5.00 बजे तक)

13. 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत (%)
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	483324032	85.56
2.	वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बैंक	16	43080840	7.63
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	1	7133	0.00
4.	कॉरपोरेट निकाय	512	3608425	0.64
5.	व्यैक्तिक निवासी	113188	25454917	4.51
6.	हिन्दू अविभाजित परिवार	6322	1274587	0.23
7.	अनिवासी भारतीय	1041	1052531	0.19
8.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	12	6238264	1.10
9.	ट्रस्ट	8	280722	0.05
10.	समाशोधन सदस्य	223	590833	0.10
	कुल योग	121324	564912284	100.00

10. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.3.2018):

S. No.	Particulars	NSDL	CDSL
		IN301330-21335661	1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

12. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2017 to 31st March, 2018	
Date of Eighth Annual General Meeting.	29.06.2018 (Friday)
Time of Eighth Annual General Meeting	10.00 A.M.
Venue of Eighth Annual General Meeting	Staff Training College, Plot No. 3, Sector 3, Institutional Area, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi – 110 085.
Book Closure dates	23.06.2018 to 29.06.2018
Last Date for receipt of Proxy Forms	24.06.2018 (upto 5.00 pm)

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2018

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	483324032	85.56
2.	Financial Institutions/Ins Cos/ Banks	16	43080840	7.63
3.	Foreign Institutional Investors	1	7133	0.00
4.	Bodies Corporate	512	3608425	0.64
5.	Resident Individuals	113188	25454917	4.51
6.	Hindu Undivided Family	6322	1274587	0.23
7.	Non Resident Indians	1041	1052531	0.19
8.	Foreign Portfolio Investor(Corporate)	12	6238264	1.10
9.	Trusts	8	280722	0.05
10.	Clearing Members	223	590833	0.10
	Total	121324	564912284	100.00

14. 31 मार्च, 2018 को शेयरधारिता (शेयर) का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल का प्रतिशत
1 — 500	113615	93.6459	9810904	1.7367
501 — 1000	4013	3.3077	3169757	0.5611
1001 — 2000	1940	1.5990	2881811	0.5101
2001 — 3000	601	0.4954	1525969	0.2701
3001 — 4000	273	0.2250	982871	0.1740
4001 — 5000	234	0.1929	1105433	0.1957
5001 — 10000	334	0.2753	2449895	0.4337
10001 और अधिक	314	0.2588	542985644	96.1186
कुल योग	121324	100.00	564912284	100.00

15. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा : (दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई.)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)		
	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम(रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2017	64.80	55.00	5815002	64.65	55.40	805670
मई, 2017	72.30	51.70	9939334	72.30	51.75	1757920
जून, 2017	59.40	49.50	2316564	59.45	49.55	399801
जुलाई, 2017	57.55	49.30	3343719	57.60	50.00	453664
अगस्त, 2017	54.95	47.05	1831029	54.55	47.25	246400
सितम्बर, 2017	49.80	45.00	2852126	49.30	45.10	353833
अक्टूबर, 2017	56.90	44.85	7219014	56.90	44.45	928874
नवम्बर, 2017	55.00	48.30	4177201	54.95	48.50	634630
दिसम्बर, 2017	49.70	45.55	1638707	50.80	45.90	174608
जनवरी, 2018	51.05	44.70	2930447	50.95	44.85	460725
फरवरी, 2018	46.00	37.45	2714525	46.00	37.50	315263
मार्च, 2018	39.20	33.40	2586609	38.75	33.40	626965

14. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2018

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 500	113615	93.6459	9810904	1.7367
501 – 1000	4013	3.3077	3169757	0.5611
1001 – 2000	1940	1.5990	2881811	0.5101
2001 – 3000	601	0.4954	1525969	0.2701
3001 – 4000	273	0.2250	982871	0.1740
4001 – 5000	234	0.1929	1105433	0.1957
5001 – 10000	334	0.2753	2449895	0.4337
10001 & Above	314	0.2588	542985644	96.1186
TOTAL	121324	100.00	564912284	100.00

15. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges: (From 01.04.2017 to 31.03.2018)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2017	64.80	55.00	5815002	64.65	55.40	805670
MAY 2017	72.30	51.70	9939334	72.30	51.75	1757920
JUN 2017	59.40	49.50	2316564	59.45	49.55	399801
JUL 2017	57.55	49.30	3343719	57.60	50.00	453664
AUG 2017	54.95	47.05	1831029	54.55	47.25	246400
SEP 2017	49.80	45.00	2852126	49.30	45.10	353833
OCT 2017	56.90	44.85	7219014	56.90	44.45	928874
NOV 2017	55.00	48.30	4177201	54.95	48.50	634630
DEC 2017	49.70	45.55	1638707	50.80	45.90	174608
JAN 2018	51.05	44.70	2930447	50.95	44.85	460725
FEB 2018	46.00	37.45	2714525	46.00	37.50	315263
MAR 2018	39.20	33.40	2586609	38.75	33.40	626965

16. 31 मार्च, 2018 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	(शेयरों की संख्या) %
1.	अंडमान एवं निकोबार	8	433	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4744	1813163	0.32
3.	अरुणाचल प्रदेश	89	19913	0.00
4.	असम	463	112500	0.02
5.	बिहार	1256	326991	0.06
6.	चंडीगढ़	728	208403	0.04
7.	छत्तीसगढ़	580	110999	0.02
8.	दमन एवं दीव	6	496	0.00
9.	दिल्ली	11835	323639783	57.29
10.	गोवा	179	28408	0.01
11.	गुजरात	22545	3496509	0.62
12.	हरियाणा	4056	858309	0.15
13.	हिमाचल प्रदेश	248	75465	0.01
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	203	74245	0.01
15.	झारखंड	1064	230185	0.04
16.	कर्नाटक	5353	1438284	0.25
17.	केरल	1316	499559	0.09
18.	मध्यप्रदेश	3374	876356	0.16
19.	महाराष्ट्र	23523	56516924	10.00
20.	मणिपुर	7	1173	0.00
21.	मेघालय	17	4076	0.00
22.	मिजोरम	1	98	0.00
23.	नागालैंड	16	3682	0.00
24.	उड़ीसा	770	192127	0.03
25.	पांडिचेरी	62	13856	0.00
26.	पंजाब	4255	1200579	0.21
27.	राजस्थान	11116	1811553	0.32
28.	सिक्किम	2	250	0.00
29.	तामिलनाडु	5991	1699938	0.30
30.	त्रिपुरा	24	5830	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	6781	1780904	0.32
32.	उत्तराखण्ड	593	124203	0.02
33.	पश्चिम बंगाल	8679	2548436	0.45
34.	ए.पी.ओ./अन्य	1440	165198654	29.24
	कुल योग	121324	564912284	100.00

16. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2018

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDAMAN & NICOBAR	8	433	0.00
2.	ANDHRA PRADESH	4744	1813163	0.32
3.	ARUNACHAL PRADESH	89	19913	0.00
4.	ASSAM	463	112500	0.02
5.	BIHAR	1256	326991	0.06
6.	CHANDIGARH	728	208403	0.04
7.	CHATTISGARH	580	110999	0.02
8.	DAMAN & DIU	6	496	0.00
9.	DELHI	11835	323639783	57.29
10.	GOA	179	28408	0.01
11.	GUJARAT	22545	3496509	0.62
12.	HARYANA	4056	858309	0.15
13.	HIMACHAL PRADESH	248	75465	0.01
14.	JUMMU & KASHMIR	203	74245	0.01
15.	JHARKHAND	1064	230185	0.04
16.	KARNATAKA	5353	1438284	0.25
17.	KERALA	1316	499559	0.09
18.	MADHYA PRADESH	3374	876356	0.16
19.	MAHARASHTRA	23523	56516924	10.00
20.	MANIPUR	7	1173	0.00
21.	MEGHALAYA	17	4076	0.00
22.	MIZORAM	1	98	0.00
23.	NAGALAND	16	3682	0.00
24.	ORISSA	770	192127	0.03
25.	PONDICHERRY	62	13856	0.00
26.	PUNJAB	4255	1200579	0.21
27.	RAJASTHAN	11116	1811553	0.32
28.	SIKKIM	2	250	0.00
29.	TAMIL NADU	5991	1699938	0.30
30.	TRIPURA	24	5830	0.00
31.	UTTAR PRADESH	6781	1780904	0.32
32.	UTTARAKHAND	593	124203	0.02
33.	WEST BENGAL	8679	2548436	0.45
34.	APO/ OTHERS	1440	165198654	29.24
	Total	121324	564912284	100.00



कंपनी प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सूचीबद्ध करने संबंधी करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी प्रबंधन संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कंपनी प्रबंधन संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी प्रबंधन संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में है।

कृते धवन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(दीपक कपूर)

पार्टनर

एम.नं. 072302

एफआरएन : 002864एन

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(हरबंस सिंह)

पार्टनर

एम.नं. 099109

एफआरएन : 007601एन

कृते एस. मान एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)

पार्टनर

एम.नं. 080500

एफआरएन : 000075एन

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

(बलदेव गर्ग)

पार्टनर

एम.नं. 092225

एफआरएन : 013148एन

दिनांक : 14 मई, 2018

स्थान : नई दिल्ली

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2018 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Dhawan & Co.

Chartered Accountants

(Deepak Kapoor)

Partner

M. No.072302

FRN : 002864N

For Davinder Pal Singh & Co.

Chartered Accountants

(Harbans Singh)

Partner

M. No. 099109

FRN : 007601N

For S. Mann & Co

Chartered Accountants

(Subhash Mann)

Partner

M. No. 080500

FRN : 000075N

For Baldev Kumar & Co

Chartered Accountants

(Baldev Garg)

Partner

M. No. 092225

FRN : 013148N

Dated: 14 May, 2018

Place : New Delhi



निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

**विषय: वर्ष 2017-18 हेतु सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं)
अधिनियमों, 2015 की अनुसूची- V के अंतर्गत घोषणा।**

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची-V के प्रसंग में विनिर्दिष्ट आचार संहिता की बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मई, 2018

(गोविंद एन डोंग्रे)
कार्यकारी निदेशक

(फरीद अहमद)
कार्यकारी निदेशक

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: वर्ष 2017-18 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

- सेबी (LODR), 2015 के कंपनी प्रबंधन की अनुसूची-II के अनुपालन प्रमाणपत्र के भाग-बी की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि,
- क. हमने वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार
 1. इन विवरणियों में कोई विषयगत असत्य अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
 2. ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
 - ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हों, गैर कानूनी हों अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हों।
 - ग. हम वित्तीय सूचना देने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय सूचना देने की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आंकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबंधित कमियाँ यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।
 - घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
 1. वर्ष के दौरान वित्तीय सूचना देने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 2. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स में कर दिया गया है और
 3. हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(हरविन्द्र सचदेव)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(महाप्रबंधक-लेखा)

(गोविंद एन डोंग्रे)
कार्यकारी निदेशक

(फरीद अहमद)
कार्यकारी निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2018

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

**Re: Declaration for 2017-18 as per Schedule-V of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2018 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For Punjab & Sind Bank

For Punjab & Sind Bank

Place : New Delhi
Dated : 16 May, 2018

(Govind N Dongre)
Executive Director

(Fareed Ahmed)
Executive Director

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2017-18

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
 - 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank

For Punjab & Sind Bank

For Punjab & Sind Bank

(Harvinder Sachdev)
Chief Financial Officer
(General Manager-Accounts)

(Govind N Dongre)
Executive Director

(Fareed Ahmed)
Executive Director

Place : New Delhi
Dated : 16 May, 2018



व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क : कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.)	लागू नहीं
2.	कंपनी का नाम	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3.	पंजीकृत पता	बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
4.	वेबसाइट	www.psbindia.com
5.	ई-मेल आईडी	complianceofficer@psb.co.in
6.	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2017–18
7.	क्षेत्र(ओं) जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड अनुसार)	बैंकिंग एवं वित्त
8.	तीन मुख्य उत्पादों की सूची दें जिनका कंपनी उत्पादन/उपलब्ध कराती है (जैसा कि तुलन-पत्र में दिए गए हैं)	1. जमाएं 2. ऋण एवं अग्रिम 3. संग्रहण एवं विप्रेषण
9.	स्थानों की कुल संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 स्थानों का विवरण) ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	शून्य 1514
10.	कंपनी द्वारा बाजारों में प्रदान की जा रही सेवा-स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खण्ड ख: कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (₹)	564.91 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (₹)	1,71,464.95 करोड़
3.	कराधान के बाद कुल लाभ (₹)	(-) 743.80 करोड़
4.	कर के पश्चात् लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	0.15 करोड़
5.	गतिविधियों की सूची जिनमें उक्त 4 को व्यय किया गया है/	स्वच्छता कार्य-योजना का क्रियान्वयन

खण्ड ग: अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं?	नहीं
2.	क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के व्यावसायिक दायित्व पहल में सहभागिता करती हैं?, यदि हाँ तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या बताएं	लागू नहीं
	यदि हाँ, तो इस प्रकार की संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं। (30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक)	लागू नहीं

खण्ड घ: व्यावसायिक दायित्वों संबंधी सूचना

1. व्यावसायिक दायित्वों हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

ए) व्यावसायिक दायित्व पॉलिसी/पॉलिसियों हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

1.	डीआईएन नं.	लागू नहीं
2.	नाम	श्री फरीद अहमद
3.	पदनाम	कार्यकारी निदेशक

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	Corporate Identity Number(CIN) of the Company	NA
2.	Name of the Company	PUNJAB & SIND BANK
3.	Registered Address	Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
4.	Website	www.psbindia.com
5.	E-mail ID	complianceofficer@psb.co.in
6.	Financial Year reported	2017-18
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Finance
8.	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. Deposits 2. Loans & Advances 3. Remittances & Collections
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company a) Number of International Locations (Provide details of major 5) b) Number of National Locations	Nil 1514
10.	Markets served by the Company-Local/State/National/ International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	Paid up Capital (INR)	564.91 crore
2.	Total Turnover (INR)	1,71,464.95 crore
3.	Total profit after Taxes (INR)	(-) 743.80 crore
4.	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	0.15 crore
5.	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	Implementation of Swachhta Action Plan.

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	Does the Company have any Subsidiary Company/Companies?	No
2.	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	NA
	If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%)	NA

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/ policies

1.	DIN Number	N.A.
2.	Name	Shri Fareed Ahmed
3.	Designation	Executive Director

ख — व्यावसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण

क्र.संख्या	विवरण	व्यौरा
1.	डीआईएन नं. (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
3.	पदनाम	महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नं.	011-25782928
5.	ई-मेल आईडी	gmaccounts@psb.co.in

2. व्यावसायिक दायित्व नीति/नीतियों – सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क. अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास इसके लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2.	क्या नीति का प्रतिपादन संबंधित हित धारकों से परामर्श कर किया जाता है/	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं ? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या उस पर प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5.	क्या कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की विशिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6.	ऑनलाईन देखने के लिए नीति का लिंक दर्शाएं	**	**	**	**	हाँ	**	**	**	**
7.	क्या नीति के बारे में संबंधित समस्त आंतरिक व बाह्य हित धारकों को सूचित किया जाता है?	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
8.	क्या कंपनी की नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के हित-धारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण मशीनरी/व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी द्वारा किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी से नीति की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन/लेखा परीक्षण करवाया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

बैंकों में जारी सभी नीतियां आर.बी.आई., वित्त मंत्रालय, भारतीय संविधान, कानूनी प्रक्रिया इत्यादि के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार, वे राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती हैं।

** बैंक की नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं और ये सार्वजनिक नहीं हैं।

ख. यदि किसी भी सिद्धांत के क्र.सं. 1 के प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया इसका कारण स्पष्ट करें (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई	सिद्धांत 7 के लिए नीति नहीं होने का कारण								
2.	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन कर सकें	हालांकि सिद्धांत 7 के लिए कोई लिखित नीति नहीं है, बैंक देश के बड़े बैंकों में से एक होने के नाते सार्वजनिक हित, विशेष रूप से संचालन एवं प्रशासन के क्षेत्र में आर्थिक सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, सम्मिलित विकास नीतियों इत्यादि की बेहतरी के लिए नीति निर्धारकों तथा नियामकों का सहयोगी है।								
3.	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति स्रोत उपलब्ध नहीं है									
4.	इसे अगले 6 महीने में संपन्न किए जाने की योजना है									
5.	इसे अगले 1 वर्ष में संपन्न किए जाने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया विवरण दें)									

b) Details of the BR Head

No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A.
2.	Name	Mrs Harvinder Sachdev
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	011-25782928
5.	E-Mail ID	gmaccounts@psb.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3.	Does the Policy conform to any national/international standards? If yes, specify (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
5.	Does the Company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to viewed on line?	**	**	**	**	Y	**	**	**	**
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9.	Does the company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

All the policies are followed by Bank are in conformity with the guidelines issued by RBI, MOF, Constitutions of India, legal Acts etc. Hence they confirm to national standards.

** The policies of the Bank are internal documents and are not accessible to the public.

b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is "NO", please explain why: Tick up to 2 options)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	Reason for not having policy for P7:- While there is no written policy for Principle 7, Bank being member of these associations works directly with policymakers and policy making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry and sustainable development of the banking industry								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next one year									
6.	Any other reason (please specify)									

1. व्यवसायिक दायित्वों से संबंधित संचालन

(क) निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए संबंधित आवधिकता का उल्लेख करे: 3 माह के भीतर, 3 से 6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	कंपनी के व्यावसायिक दायित्वों के निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल की वार्षिक बैठक होती है।
(ख) क्या कंपनी व्यवसायिक दायित्व या प्रतिधारण रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने हेतु हाईपरलिंक क्या है ? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?	बैंक बीआर रिपोर्ट का प्रकाशन करता है और इसका अवलोकन करने हेतु हाईपरलिंक www.psbindia.com है।

खण्ड ड़: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत-1

कारोबारी को अपने आपको संव्यवहार नीतिपरक पारदर्शी तथा उत्तरदायी द्वारा नियंत्रित होना चाहिए

सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या नैतिक मूल्य, रिश्तवखोरी तथा भ्रष्टाचारी संबंधी नीति में केवल संख्या से जुड़े मामले केवल कंपनी को कवर करते हैं? हाँ/ नहीं	जी हाँ, इसमें केवल बैंक से जुड़े मामले ही शामिल होते हैं। बैंक भारत सरकार, सी. वी.सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से नियंत्रित होता है। यह वर्ष 1908 था जब देश के गरीबों में गरीब के उत्थान के लिए भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार तरलोचन सिंह जैसे दिग्गजों के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक का जन्म हुआ था। बैंक की स्थापना सामाजिक प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर आर्थिक प्रयासों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए उनके जीवन के स्तर में वृद्धि करने हेतु की गई थी। हालांकि दशकों निकल गए हैं लेकिन आज भी पंजाब एंड सिंध बैंक संस्थापक जन्मदाताओं की सामाजिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए सतर्कता संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था है:- 1) अधिकारियों द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (एपीआर) भरी जाती है तथा इसकी 100% जांच पडताल की जाती है। 2) प्र.का.सतर्कता विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों, जिनकी ईमानदारी एवं निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद है, की सर्वसम्मत सूची तैयार की जाती है। 3) मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचियों में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशील जगहों पर न हो। सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। क्या इसे समूह/संयुक्तउपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/एनजीओ/अन्यों पर लागू किया जाता है?
2.	पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में इसका विवरण दें.	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 5923 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा इनमें से 5877 (99.22%) का संतोषजनक ढंग से समाधान कर दिया गया। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति तथा एक पूर्ण निदेशित एक सुगठित ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। बैंक ग्राहक की संतुष्टि तथा उनकी आवश्यकताओं/अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति सजग एवं जागरूक है और बैंक इस धारणा के प्रति प्रतिबद्ध है कि तकनीक प्रक्रिया, उत्पाद और स्टाफ कौशल का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाए।

(a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	The Board of Directors meets annually to assess the BR performance of the company.
(b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	The Bank publishes the BR report and the hyperlink for viewing this is www.psbindia.com

Principle 1

No.	Question	Reply
1.	Does the policy relating to ethic, bribery and corruption cover only the company? Yes/No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?	Yes, it covers the Bank only. Bank follows guidelines issued by Govt., CVC from time to time. It was in the year 1908, when a humble idea to uplift the poorest of poor of the land culminated in the birth of Punjab & Sind Bank with the far-sighted vision of luminaries like Bhai Vir Singh, Sir Sunder Singh Majitha and Sardar Tarlochan Singh. The bank was founded on the principle of social commitment to help the weaker section of the society in their economic endeavors to raise their standard of life. Though decades have gone by but even today Punjab & Sind Bank stands committed to honor the social commitments of the founding fathers. Bank has arrangements regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds as under: 1) Annual Property Returns (APR) are filed by the Officers and 100% scrutiny is carried out. 2) Agreed List and List of Officers of Doubtful integrity is prepared by HO Vigilance Department. 3) It is ensured by HRD Department that the Officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. This is monitored by Vigilance Department. Not Applicable
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	During the current financial year 2017-18, 5923 customer complaints were received, out of which 5877 (99.22%) were satisfactorily resolved. The bank has put up in place a Customer Grievances Redressal Policy, approved by Board and a well instructed Customer Grievances Redressal Mechanism. The bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers and is committed to the belief that all technology, processes products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customer without fail.

सिद्धांत 2

व्यवसाय के माध्यम से इस प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जाएं जो उनके समग्र जीवन चक्र में सुरक्षित तथा सहायक हों

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	अपने 3 ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण के उद्देश्यों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों की दृष्टि से निरोपित किया गया है।	ग्राहकों की जरूरतों पर विचार करते हुए बैंक ने उत्पादों और सेवाओं को प्रदान किया है और यह सुनिश्चित किया है कि उत्पाद और सेवाएं सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों के प्रति दीर्घकालिक हैं। • ग्रीन पहल: — बैंक ने कई उत्पादों की शुरुआत की है जैसे कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम। इसके अलावा, बैंक में ग्रीन पिन सुविधा उपलब्ध है जो ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए डुप्लिकेट पिन प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। इसके अलावा बैंक स्टाफ, विक्रेताओं और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के लिए भुगतान करना भी सुनिश्चित करता है। • ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs): हमारे बैंक में पीएसबी ट्रस्ट के तत्वावधान में तीन ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को मोगा, फरीदकोट और लुधियाना में स्थापित किया है। आरसेटी, कृषि और ग्रामीण रोजगार (डीएआरई के लिए पीएसबी ट्रस्ट), विकास के लिए बैंक के ट्रस्ट यानी पीएसबी ट्रस्ट के तत्वावधान में जो स्वरोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित/संचालित करते हैं। • वित्तीय समावेशन:- बैंक ने वंचित और अनापेक्षित वर्गों को सशक्त करने के लिए वित्तीय समावेशन लागू किया है और बैंक इन व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने का अर्थात् "अपवर्जित का समावेश" और उनको समाज की उत्पादक आस्ति बनाने का प्रयास रहा है। आधार आधारित खातों को खोलने के लिए बीसी बिंदुओं पर ई-केवाईसी को लागू किया गया है।
2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में प्रति यूनिट उत्पाद का निम्नलिखित विवरण दें— (ए) इस संदर्भ में पिछले वर्ष से साधनों/उत्पादन/वितरण के दौरान उपयोगिता में लाई गई कमी. (बी) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) लाई गई कमी.	सेवा संस्था होने के कारण यह लागू नहीं
3.	क्या कंपनी की संसाधन प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था उपलब्ध है (परिवहन व्यवस्था सहित) (ए) यदि हाँ, तो आपने इनपुट्स का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक प्राप्त किया है? । 50 शब्दों में इसका विवरण भी दें.	लागू नहीं
4.	क्या कंपनी ने स्थानीय तथा लघु उत्पादकों, जिसमें उनके कार्य स्थल के आसपास के समुदाय भी शामिल है, से उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ? (क) यदि हाँ, तो उनकी क्षमता तथा स्थानीय तथा छोटे विक्रेताओं की क्षमताओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?	लागू नहीं

Principle 2

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

No.	Question	Reply
1.	List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities	The Bank has delivered products and services considering the needs of the customers and ensured that the products and services are sustainable to social and environmental issues. • Green Initiative:- The Bank has introduced several products viz. core banking solution, internet banking, mobile banking, ATMs. Further, the Bank has Green PIN facility which enables the customers to obtain duplicate PIN for debit card. Bank ensures payment to staff, vendors and clients electronically. • Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):- Our Bank has three RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana, established under the aegis of Bank's Trust i.e. PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (PSB Trust for DARE), which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. • Financial Inclusion:- Bank has implemented Financial Inclusion to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. E-KYC has been implemented at BC points for opening of Aadhaar based accounts.
2.	For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): a) Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain? b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	Being a service organization this section is not applicable.
3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof, in about 50 words or so.	Not Applicable
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Not Applicable

5.	क्या कम्पनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की पुनर्निर्माण की प्रणाली है? यदि हाँ तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं के पुनर्निर्माण का प्रतिशत क्या है? (अलग-अलग जैसे <5%, 5-10%) साथ ही 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं/	लागू नहीं
----	--	-----------

सिद्धांत 3

व्यवसाय से सभी कर्मचारियों के हित संवर्धन होने चाहिए

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर		
1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाएं	9321		
2.	कृपया अस्थायी/संविदा/आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या को दर्शाएं	1 (सीसीएसओ)		
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	2570		
4.	कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	188		
5.	क्या आपके पास कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन के द्वारा मान्य है	हां • ऑल इंडिया पंजाब एण्ड सिंध बैंक स्टाफ ऑर्गनाइजेशन कर्मचारियों की प्रमुख यूनियन है।		
6.	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्य कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं, ऑफिसर्स एसोशिएशन, वर्कमैन एसोशिएशन	• ऑल इंडिया पंजाब एण्ड सिंध बैंक स्टाफ ऑर्गनाइजेशन 74.02% (वर्कमैन)		
7.	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या दर्शाएं तथा इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया शिकायतों की स्थिति दर्शाएं			
	क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या
	1.	बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
	2.	यौन उत्पीड़न	4	2
	3.	आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी	शून्य	शून्य
8.	पिछले वर्ष नीचे दर्शाए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा तथा कौशल विकास उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया? (ए) स्थायी कर्मचारी (बी) स्थायी महिला कर्मचारी (सी) आकस्मिक/अस्थायी/संविदाकर्मचारी (डी) दिव्यांग कर्मचारी	48.00% 42.68% शून्य 40.40%		

सिद्धांत 4

‘व्यवसाय में सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित और कमजोर हैं, उनके हितों का सम्मान होना चाहिए एवं उनके प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिए’

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं। हाँ/ नहीं	जी हां, बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं। बैंक ने वंचित कमजोर और हाशिए पर हितधारकों के लाभों को प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।
2.	उपरोक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों की पहचान कर ली है ?	जी हां, बैंक वंचित, सीमांत तथा कमजोर हितधारकों की वित्तीय सेवाओं और बीमा कवर पर पहुँच को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण, कमजोर वर्ग को ऋण, स्वयं सहायता समूह आदि को ऋण प्रदान करने में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling or products and waste (separately as <5%,5-10%,>10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not Applicable
----	--	----------------

Principle 3

Business should promote the wellbeing of all employees

No.	Question	Reply																	
1.	Please indicate the total number of employees	9321																	
2.	Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/casual basis	1 (CCSO)																	
3.	Please indicate the number of permanent women employees	2570																	
4.	Please indicate the number of permanent employees with disabilities	188																	
5.	Do you have an employee association that is recognized by Management	Yes All India PSB Staff organization is the majority workmen union.																	
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	All India PSB Staff organization: 74.02% (workmen)																	
7.	Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year.																		
	<table><tr><th>No.</th><th>Category</th><th>No. of complaints filed against during the financial year</th><th>No. of of complaints pending as on end of the financial year</th></tr><tr><td>1.</td><td>Child labour/forced labour/ involuntary labour</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sexual harassment</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>3.</td><td>Casual/Temporary/Contractual Employees</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr></table>	No.	Category	No. of complaints filed against during the financial year	No. of of complaints pending as on end of the financial year	1.	Child labour/forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL	2.	Sexual harassment	4	2	3.	Casual/Temporary/Contractual Employees	NIL	NIL		
No.	Category	No. of complaints filed against during the financial year	No. of of complaints pending as on end of the financial year																
1.	Child labour/forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL																
2.	Sexual harassment	4	2																
3.	Casual/Temporary/Contractual Employees	NIL	NIL																
8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up- gradation training in the last year? a) Permanent Employees b) Permanent Women Employees c) Casual/Temporary/Contractual Employees d) Employees with Disabilities	48.00% 42.68% NIL 40.40%.																	

Principle 4

Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders especially those who are disadvantages

No.	Question	Reply
1.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No	Yes, Bank has mapped its internal and external stakeholder. Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
2.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	Yes, the Bank adheres to the RBI guidelines on Priority Sector Lending, lending to small and marginal farmers, lending to weaker section, SHG etc., and government-led initiatives to improve access to financial services and insurance cover for reaching out to disadvantaged, marginalized and vulnerable stakeholders.

3. क्या कम्पनी ने वंचित कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष पहल की है यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें ।	बैंक ने आंतरिक वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों को आकर्षित करने तथा उनको लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न पहल की हैं उनमें से कुछ निम्न है:- • बैंक ने कृषि उत्पादों के बंधक ऋण (वेयरहाउस रसीद के विरुद्ध) के लिए मैसर्स सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी), मैसर्स राष्ट्रीय संग्रहण प्रबंधन सेवाएं लि. (एनसीएमएल) और मैसर्स प्रैस्टीज बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन (पी) लि. (पीएचसीएल) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। • बैंक ने बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त और समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने हेतु रु. 5.00 लाख तक के ऋण हथकरघा बुनकरों को देने अर्थात् लचीलेपन तथा कम लागत पर कार्यशील पूंजी के साथ-साथ निवेश के प्रयोजन हेतु "पी-एसबी बुनकर मुद्रा योजना" का शुभारंभ किया है। • पीएसबी फार्म मशीनीकरण योजना को फार्म के मशीनीकरण अर्थात् ट्रैक्टर/ कंबाइन हार्वेस्टर/ पॉवर ट्रिलर/रीपर/ ट्रॉली/ पुराने ट्रैक्टरों/ उपकरणों आदि को वित्त पोषित करने हेतु आरंभ किया गया है। • किसानों के लिए दो पहिया/ जीप/ कार/ एसयूवी/ वित्तपोषण के लिए पीएसबी योजना कृषक के लिए दो पहिया/ जीप/ कार/ एसयूवी/ वित्तपोषण के लिए शुरू की गई है। • बैंक ने के.सी.सी. योजना के अंतर्गत संस्वीकृति/ नवीकरण के समय फसली ऋणों पर रु. 3.00 लाख तक प्रसंस्करण शुल्क समाप्त कर दिए हैं और के.सी.सी. के वार्षिक नवीकरण प्रभारों को औचित्यपूर्ण कर दिया है। • बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों हेतु रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए सरल शर्तों पर छोटे ऋणियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा वित्तपोषित करने हेतु "पीएसबी ईको-राईड योजना" आरंभ की है। इस योजना के तहत ब्याज दर को एमसीएलआर में घटा दिया गया है। • पीएमएमवाई के अंतर्गत ब्याज दर को कम कर दिया गया है और बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख तक के ऋणों को एमसीएलआर पर प्रदान कर रहा है। • मुद्रा ऋणों के शिशु वर्ग के अंतर्गत (रु. 50,000/- तक) मार्जिन को 25% से घटा कर 10% कर दिया है। • हमारे बैंक में लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरएसटीआई हैं जो स्व-रोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कृषि और ग्रामीण रोजगार के विकास के लिए पीएसबी ट्रस्ट, आरएसटीआई के सभी प्रशिक्षण व्ययों का वहन करता है • मोगा और फरीदकोट में आरएसटीआई अपने स्वयं के परिसर में काम कर रहे हैं और लुधियाना में आरएसटीआई भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। • आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 19 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भारि. बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निशुल्क साक्षरता/ शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। • बैंक की वेबसाइट को प्रसिद्ध करने तथा वित्तीय समावेशन में कार्यक्षेत्र कार्मिकों को प्रोत्साहित करने हेतु, बैंक ने बैंक वेबसाइट www.psbindia.com पर एफ.एल.सी./ आरसेटी के पोर्टल का शुभारंभ किया है।
---	--

3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Bank has taken various initiatives to increase its lending to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders as under:- • Bank has signed MoU with M/s Central Warehousing Corporation (CWC), M/s National Collateral Management Services Limited (NCML) and M/s Prestige Bulk Handling Corporation (P) Ltd (PHCL) for financing Agri Produce Pledge Loan (against warehouse receipt). • Bank has launched a scheme “P&SB Weaver’s MUDRA Scheme” for extending loans upto Rs.5.00 lakhs to handloom weavers to provide adequate and timely assistance to the weavers to meet their credit requirements i.e. for investments need as well as for working capital, in a flexible and cost effective manner. • PSB Farm Mechanization Scheme has launched for financing of Farm Mechanization i.e. financing of Tractor/Combine Harvester / Power Tiller / Reaper /Trolley / Old Tractors/implements etc. • PSB Scheme for Financing Two Wheelers / Jeep/ Car/ SUV/ for farmers has been launched for financing Two Wheeler/Jeep/Car/SUV for Agriculturist. • Bank has waived the processing fee on crop loans under KCC scheme upto Rs.3.00 Lakh at the time of Sanction/Renewal and also rationalized the Annual renewal charges of KCC. • Bank has launched “PSB ECO-RIDE Scheme” for financing E-Rickshaw under MUDRA Scheme to Micro borrowers on easy terms to create employment opportunities for the poor strata of society. Rate of Interest under this scheme has been reduced to MCLR. • Rate of interest under PMMY has been reduced and the bank is offering Mudra loans upto Rs.2.00 lakh at MCLR. • Under the Shishu category of Mudra loan (upto Rs. 50,000/-), margin has been reduced from 25% to 10%. • Our Bank has three RSETIs at Ludhiana, Moga and Faridkot which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. PSB Trust for development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. • RSETIs at Moga & Faridkot are working in their own premises and construction work of RSETI building at Ludhiana is under progress. • With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at Block level. Presently, our bank has 19 FLCs Centre. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. • To popularize our website and motivate field functionaries to participate in financial inclusion activities, Bank has launched FLC/RSETI Web Portal at Bank’s website www.psbindia.com.
----	---	--

		आंतरिक हितधारक: i. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिक: बैंक अपने कर्मचारियों के साथ जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए एक समान व्यवहार की भावना की नीति का आचरण करता है। बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिकों हेतु कुछ विशिष्ट लाभ/सुविधाएं/सहायता उपलब्ध कराता है जैसे कि: क) दिनांक 31.03.2018 को पदोन्नति से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों जिनमें 1486 अनुसूचित जाति, 546 अनुसूचित जनजाति तथा 1857 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ख) लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को आरक्षण प्रदान किया गया। ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों/विषयों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए बैंक का प्रधान कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के पद का अधिकारी मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त है। इसके अतिरिक्त, आंचलिक कार्यालय स्तर पर मानव संसाधन विकास विभाग के अध्यक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों के समन्वयक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ii. दिव्यांग व्यक्ति: बैंक, एक नियोक्ता के रूप में अपने सभी कार्मिकों को एक समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों के समान ही मजदूरी/वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। विकलांग व्यक्ति को कार्य सौंपते समय इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी विकलांगता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य सरलता से कर सकें। विकलांग व्यक्तियों को विशेष रूप से कुछ लाभ/अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं जैसे कि नियुक्ति का सुविधाजनक स्थान, ग्रामीण/अर्ध-शहरी नियुक्ति से छूट, वाहन भत्ते का भुगतान आदि।
--	--	--

सिद्धांत 5

‘व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा तथा संवर्धन करने हेतु प्रयास करना चाहिए’

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/संयुक्त उद्घम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/एनजीओ/अन्य शामिल है?	बैंक की मानवाधिकार नीतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केवल बैंक परिचालन से ही संबंध है। बैंक इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान हैं और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। बैंक रंग, राष्ट्रीयता, विश्वास, धर्म, पूर्वजों, वैवाहिक स्थिति, लिंग, अपगंता, उम्र या अन्य किसी आधार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षपात नहीं करता है। यौन उत्पीड़न की रोकथाम: बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को निषेद्ध करता है और महिला कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत एवं तेजी के साथ निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए पहल की गई है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेद्ध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, बैंक ने प्रत्येक अंचल में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण बैंक की इंटरनेट साईट पर उपलब्ध है। प्रधान कार्यालय में महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक विशेष महिला कक्ष का सृजन किया गया है ताकि वे मुख्य धारा में सहभागिता कर सकें और उनको उच्च दायित्व ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
2.	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढंग से निपटाया गया ?	वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान शेरधारकों से 8 शिकायतें प्राप्त हुईं जिन्हें उचित रूप से हल किया गया था।

		Internal stakeholders: i. SC/ST Employees: The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends special certain special benefits/facilities/assistance employees belonging to SC/ST employees such as: - Pre- promotion training to SC/ST/OBC employees as on 31.03.2018, 1486 SC, 546 ST & 1857 OBC employees were imparted Pre- promotion trainings. - The Reservations have been given to SC/ST employees in promotion process as per Government guidelines for promotions from Clerical Cadre to Officer Cadre. - The Bank has designated Chief Liaison Officer of the rank of General Manager at Head Office for effectively addressing issues/grievances of SC/ST employees. In addition to this Head of the HR Department at Zonal offices are working as liaison officer for SC/ST/OBC/PHC employees. ii. Persons with disabilities: The Bank as an employer provides equal opportunities to all its employees. The wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability. Certain benefits/considerations are especially extended to persons with disabilities such as convenient place of posting, exemption from rural/semi-urban posting, payment of conveyance allowance etc.
--	--	--

Principle 5

Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

No.	Question	Reply
1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly cover operations of the Bank. The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal, and that the basic human rights of individuals must be respected. The Bank does not discriminate on the basis of color, race, belief, religion, ancestry, marital status, gender, disabilities, age or any other basis. Prevention of sexual Harassment: The Bank prohibits sexual harassment at the work place and initiatives have been taken to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. In compliance of the Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Bank has constituted Internal Complaints Committee at every Zone. The details of the members of the Internal Complaints Committee at Head Office level are also uploaded on the Bank's intranet site. A special women cell has been created at Head Office to exclusively look after the problems of the women employees, with a view to encourage them to participate more in the mainstream and motivate them towards taking up higher responsibilities.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	08 complaints were received from the shareholders during FY 2017-18 which were duly resolved.

सिद्धांत 6

‘व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण एवं पुनरुद्धार करने का प्रयास करना चाहिए’

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कंपनी के सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/एनजीओ/अन्य शामिल है।	जी हाँ, यह नीति केवल बैंक को कवर करती है।
2.	क्या कंपनी के पास भूमंडलीय पर्यावरण संबंधी मामलों जैसे वातावरण में परिवर्तन, भूमंडलीय ताप वृद्धि इत्यादि के लिए रणनीति है/कंपनी ने कोई कदम उठाए हैं ?अगर हाँ तो वेब पेज इत्यादि के लिए हाईपरलिंक दें.	जी हाँ, बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में सम्मिलित हैं: • बैंक की ऋण देने की नीति के निर्देशों के अनुसार, बैंक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले/ओजोन को प्रभावित करने वाले पदार्थों का उत्पादन करने वाली नई ईकाइयों को ऋण नहीं देता है। • आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा ऋणियों को भुगतान/ऋणों का संवितरण किया जा रहा है ताकि कागज के उपयोग से बचा जा सके। • बैंक निर्धारित और यह सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता ग्राहक विषाक्त प्रदूषण उत्सर्जित करने वाली विनिर्माण इकाइयों के मामले में केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त करता है। • बैंक पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, पवन चक्की और हाइड्रो पॉवर परियोजनाओं को वरीयता देता है। • बैंक विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण करता है।
3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिम का निर्धारण/आकलन करती है? हाँ/नहीं	जी हाँ, बैंक टी.ई.वी. अध्ययन/परियोजना मूल्यांकन में जोखिम और संस्वीकृति के समय विचार कर रहा है।
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है ? अगर है तो, लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें, और यदि हाँ तो, क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?	जी हाँ, बैंक द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों में ई-मेल के उपयोग को प्रोत्साहित करना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आंतरिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ए.टी.एम. आदि से कागज रहित बैंकिंग सम्मिलित हैं।
5.	क्या कम्पनी ने प्रदूषण रहित तकनीक, उर्जा दक्षता, नवीकरण उर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है, यदि हाँ ,तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें.	बैंक की ऐसी कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं है लेकिन बैंक ने कई ऊर्जा नवीकरण परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं जिनमें सौर ऊर्जा, पवन चक्की तथा जल विद्युत परियोजना शामिल हैं।
6.	क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी का अवशिष्ट उत्पादन/उत्सर्जन, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के अंदर है?	बैंक सेवा उद्योग में है और इसलिए किसी प्रकार के जहरीले/खतरनाक प्रदूषण को पैदा नहीं करता है। परियोजना ऋणों को वित्त पोषित करते समय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ऋण संस्वीकृति से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना हमारी प्रमुख शर्त है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात संतोषजनक रूप से नहीं निपटाए गए) कारण बताओ/विधिक नोटिस की कुल संख्या	शून्य

सिद्धांत 7

‘व्यवसाय जब जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करता हो, तो उसे उत्तरदाई पूर्वक सम्पन्न किया जाना चाहिए’

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड और चेम्बर या संगठन की सदस्य है ? यदि हाँ, तो उनमें से सिर्फ प्रमुख का नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय संबद्ध है.	जी हाँ 1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम) 5. निब्सकॉम 6. बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) 7. द विलरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआई) 8. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एनपीसीआई)

Principle 6**Business should respect, protect and make efforts to restore the environment**

No.	Question	Reply
1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/Suppliers/Contractors/ NGOs/others	Yes, the policy covers only the Bank.
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming etc.? Y/N, if yes, please give hyperlink for webpage etc.	Yes, various initiatives taken by Bank includes: • In terms of the Bank's Lending Policy guidance, the bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone depleting substances. • Payment to borrowers/ disbursement of loans is being made by RTGS/NEFT so as to save paper consumption. • Bank stipulates and ensures that the borrower client obtains NOC from Central / State Pollution Control board, in case of manufacturing units emitting toxic pollutants. • Bank gives preference to environment friendly projects like solar Power, Wind Power and Hydro Power projects. • Bank undertakes drives such as tree plantation on special occasions.
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Yes/No	Yes, Bank is duly considering environmental risk in TEV study / project appraisal, and the same is duly considered at the time of sanction.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?	Yes, various green initiatives undertaken by the bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internal banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking.
5.	Has the company undertaken any other initiatives on-clean technology, energy efficiency, renewable energy etc. Yes/No. If yes, please give hyperlink for web page etc.	The Bank has no such direct project, but the Bank has financed many renewable energy projects including Solar Power, Wind Power and Hydro Power projects.
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	The Bank is in the service industry and as such does not emit any toxic/ hazardous pollutants. While financing project loans, NOC from Pollution control Boards and Ministry of Environment and Climate change is one of our prominent conditions of credit sanctions.
7.	Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7**Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner**

No.	Question	Reply
1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, name only those major ones that your business deals with.	Yes 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM) 6. Banks Board Bureau (BBB) 7. The Clearing Corporation of India Ltd. (CCI) 8. National Payments Corporation of India (NPCI)

2.	क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति/सुधार के लिए समर्थन/प्रचार किया है? यदि हाँ, तो प्रमुख क्षेत्र जैसे शासन प्रणाली और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समग्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धांत, अन्य विनिर्दिष्ट करें।	बैंक, इन संगठनों के सदस्य होने के नाते नीति निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों के साथ प्रत्यक्ष रूप में कार्य करता है, जो बैंकिंग उद्योग की कार्यपद्धति और नियंत्रण संबंधी नीतियों तथा बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक विकास को शामिल करने वाली नीतियाँ तैयार करने हेतु प्रभावी रूप से कार्यरत है।
----	---	---

सिद्धांत 8

“व्यवसाय से समावेशी वृद्धि तथा सामयिक विकास को बल मिलना चाहिए”

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या कम्पनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	बैंक ने समाज की समग्र वृद्धि तथा समुचित विकास के लिए कई कार्यक्रमों/परियोजनाओं/पहलों को आरंभ किया है, जिनका विवरण निम्न है:- ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) : हमारे बैंक की लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरसेटियाँ हैं जो बैंक के न्यास अर्थात् ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास हेतु पीएसबी ट्रस्ट (डेअर हेतु पीएसबी ट्रस्ट) के अधीन स्थापित हैं जोकि बेरोजगार युवकों हेतु स्व-रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। मोगा और फरीदकोट की आरसेटियाँ अपने परिसर में कार्य कर रही हैं तथा लुधियाना आरसेटी के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, सभी तीनों आरसेटियों ने 81 कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 1894 आवेदकों को प्रशिक्षित किया गया है। 1894 आवेदकों में 1166 आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति, 326 बी.पी.एल. तथा 1216 आवेदक महिला लाभार्थी हैं। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित 1894 आवेदकों में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1206 आवेदक स्थापित हो गए हैं। 465 उम्मीदवारों को विभिन्न बैंकों से क्रेडिट लिकेज के माध्यम स्थापित कर दिया गया है। आरसेटियों के प्रशिक्षण संबंधी व्ययों का वहन कृषि विकास एवं ग्रामीण रोजगार हेतु पीएसबी ट्रस्ट करता है। वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) - आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 19 एफ.एल.सी. केंद्र हैं। भा.रि. बैंक और एस.एल.बी.सी. उनके कार्यनिष्पादन की तिमाही आधार पर निगरानी करता है। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को निशुल्क साक्षरता/शिक्षा उपलब्ध कराना एफ.एल.सी. का मुख्य उद्देश्य है। एफ.एल.सी. ऋणियों को भी संकट के समय उनके ऋणों की पुनर्संरचना योजनाओं में भी सहायता करती है और पूर्ववर्ती वित्तीय संस्थानों से उनका अनुमोदन भी करती हैं। यद्यपि, एफ.एल.सी. किसी भी बैंक/बैंकों के उत्पाद हेतु निवेश सलाहकार केंद्रों/मार्केटिंग केंद्रों के रूप में कार्य नहीं करते हैं। परामर्शदाता मार्केटिंग/बीमा पॉलिसियों में निवेश करने के संबंध में सलाह उपलब्ध कराने, प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों के मूल्य, प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद, या केवल बैंक के अपने उत्पादों को प्रोत्साहित करने अथवा निवेश करने पर सलाह नहीं देता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना - किसानों को विस्तारित बीमे के भार से बचाने के लिए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने विस्तारित बीमे की शर्त को हटा दिया है। अब किसान बैंक की ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना की सदस्यता ले सकते हैं। ट्रैक्टर का केवल थर्ड पार्टी बीमा कराया जाए। किसान जिसने ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना की सदस्यता हेतु विकल्प दिया है, को प्रति वर्ष रु. 500/- का अंशदान ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना में देना होगा। गंभीर दुर्घटना के मामले में, जहाँ नुकसान की राशि रु. 10,000/- से अधिक है तो ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना से अनुमानित हानि का 50% उपलब्ध कराया जाता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना के सदस्य बनने के साथ, 9 वर्ष की अवधि में किसान रु. 15,000 से रु. 20,000 की बचत करता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना का रखरखाव “ग्रामीण रोजगार एवं कृषि विकास हेतु पी.एस.बी. ट्रस्ट” द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर कल्याण निधि योजना में एकत्रित निधियों का उपयोग किसान समुदाय के लिए किया जाता है।

2.	Have you advocated/ lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No. If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, others)	Bank being member of these associations works directly with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry and sustainable development of the banking industry.
----	--	--

Principle 8

Business should support inclusive growth and equitable development

No.	Question	Reply
1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If Yes details thereof.	The Bank has taken various initiatives/ projects to support inclusive growth and equitable development as under: 1. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)- Our Bank has three RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana, established under the aegis of Bank's Trust i.e. PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (PSB Trust for DARE), which conducts training programmes for unemployed youth for self employment. RSETIs at Moga & Faridkot are working in their own premises and construction work of RSETI building at Ludhiana is under progress. During the current financial year 2017-18, all our three RSETIs have conducted 81 training programs wherein 1894 candidates have been trained. Out of 1894 candidates, 1166 candidates belong to SC/ ST category, 326 belong to BPL & 1216 candidates are women beneficiaries. Out of 1894 RSETI trained candidates, 1206 candidates have settled during current financial year. 465 candidates have been settled through credit linkage from different Banks. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. 2. Financial Literacy Centres (FLCs)- With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at District level. Presently, our bank has 19 FLCs. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. FLCs also help borrowers in distress by formulating their debt restructuring plans and recommend the same to formal financial institutions. FLCs, however, do not act as investment advice centres /marketing centres for products of any particular bank/ banks. Counsellors refrain from marketing / providing advice regarding investment in insurance policies, investment in securities, value of securities, purchase/ sale of securities, etc., or promoting investments only in bank's own products. 3. Tractor Welfare Fund Scheme- To save the farmer from the burden of comprehensive insurance, Punjab & Sind Bank has waived the condition of comprehensive insurance. Now the farmer may opt for membership of Tractor Welfare Fund of the bank. Tractor is to be insured for Third party only. The farmer who has opted for Tractor Welfare Fund Scheme has to contribute only Rs.500/- per year in the Tractor Welfare Fund. In case of serious accident where the amount of loss is more than Rs.10,000, compensation to the extent of 50% of the assessed loss is provided from the Tractor Welfare Fund. By becoming member of Tractor Welfare Fund Scheme, the farmer saves Rs.15,000 to Rs.20,000 over a period of 9 years. The Tractor Welfare Fund is maintained by a Trust named "PSB Trust for Development of Agriculture & Rural Employment". The funds collected in Tractor Welfare Fund are utilized for the benefit of farming community.

	बैंक को कुल 3192 गाँव आबंटित किए गए हैं। 3192 गाँवों तक पहुँच बनाने हेतु कुल 961 एस.एस.ए. बनाए गए हैं। बैंक द्वारा सभी एस.एस.ए. को या तो ईट और गाढ़े की शाखाओं अथवा सूचना संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) पर आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि (बी.सी.) मॉडल से कवर किया जा रहा है। 961 एस.एस.ए. में से 351 एस.एस.ए. को व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से तथा 610 एस.एस.ए. को वर्तमान शाखाओं द्वारा कवर किया गया है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री जनधन योजना के फेज-1 के अंतर्गत कवर किया गया है (15.08.2014–26.01.2015)। • बैंक ने आज तक आंचलिक कार्यालयों/शाखाओं के माध्यम से 351 व्यवसाय प्रतिनिधियों को कार्य पर रखा है, उनको सूक्ष्म ए.टी.एम. उपलब्ध कराये है और मैसर्स टी.सी.एस. के माध्यम से एफआई गेटवे क्रियान्वित किया है। इस गेटवे ने बैंक मित्रों को बिना किसी बाधा के लेनदेन करने के लिए सक्षम किया। • शाखाओं के माध्यम से कुल 326 करोड़ के कुल बकाए के साथ 16.35 लाख बी.एस.बी.डी. खातों को खोला गया है और बैंक मित्रों के माध्यम से रु. 16 करोड़ की जमा के साथ 1.92 लाख खातों को खोला गया है। • 70595 बी.एस.बी.डी. खातों में रु. 52.68 लाख की ओवर ड्राफ्ट सुविधा ली गई। • रु. 8451 करोड़ के कुल बकाए के साथ 232663 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। • रु. 4.74 करोड़ के कुल बकाए के साथ 1634 जी.सी.सी. जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) वित्तीय समावेशन जोकि वित्तीय सेवाओं मुख्यतया: बैंकिंग/बचतों एवं जमा खातों, विप्रेषण, क्रेडिट, बीमा, सुविधाजनक रूप में पेंशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है। किसी भी बैंक की शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) की आउटलेट पर खाता खोला जा सकता है। पी.एम.जे.डी.वाई. खाते जीरो बैलेंस के साथ खोले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खाता खोलेगा, रुपये डेबिट कार्ड प्राप्त करेगा और रु. 1,00,000/- के दुर्घटना बीमा हेतु पात्र होंगे। खाते का 6 महीने तक संतोषजनक परिचालन होने के बाद, वे रु. 5,000/- तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आगे, जिस ग्राहक ने दिनांक 15.08.2014 से 31.01.2015 के मध्य में खाता खोला है, भारतीय जीवन बीमा निगम से रु. 30,000/- का अतिरिक्त मीयादी बीमा कवर प्राप्त करेंगे। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अतिरिक्त, खाता धारकों को अन्य बीमा तथा पेंशन उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। • बैंक ने बैंकिंग व्यवसाय के रूप में बीसी मॉडल बनाया है और प्रत्येक बी.सी. को लक्ष्य प्रदान किए गए हैं। • सभी व्यवसाय प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म ए.टी.एम. मशीन उपलब्ध कराई गई है जिनके माध्यम से बीसी नामांकन (बचत खाते खोलना), लेन-देनों (ए.ई.पी.एस. ऑफ-यू.एस. एवं ऑन यू.एस.), नकदी जमा और आहरण, बैलेंस की पूछताछ, मिनी विवरणी, आधार प्रविष्टि, रुपये कार्ड आधारित पिन-पेड लेन-देनों (ऑनस एवं ऑफस) कर रहे हैं। ऑन-लाईन/रियल टाइम लेन-देनों को आफ-डे तथा ऑफ-टाइम किया जा रहा है। • व्यवसाय प्रतिनिधी सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं (पी.एम.जे.जे.बी.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई. एवं ए.पी.वाई.) के अंतर्गत बीमा पॉलिसियों को भी कर रहे हैं। • बैंक सभी व्यवसाय प्रतिनिधियों को न्यूनतम रु. 5,000/- + वाहन प्रभार + परिवर्ती कमीशन का भुगतान कर रहा है। • दिनांक 31.03.2018 तक बैंक ने पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत 351 बैंक मित्रों तथा शाखाओं के माध्यम से 10.79 लाख खाते खोले हैं जिनमें कासा/एफडी/आरडी की रु. 594 करोड़ की राशि संग्रहित की है जो प्रति खाता औसतन रु. 5505 है। • बैंक ने पीएमजेडीवाई ओडी को सफलता पूर्वक ए.टी.एम./सूक्ष्म ए.टी.एम. के माध्यम से लागू किया है। • पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में कुल आधार की प्रविष्टि 86% है। • हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शत-प्रतिशत व्यवसाय प्रतिनिधियों को आई.आई.बी.एफ. द्वारा प्रमाणित किया गया है और हमारे बैंक के 91% व्यवसाय प्रतिनिधियों को भारतीय बैंकर एवं वित्त संस्थान (सभी बैंकों में उच्चतम) द्वारा प्रमाणित किया गया है। • बैंक को 283 सूक्ष्म ए.टी.एम. हेतु रु. 42.45 लाख की आर्थिक सहायता मिली है जो 2000 ए.ई.पी.एस. (आधार युक्त) लेन-देनों को पार कर चुका है। हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में से एक है जिसको सूक्ष्म ए.टी.एम. हेतु यू.आई.डी.ए.आई. से ऐसी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।
--	---

	Bank has been allotted total 3192 villages. Total 961 SSAs formed to cover all 3192 villages. All SSAs are being covered by the bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. Out of 961 SSAs, 351 SSAs have been covered through BC and 610 SSAs have been covered through existing Branches, therefore all allotted Households has been covered under the Phase-I (15.08.2014-26.01.2015) of PMJDY. • Bank has engaged 351 BC as on date through Zonal Offices/Branches, provide them Micro-ATM and implemented FI Gateway through M/s TCS. This gateway enabled Bank Mitras to conduct seamless Transactions. • 16.35 lac BSBD Accounts have been opened with a total outstanding of Rs. 326 crore through branches and 1.92 lac accounts with deposit of Rs. 16 crore were opened through Bank Mitra. • OD facility availed in 70595 BSBD Accounts with Rs. 52.68 lac. • 232663 KCCs have been issued with a total outstanding of Rs. 8451 crore. • 1634 GCCs have been issued with a total outstanding of Rs. 4.74 crore. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services, namely, Banking/ Savings & Deposit Accounts, Remittance, Credit, Insurance, Pension in an affordable manner. Account can be opened in any bank branch or Business Correspondent (Bank Mitra) outlet. PMJDY accounts are being opened with Zero balance. Every person who opens the account under PMJDY will get a Rupay Debit card and would be eligible for Rs. 1,00,000/- accidental insurance cover. After six month of satisfactory conduct of account, they would be able to get an overdraft facility up to Rs. 5,000/-. Further, the customer who opened account between 15.08.2014 to 31.01.2015 will get additional term insurance of Rs. 30,000/- from LIC. Besides the financial literacy programs, other insurance and pension products also would be made available to account holders. • Bank made BC model as banking business model & monthly targets are given to each BC. • All individual BC are provided with Micro ATM machines through which BC are doing Enrollments (opening of SB accounts), Transactions (AEPS OFF-US & ON-US), Cash Deposit & withdrawal, Balance enquiry, Mini statement, Rupay card based transactions (Onus & Offus). On-line/Real time transactions are happening on off-days & off-time. • BCs are also doing insurance Policies under Government social benefit schemes (PMJJBY, PMSBY & APY). • Bank is providing minimum remuneration of Rs. 5000/- p.m. + conveyance charges + variable commissions to all BCs. • As on 31.03.2018 Bank has opened 10.79 lac PMJDY accounts through Branches and 351 BCs and mobilized CASA deposit of Rs. 594 crore, with average per account Rs. 5505 per account.. • The Bank has successfully implemented PMJDY OD through ATMs/Micro ATMs. • Total Aadhaar seeding in active PMJDY Accounts is 86 %. • Our 100% BCs of RRB are certified through IIBF and 91% BCs of our Bank are certified through Indian Institute of Banking & Finance (highest among all Banks). • Bank has received subsidy amount of Rs. 42.45 lacs for 283 MicroATMs which have crossed 2000 AEPS (Aadhaar enabled) transactions. Our bank is one of few Public Sector Bank to receive such subsidy from UIDAI for MicroATMs.
--	--

		• बैंक द्वारा आधार जोड़ने के विशेष ध्यान के साथ, नामांकन, रुपये कार्ड/पिन वितरण और क्रियाशील, खातों आदि के परिचालन पर वित्तीय साक्षरता करने के साथ कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। • व्यवसाय प्रतिनिधी के स्तर पर आधार आधारित खातों को खोलने हेतु ई-के.वाई.सी. को लागू किया गया है। • बैंक ने साधारण मोबाईल पर मोबाईल बैंकिंग लेन-देनों को करने हेतु यूएस एसडी सुविधा लागू की है। • सभी अंचलों तथा शाखाओं में वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु मानकीकृत वित्तीय साक्षरता सामग्री जैसे कि कॉमिक बुकलेट, ऑडियो विजुअल की आपूर्ति की गई है। • कार्यक्षेत्र स्तर की समस्या के समाधान तथा समन्वय के लिए व्यवसायिक प्रतिनिधियों के स्थल पर प्र.का. के अधिकारियों का दौरा। आंचलिक कार्यालय पर नियुक्त नामित अधिकारी का बीसी स्थल का प्रत्येक माह दौरा और प्रत्येक तथा सभी बीसी के वास्तविक कार्यनिष्पादन की रिपोर्ट। आंचलिक कार्यालय में नियमित बैठक जहाँ बीसी को मंत्रालय के वर्तमान दिशा-निर्देशों तथा उनके एम/सी तथा अन्य समस्याओं से संबंधित की जानकारी दी जाती है। • हमने ए.ई.पी.एस. ऑफ-अस लेन-देनों में उच्च निरस्तीकरण का विश्लेषण किया है और असफल लेन-देनों को कम करने में उपचारात्मक उपाय किए हैं। • एफ.एल.सी.सी. के साथ समन्वय करते हुए बैंक ने ग्रामीण आबादी के मध्य में वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने हेतु गाँवों में वित्तीय साक्षरता कैंपों का आयोजन कर पहल की है जहाँ आधारिक बैंककारी सेवाओं के साथ अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.जे. जे.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई., ए.पी.वाई., ओडी आदि के संबंध में गाँव वालों से विचार-विमर्श किया जाता है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें।
2.	क्या इस कार्यक्रम/परियोजना को आंतरिक टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाया जाता है ?	बैंक की आंतरिक टीम द्वारा वित्तीय समावेशन परियोजना का कार्य किया जा रहा है। बैंक ने इस प्रयोजन हेतु अलग से महाप्रबंधक के नेतृत्व में विभाग का गठन किया है। कृषि और ग्रामीण रोजगार के विकास (डेयर हेतु पीएसबी न्यास) के लिए पी.एस.बी ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियाँ करता है। डेयरी फार्मिंग में नवीनतम तकनीक से किसानों को प्रशिक्षित करने, ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों को जैसे ड्रेस डिजायनिंग एवं कढ़ाई कार्य, टाई एवं डाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्यूटी पॉलर, जैम और आचार बनाने आदि को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। पीएसबी टीडेअर द्वारा पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यय वहन किए जा रहे हैं।
3.	क्या आपने कभी अपनी पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है?	जी हाँ, हमारे बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत की गई पहल से समाज के एक बड़े तबके को लाभ पहुँचा है जो बैंककारी सुविधाओं से वंचित था जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश मिला। हमने प्रति परिवार एक खाता खोल कर सभी घरों को सम्मिलित किया है। यह देखा गया कि अपनी अतिरिक्त निधि को बचत करने हेतु भरोसेमंद स्रोत जैसे बैंक खाता प्राप्त करने के बाद, जो पहले बचत करने में समर्थ नहीं थे, ने बचत करने की आदत विकसित कर ली है। यह तथ्यों में देखा गया है कि बी.एस.बी.डी.ए. खातों में औसत निधि निरंतर वृद्धि कर रही है। बैंक खाता नहीं होने पर या तो इस निधि को बैंकिंग की मुख्य धारा में नहीं लाया गया होता अथवा उपभोग में ही यह समाप्त हो गई होती। बैंक मित्रों के माध्यम से प्रति माह लगभग 1.20 लाख लेन-देनों को किया गया जो दर्शा रहा है कि ग्रामीण व्यक्तियों ने बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेना शुरू कर दिया है। बैंक ने ए.टी.एम. के माध्यम से ऑन लाईन ओडी सुविधा क्रियान्वित कर दी है। इन-बिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा की उपलब्धता से उन्हें सहूलियत ही नहीं हुई है अपितु साहुकारों के चंगुल से उनको धीरे-धीरे छुटकारा भी मिला है। इस प्रकार, यह उक्त आबादी की बचत करने की आदतों पर सकारात्मक प्रभाव और उनके संपूर्ण विकास हेतु मुख्य वित्तीय धारा में सम्मिलित होने को दर्शाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में, हमारे आरसेटी ने 81 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 1894 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। 1894 उम्मीदवारों में, 1166 उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. के 326 और 1216 महिला लाभार्थी हैं। 1894 आरसेटी प्रशिक्षित उम्मीदवारों में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1206 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त कर 465 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं।

		- Camps are being organized by bank with a special focus on financial literacy along with aadhaar seeding, enrolment, RuPay card/PIN distribution and activation. - E-KYC has been implemented at BC points for opening of Aadhaar based accounts. - Bank has implemented USSD facility for carrying out mobile banking transactions on ordinary mobiles. - Standardized Financial Literacy material such as booklets, audio visual has been supplied to all zones and Branches for spreading Financial Literacy. - Visit by Branch officials to BC point to increase coordination and resolve field level issue. Monthly visit of BC location done by nodal officer appointed at Zonal Office are being conducted to report the actual performance of each and every BCs. Regular meetings at Zonal Office are being organized where recent guidelines of Ministry is communicated to BCs and also resolution of their Machine related or other problems. - We have analyzed the high rejection in AEPS off-us transactions and take remedial measures for reducing transactions failure. - Bank in coordination with the FLCCs took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD etc are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements.
2.	Are the programmes / projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/ any other organization?	The financial inclusion project has been undertaken through in-house team. Bank has set up separate department headed by General Manager for this purpose. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment (PSB Trust for DARE) undertake a number of welfare activities for farmer in rural areas. Special camps are being organized to train farmers about latest technology in Dairy Farming, Women Entrepreneurship in rural areas like Dress designing & embroidery work, tie & dye training programme, Beauty Parlor, Jam & pickle making etc. The entire expenses of such training programme are borne by PSB TDARE.
3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	Yes. The initiatives taken by our bank under PMJDY benefited a large segment of society who was deprived of banking facility thereby bringing the unbanked population into the formal financial sector. We have covered all household by opening at least one A/c per family. It is observed that after getting the reliable sources for saving of their surplus funds like bank account, the people who were earlier not able to save have started developing habits of saving money. It can be seen from the fact that average aggregate funds in BSBDA accounts are continuously increasing. In the absence of bank account, these funds either would not have brought in mainstream banking or would have been lost in consumption. Approx. 1.20 lac transactions per month have been processed through Bank Mitras, thereby indicating that rural people have started using banking facilities. Bank has also implemented online OD through ATM. The availability of in-built overdraft facility is not only giving them comfort but removing them slowly out of clutches of private money lenders. Thus it shows positive impact on savings habit of above said population and joining main financial stream for their overall development. During the current financial year 2017-18, our RSETIs have conducted 81 training programs wherein 1894 candidates have been trained. Out of 1894 candidates, 1166 candidates belong to SC/ ST category, 326 belong to BPL & 1216 candidates are women beneficiary. Out of 1894 RSETI trained candidates, 1206 candidates have settled during current financial year. 465 candidates have been settled through credit linkage during the year from different Banks.

		बैंक ने 19 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के सहयोग के साथ ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता फैलाने हेतु गाँवों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों का आयोजन कर पहल की है जहाँ आधारिक बैंककारी सेवाओं के साथ अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.जे.जे.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई., ए.पी.वाई., ओडी आदि के संबंध में गाँव वालों से विचार-विमर्श किया है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1192 केंद्रों का आयोजन किया गया जिनमें 60,124 व्यक्तियों ने सक्रियता से सहभागिता की।
4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है?(राशि रु. में एवं प्रारंभ की गई योजनाओं का विवरण)	बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों को करने के लिए अपनी सी.एस.आर. निधि से पीएसबी टीडेअर को अंशदान देता है। बैंक ने आरसेटी के भवन का निर्माण करने हेतु रु. 1.15 करोड़ तथा ग्रामीण बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु रु. 24.36 लाख का सहयोग दिया है। सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा धन खर्च करने के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया है। हालांकि, हमारे बैंक की अपनी सीएसआर नीति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को लोगो ने सफलतापूर्वक अपनाया है.यदि हाँ तो,कृपया 50 शब्दों में विवरण दें।	बैंक ने आरसेटी से प्रशिक्षित आवेदकों को स्थापित करने के लिए स्वरोजगार अथवा ऋण प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए हैं। ग्रामीण व्यक्तियों में बैंक के प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल को अद्यतित करने के प्रयास प्रसिद्ध हुए हैं।

सिद्धांत 9

”अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं से जुड़े रह कर उनको जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से व्यवसाय को महत्व देना चाहिए“

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	दिनांक 31.03.2018 तक 0.78% शिकायतें लंबित थी।
2.	क्या कंपनी ने उत्पाद स्तर पर स्थानीय कानून की अनिवार्यता के तहत निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित की है ? हाँ/नहीं	बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं और उत्पादों के विषय में जानकारी शाखाओं में पर्चों/डिस्पले बोर्ड और ब्रासर के माध्यम से तथा बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है।
3.	क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कम्पनी के विरुद्ध अवैध व्यापार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और यह इस वित्तीय वर्ष तक लंबित है ? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।	लागू नहीं
4.	क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्ति/उपभोक्ता सर्वेक्षण कराया है ?	बैंक ने बोर्ड की उप-समिति का गठन किया है जिसको बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के नाम से जाना जाता है जो कि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नवोन्मेषी उपाय करने और सलाह देने के लिए मंच का सृजन करने तथा हर समय सभी वर्गों के ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि करने हेतु है। समिति शिकायतों और अवादों की स्थिति की समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, समिति की दिनांक 15/05/2017, 27/09/2017, 15/11/2017 तथा 13/02/2018 को बैठकें हुई। बोर्ड की उप-समिति के अतिरिक्त, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि. बैंक) के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की स्थाई समिति का भी गठन किया है। समिति का मुख्य एजेंडा है:- i. बैंक द्वारा किए गए ग्राहक केंद्रित उपायों को सञ्ज्ञान में लेना। ii. शिकायतों की स्थिति और लंबित निर्णयों को लागू करना। iii. वर्तमान में सभी एटीएम को टॉकिंग एटीएम में परिवर्तित करने की योजना व बैंक की सभी शाखाओं में एटीएमों को स्थापित करने की स्थिति। iv. कालग्रसित जमाकर्ताओं/लॉकर के किराएदारों/सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुओं के जमाकर्ताओं के दावों की स्थिति ? वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, समिति की दिनांक 02/05/2017, 05/08/2017, 25/10/2017 तथा 28/03/2018 को बैठकें हुई। बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान जमाकर्ताओं की संतुष्टि के वार्षिक सर्वेक्षण करके ग्राहक सेवा को बढ़ाने में एक और पहल की है।

		Bank in coordination with 19 Financial Literacy Centres (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking Services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD, Digital Banking etc are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. A total of 1192 camps were organized in FY 2017-18 wherein 60,124 people actively participated.
4.	What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	Bank contributes out of its CSR fund to PSB TDARE for carrying welfare activities in rural areas. Bank contributed Rs. 1.15 crore for construction of RSETI building and Rs. 24.36 lac for providing various infrastructure facilities at RSETIs for training of rural unemployed youth. The Government has not fixed any norms for spending the funds by various Public Sector Banks (PSBs) under the Corporate Social Responsibilities (CSR). However, our bank has its own CSR policy duly approved by its Board of Directors.
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Bank has taken a number of steps for settlement of RSETI trained candidates either through self employment or through credit linkage. Bank's initiatives to impart training & skill up gradations have been popular among rural people.

Principle 9

Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year	0.78% complaints were pending as on 31-03-2018.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No/NA. Remarks (additional information)	The information about the products and services offered by the bank are made available in the branches through pamphlets/Display boards and brochures and is also made available on the Bank's website.
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, if about 50 words or so.	Not Applicable
4.	Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends?	The Bank has constituted a sub-committee of Board known as Customer Service Committee of the Board for creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times. The committee reviews the status of the complaints and awards. During the financial year 2017-18, the Committee met on 15/05/2017, 27/09/2017, 15/11/2017 & 13/02/2018. Besides, the sub-committee of the Board, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI). The main agenda of Committee are:- i) To take stock of the customer centric measures taken by the Bank. ii) Status of complaints and awards pending for implementation. iii) Roadmap for converting all existing ATMs as talking ATMs and status of installation of ATMs at various branches of the Bank. iv) Status of claims of deceased depositors / locker-hirers/ depositors of safe custody article. During the FY 2017-18, the Committee met on 02/05/2017, 05/08/2017, 25/10/2017 and 28/03/2018. Bank has also taken another initiative in enhancing customer service by carrying out Annual survey of Depositors Satisfaction during the year 2017-18.

बासल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष

तलिका डी एफ-1 अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	
ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गई है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण	लागू नहीं
क) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	
ख) बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जो बीमा कंपनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित है, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तलिका डी एफ 2 - पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टीयर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें:

बैंक ने लोअर टीयर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड्स को देसी दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

- » बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 118 माह से 127 माह के बीच होती है।
- » ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।

ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने 1000.00 करोड़ रुपये के बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टायर I बॉन्ड 08.05.2017 को जारी किए हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

रु. करोड़

क) टीयर 1 पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
— प्रदत्त अंश पूंजी;	564.91
— आरक्षितियाँ;	4767.04
— चोन्मेषी प्रपत्र ;	100.00
— अन्य पूंजी प्रपत्र ;	0.00
- उप योग	6331.95
— घटाए: टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	602.00
कुल टीयर I पूंजी	5729.95

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

<u>Qualitative Disclosures</u>	The Bank does not belong to any group
(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
<u>Quantitative Disclosures</u>	
(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE
Qualitative disclosures
TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes / Debentures at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I Capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has issued Basel III compliant Additional tier I Bonds amounting to Rs. 1000.00 Cr on 08.05.2017.

Amt. - Rs/ Crores

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
- Paid-up share capital;	564.91
- Reserves;	4767.04
- Innovative instruments;	1000.00
- Other capital instruments;	0.00
- SUB-TOTAL	6331.95
- LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	602.00
TOTAL TIER I CAPITAL	5729.95

ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	1546.74
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
— कुल बकाया राशि	लागू नहीं
— इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
— पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
— कुल बकाया राशि	1575.00
— इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	-
— पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	875.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतिया, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	7276.69

तालिका डी एफ 3 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का कार्यान्वयन करते समय उच्च –कोटि की वैश्विक कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आँकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर, कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :-

- » ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- » परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- » बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि-रूपए/करोड़
» 9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4800.89
» प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रूपए/करोड़
» ब्याज-दर जोखिम	549.49
» विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
» इक्विटी जोखिम	68.48

(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	1546.74
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
- Total amount outstanding.	NA
- Of which amount raised during the current year	NA
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
- Total amount outstanding	1575.00
- Of which amount raised during the current year.	-
- Amount eligible to be reckoned as capital funds	875.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	7276.69

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY**Qualitative disclosures**

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

Quantitative Disclosures**Capital requirements for credit risk:**

	Amt. - Rs/ Crores
- Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4800.89
- Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital requirements for Market Risk	Amt. - Rs/ Crores
- Interest rate risk	549.49
- Foreign exchange risk (including gold)	2.25
- Equity risk	68.48



परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रूपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	388.65

बैंक हेतु कुल तथा टियर I पूंजी अनुपात:

बासेल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.27%
बासेल II के अनुसार टियर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.87%

तालिका डी एफ 4 ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।
- यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकोती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं / कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

- बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - Rs/ Crores
Basic indicator approach	388.65

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	11.27%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.87%

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES**Qualitative Disclosures****A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED :**

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

- ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणियों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आसित माना जायगा।
- उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell and Operations Risk Management Cell.

- महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन—बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत्त हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि-रूपए / करोड़
1.	निधि-आधारित ऋण राशि	69738.78
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	4015.20

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि-रूपए / करोड़
1	विदेशी	शून्य
	— निधि आधारित ऋण जोखिम	
	— गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	देशी	69738.78
	— निधि आधारित ऋण जोखिम	
	— गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	4015.20

एक्सपोजर का उद्योग वार वितरण

उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
1. खाद्यान एवं उत्खनन	213.66	151.11	364.77
2. खाद्य प्रसंस्करण	926.82	17.10	943.92
3. बेवरेज एवं तम्बाकू	315.91	18.86	334.77
4. कपड़ा उद्योग	1478.50	34.99	1513.49
5. चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	197.97	2.20	200.17

राशि - रु. करोड़

- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General manager / Deputy General Manager monitors the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Quantitative Disclosures

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	69738.78
2	Non Fund Based Credit Exposures	4015.20

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	69738.78
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	4015.20

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

INDUSTRY	Amt. - Rs/ Crores		
	Funded	Non-fund	Total
A. MINING & QUARRYING	213.66	151.11	364.77
B. FOOD PROCESSING	926.82	17.10	943.92
C. BEVERAGES & TOBACCO	315.91	18.86	334.77
D. TEXTILES	1478.50	34.99	1513.49
E. LEATHER & LEATHER PRODUCTS	197.97	2.20	200.17



उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
6. काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	83.30	18.55	101.85
7. कागज तथा कागज उत्पाद	33.30	0.93	34.23
8. पेट्रो / कोयला / नाभकीय ईंधन	373.65	0.44	374.09
9. रसायन & रसायन उत्पाद.	61.26	3.97	65.23
10. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद.	194.22	27.26	221.48
11. कांच एवं इसके बने उत्पाद	15.34	1.52	16.85
12. सीमेंट & सीमेंट उत्पाद.	23.71	77.98	101.69
13. मूल धातु & धातु उत्पाद.	2151.97	48.03	2199.99
14. समस्त इंजीनियरिंग	418.35	64.42	482.77
15. वाहन/वाहन कलपूर्ज एवं टीपीटी औजार	254.57	117.88	372.45
16. रतन और आभूषण	1644.61	126.40	1771.01
17. निर्माण	625.11	350.98	976.09
18. बुनियादी सुविधायें	15002.81	1149.43	16152.24
19. अन्य उद्योग	144.04	9.76	153.80
20. अवशिष्ट	45579.69	1793.41	47373.10
कुल योग	69738.78	4015.20	73753.98

उल्लेखनीय एक्सपोजर

उद्योग जहां कुल एक्सपोजर, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5% से अधिक है:

राशि रु. करोड़ में

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण
1.	बुनियादी सुविधायें	16152.24
2.	अवशिष्ट	47373.10

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :-

राशि रु. करोड़ में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एवं जोखिम (स्टैंडर्ड टीएल + पीसीए + बिल)	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां (टीडी + एसबी + सीए)	उधार
अगला 1 दिन	1802.32	0.00	24.46	192.08	861.67	0.00
2 दिन से 7 दिन	847.95	268.43	0.25	20.43	2819.51	100.00
8 दिन से 14 दिन	329.85	68.07	2.36	17.36	2227.50	750.00
15 दिन से 30 दिन	1454.82	2.45	3.13	69.98	3803.22	0.00
31 दिनों से 2 माह	1360.19	344.57	14.53	69.94	6846.20	0.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	635.15	115.98	21.61	82.14	6258.80	0.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	2965.57	1583.00	28.37	74.46	11149.23	19.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	3008.52	2541.63	56.90	0.00	30060.74	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	11633.03	2272.20	222.45	119.79	20048.64	139.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	15055.75	4630.90	9.62	0.00	9608.73	0.00
5 वर्षों से अधिक	27476.30	21154.53	0.00	0.00	8041.92	0.00
कुल	66569.45	32981.76	383.68	646.18	101726.17	1008.00

INDUSTRY	Funded	Non-fund	Total
F. WOOD & WOOD PRODUCTS	83.30	18.55	101.85
G. PAPER & PAPER PRODUCTS	33.30	0.93	34.23
H. PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	373.65	0.44	374.09
I. CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	61.26	3.97	65.23
J. RUBBER, PLASTIC & ITS PROD.	194.22	27.26	221.48
K. GLASS & GLASSWARE	15.34	1.52	16.85
L. CEMENT AND CEMENT PROD.	23.71	77.98	101.69
M. BASIC METAL & METAL PROD.	2151.97	48.03	2199.99
N. ALL ENGINEERING	418.35	64.42	482.77
O. VEHICLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	254.57	117.88	372.45
P. GEMS & JEWELLARY	1644.61	126.40	1771.01
Q. CONSTRUCTIONS	625.11	350.98	976.09
R. INFRASTRUCTURE	15002.81	1149.43	16152.24
S. OTHER INDUSTRIES	144.04	9.76	153.80
T. Residuary	45579.69	1793.41	47373.10
TOTAL OF ABOVE INDUSTRIES:	69738.78	4015.20	73753.98

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - Rs/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	16152.24
2	Residuary	47373.10

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - Rs/ Crores

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances (Std TL + PCA + Bill)	Investments (Book value)	Foreign Currency		Deposits (TD+SB+CA)	Borrowings
Next 1 Day	1802.32	0.00	24.46	192.08	861.67	0.00
2 Days To 7 Days	847.95	268.43	0.25	20.43	2819.51	100.00
8 Days To 14 Days	329.85	68.07	2.36	17.36	2227.50	750.00
15 Days To 30 Days	1454.82	2.45	3.13	69.98	3803.22	0.00
31 Days To 2 Months	1360.19	344.57	14.53	69.94	6846.20	0.00
Over 2 Months To 3 Months	635.15	115.98	21.61	82.14	6258.80	0.00
Over 3 Months To 6 Months	2965.57	1583.00	28.37	74.46	11149.23	19.00
Over 6 Months To 1 Year	3008.52	2541.63	56.90	0.00	30060.74	0.00
Over 1 Year To 3 Years	11633.03	2272.20	222.45	119.79	20048.64	139.00
Over 3 Years To 5 Years	15055.75	4630.90	9.62	0.00	9608.73	0.00
Over 5 Years	27476.30	21154.53	0.00	0.00	8041.92	0.00
GRAND TOTAL	66569.45	32981.76	383.68	646.18	101726.17	1008.00



एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि रु. करोड़
1	अवस्तरीय	1581.31
2	संदिग्ध 1	2857.18
3	संदिग्ध 2	2753.26
4	संदिग्ध 3	585.56
5.	हानि	24.34
	कुल	7801.65

निवल एन.पी.ए

	राशि रु. करोड़ में
निवल.एन.पी.ए	4607.87

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	11.19%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	6.93%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि रु. करोड़
अथशेष	6297.59
जमा	2591.76
कमी	1087.70
इति शेष	7801.65

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि रु. करोड़
अथशेष	1822.93
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1770.12
बट्टे खाते डालना	459.81
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	39.06
इतिशेष	3154.18

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि रु. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	170.91

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि रु. करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	53.22

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - Rs/ Crores
1	Substandard	1581.31
2	Doubtful 1	2857.18
3	Doubtful 2	2753.26
4	Doubtful 3	585.56
5	Loss	24.34
	Total	7801.65

Net NPAs

Amt. - Rs/ Crores

Net NPAs	4607.87
----------	---------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	11.19%
2	Net NPAs to Net advances	6.93%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	6297.59
Additions	2591.76
Reductions	1087.70
Closing Balance	7801.65

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	1822.93
Provisions made during the period	1770.12
Write-off	459.81
Write-back of excess provisions	39.06
Closing Balance	3154.18

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - Rs/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	170.91

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - Rs/ Crores
Provisions held for non-performing investments	53.22



निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	राशि रु. करोड़
अथशेष	24.68
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	90.37
बटटे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	-
इतिशेष	115.05

तालिका डी.एफ. 5 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू ढावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के ढावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल-II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।
2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत ढावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे ढावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में ढावा निवेश नहीं है, निवेश ढावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित ढावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह ढावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर-निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह ढावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - Rs/ Crores
Opening Balance	24.68
Provisions made during the period	90.37
Write-off	-
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	115.05

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The **Short**-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for short-term exposures.
A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.
8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, **except** where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.



मानकीकृत दृष्टिकोण की शर्तों पर जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशि

राशि-रु./करोड़

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर
100% जोखिम भार से कम	43103.39
100% जोखिम भार	23777.94
100% जोखिम भार से अधिक	7075.88
कटौती	11961.96
कुल	61995.25

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- संस्था के अर्जन का घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- ◆ संपार्श्विक संचालन
- ◆ ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- ◆ गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्नलिखित हैं:-

- नकदी और जमा राशियाँ जिनमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित है।
- सोना रु 99.99% की शुद्धता प्रमाणित करना।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- ऋण-प्रतिभूतियाँ: शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- शर्तों के अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स।
- पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जाँच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

- गारंटियाँ** जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में सम्मिलित हैं :

- सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी. बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारत जोखिम युक्त हैं।

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - Rs/ Crores	
Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	43103.39
100 % risk weight	23777.94
More than 100 % risk weight	7075.88
Deducted	11961.96
TOTAL	61995.25

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES
Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Certain Deposits.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions
- ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. **Guarantees** Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

- II) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- II) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.— अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए— अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल—३ के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा—निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत— रु 2855.42 करोड़

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों की प्रकटीकरण संबंधी नीति का अद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय—विक्रय।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।
2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन : रु 54.32 करोड़

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय व्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधारधर्ण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा—निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा—निर्देशों के अनुसार की जाती है।

- ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts –Rs. **2855.42 Crores**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Bank has Assignment of Standard Pool Assets- Rs. 54.32 Crores (balance o/s)

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.



बाज़ार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाज़ार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि करोड़ों में
ब्याज दर जोखिम	549.49
शेयर स्थिति जोखिम	68.48
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने “परिचालन जोखिम प्रबंधन “और” व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन” पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोनल ऑफिस/हेड ऑफिस से “हानि आंकड़ों” एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है।

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित/कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति(ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है।ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साइट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग,समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरतायोजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है।

तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजीप्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. - Rs/ Crores
Interest rate risk;	549.49
Equity position risk;	68.48
Foreign exchange risk;	NIL

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management and “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF-8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (Ear) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.



- 1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्छ्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोखिम पर आय

एक वर्ष अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	रु. 12.52 करोड़
---	-----------------

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर(एम.वी.ई.) - 10.15%

- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	Rs. 12.52 Crores
---	-------------------------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 10.15 %



बासल- III के लिए प्रकटीकरण-31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक-प्रकटीकरण	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक-प्रकटीकरण	लागू नहीं
ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य, जो जोखिम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी.एफ 2- पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II तथा बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II तथा बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोखिम प्रबंधन की व्यापक संरचना कार्यरत है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में वृद्धि के आधार के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक हितधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु एक्सपोजर कारोबार आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को गुंजाइश के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त मानकीकृत अवधारणाओं को अपनाया है तथापि बैंक आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रु/ लाखों में
9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	492946.05
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

BASEL- III DISCLOSURES – QUARTER ENDED 31st MARCH 2018

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	
(a) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
(c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lakhs
- Portfolios subject to standardized approach @ 9%	492946.05
- Securitization exposures	Nil



बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं-मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रु/ लाखों में
ब्याज दर जोखिम	55509.29
विदेशी विनिमय जोखिम (सोने सहित)	200.00
इक्विटी जोखिम	6729.40

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि-रु/ लाखों में
मूल सूचक दृष्टिकोण	38865.57

बैंक हेतु कुल तथा टीयर-1 पूंजी अनुपात :

बासल III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.25%
बासल III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.37%
बासल III के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	9.85%

तालिका डी.एफ. 3 - ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा (वार्षिक समापन 2016-17 के लिए लागू)

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।

ख) यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ङ) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्राय: एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:-

अस्थायी अनियमितताओं/कमियों वाले खाते (संदर्भ आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. in Lakhs
- Interest rate risk	55509.29
- Foreign exchange risk (including gold)	200.00
- Equity risk	6729.40

Capital requirements for operational risk:

	Amt. in Lakhs
Basic indicator approach	38865.57

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	11.25%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	8.37%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	9.85%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

- Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means : An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया बैलेंस होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जायगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणियों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नहीं है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नहीं किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हित धारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

ऋण जोखिम बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

- i) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

- ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.

- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण.उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल ध्वजोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष, तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ.साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय.समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋणधनिवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंगमूल्यांकन-बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन – शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत्त हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोखिम आंकलन :-

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल सकल ऋण जोखिम का एक्सपोजर

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	6973878.38
2	गैर निधि आधारित ऋण राशि का एक्सपोजर	401520.05

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रु./लाखों में
1	विदेशी निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	देशी निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	6973878.38
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	401520.05

- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell, Mid office and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager/ Deputy General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collateralised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

	Category	Amt. in Lakhs
1	Fund Based Credit Exposures	6973878.38
2	Non Fund Based Credit Exposures	401520.05

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. in Lakhs
1	Overseas	NIL
	- Fund Based Credit Exposures	
	- Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	
	- Fund Based Credit Exposures	6973878.38
	- Non Fund Based Credit Exposures	401520.05



एक्सपोजर का उद्योगवार वितरण

राशि रु./लाखों में

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	21365.84	15110.69	36476.53
क.1 कोयला/हार्ड लिगनाईट/पीट	1210.31	8735.88	9946.19
क.2 अन्य खाद्यान्न	20155.53	6374.81	26530.34
ख. खाद्य प्रसंस्करण	92682.23	1710.16	94392.39
ख.1 चीनी	17289.93	182.75	17472.68
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	12074.68	542.70	12617.38
ख.3 चाय	2205.56	0.00	2205.56
ख.4 कॉफी	11.68	0.00	11.68
ख.5 अन्य खाद्य प्रसंस्करण	61100.39	984.70	62085.09
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	31590.83	1885.94	33476.77
ग.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	10.66	0.00	10.66
ग.2 बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	31580.16	1885.94	33466.10
घ. कपड़ा उद्योग	147849.74	3499.27	151349.01
घ.1 कॉटन	90412.1	2572.53	92984.63
घ.1.1 स्पिनिंग	77967.88	2548.03	80515.91
घ.2 जूट	254.53	0.00	254.53
घ.2.1 स्पिनिंग	52.51	0.00	52.51
घ.3 हैंडीक्राफ्ट/खादी (एनपीएस)	3472.3	8.43	3480.73
घ.3.1 स्पिनिंग	616.7	5.75	622.45
घ.4 सिल्क	5832.96	457.05	6290.01
घ.4.1 स्पिनिंग	3538.59	0.00	3538.59
घ.5 वूलन	531.1	26.52	557.62
घ.5.1 स्पिनिंग	10.19	2.23	12.42
घ.6 कपड़ा उद्योग अन्य	47346.74	434.74	47781.48
ङ. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	19797.01	220.29	20017.30
च.लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	8329.9	1854.97	10184.87
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	3330.32	92.99	3423.31
ज. पेट्रो/कोयला/नाभकीय ईंधन	37365.33	43.96	37409.29
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	6126.32	396.59	6522.91
झ.1 फर्टीलाइजर	58.33	0.00	58.33
झ.2 ड्रग्स एवं फार्मा	1609.5	6.60	1616.10
झ.3 पेट्रो दूरसायन	847.35	47.70	895.05
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	3611.14	342.29	3953.43
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	19421.72	2726.45	22148.17
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	1533.57	151.55	1685.12
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	2370.95	7797.94	10168.89

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. in Lakhs

INDUSTRY NAME	Funded	Non Fund	Total
A.MINING & QUARRYING	21365.84	15110.69	36476.53
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	1210.31	8735.88	9946.19
A.2 MINING OTHERS	20155.53	6374.81	26530.34
B.FOOD PROCESSING	92682.23	1710.16	94392.39
B.1 SUGAR	17289.93	182.75	17472.68
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATHI	12074.68	542.70	12617.38
B.3 TEA	2205.56	0.00	2205.56
B.4 COFFEE	11.68	0.00	11.68
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	61100.39	984.70	62085.09
C.BEVERAGES & TOBACCO	31590.83	1885.94	33476.77
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	10.66	0.00	10.66
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	31580.16	1885.94	33466.10
D.TEXTILES	147849.74	3499.27	151349.01
D.1 COTTON	90412.1	2572.53	92984.63
D.1.1 SPINNING	77967.88	2548.03	80515.91
D.2 JUTE	254.53	0.00	254.53
D.2.1 SPINNING	52.51	0.00	52.51
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	3472.3	8.43	3480.73
D.3.1 SPINNING	616.7	5.75	622.45
D.4 SILK	5832.96	457.05	6290.01
D.4.1 SPINNING	3538.59	0.00	3538.59
D.5 WOOLEN	531.1	26.52	557.62
D.5.1 SPINNING	10.19	2.23	12.42
D.6 TEXTILE-OTHERS	47346.74	434.74	47781.48
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	19797.01	220.29	20017.30
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	8329.9	1854.97	10184.87
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	3330.32	92.99	3423.31
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	37365.33	43.96	37409.29
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	6126.32	396.59	6522.91
I.1 FERTILISERS	58.33	0.00	58.33
I.2 DRUGS AND PHARMA.	1609.5	6.60	1616.10
I.3 PETRO-CHEMICALS	847.35	47.70	895.05
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL PROD.- OTHERS	3611.14	342.29	3953.43
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	19421.72	2726.45	22148.17
K.GLASS & GLASSWARE	1533.57	151.55	1685.12
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	2370.95	7797.94	10168.89



उद्योग	निधि	गैर-निधि	कुल
ढ. मूल धातू-धातू उत्पाद	215196.61	4802.56	219999.17
ढ.1 लोहा और स्टील	183982.46	1297.69	185280.15
ढ.2 अन्य धातू तथा धातू उत्पाद	31214.14	3504.87	34719.01
ण. समस्त इंजीनियरिंग	41834.57	6442.22	48276.79
ण.1 इलैक्ट्रानिक्स	1289.99	297.29	1587.28
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग -अन्य	40544.59	6144.93	46689.52
त. वाहन/वाहन कलपुर्ज/टीपीटी औजार	25457.37	11787.76	37245.13
थ. रतन और आभूषण	164461.06	12639.59	177100.65
द. निर्माण	62510.8	35097.91	97608.71
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	1500280.9	114942.87	1615223.77
ध.1 ट्रांसपोर्ट	311425.06	80031.48	391456.54
ध.1.1 रेलवे	19385.59	27169.18	46554.77
ध.1.2 रोडवेज	274764.5	52196.58	326961.08
ध.1.3 अन्य	3569.81	477.26	4047.07
ध.1.4 वाटरवेज	27.04	90.37	117.41
ध.1.5 अन्य	13678.13	98.09	13776.22
ध.2 ऊर्जा	716763.09	23429.22	740192.31
ध.2.1 इलैक्ट्रानिक्स (सामा./टीआरएमएन/डीटीबी)	716685.91	22604.58	739290.49
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी/पाइपलाईन)	64.6	824.64	889.24
ध.2.3 गैस/अल.अन. गी/पाइपलाईन)	12.58	0.00	12.58
ध.3 टेली कम्यूनिकेशन	70305.95	147.15	70453.10
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व-अन्य	401786.77	11335.03	413121.80
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	214264.57	2639.60	216904.17
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	187522.2	8695.43	196217.63
न. अन्य उद्योग	14404.07	975.83	15379.90
प. अवशिष्ट	4557969.24	179340.51	4737309.75
प. क शिक्ष ऋण	24983.75	33.91	25017.66
प. ख. उड्डयन क्षेत्र	33603.44	23.04	33626.48
अन्य	4499382.05	179283.56	4678665.61
कुल योग	6973878.38	401520.05	7375398.43

उल्लेखनीय एक्सपोजर

उद्योग जहां कुल आधारित एक्सपोजर, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

राशि- रु/लाखों में

क्रम सं०	उद्योग	एक्सपोजर
1	बुनियादी सुविधाएं	1615223.77
2	अवशिष्ट	4737309.75

INDUSTRY NAME	Funded	Non Fund	Total
M.BASIC METAL & METAL PROD.	215196.61	4802.56	219999.17
M.1 IRON & STEEL	183982.46	1297.69	185280.15
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	31214.14	3504.87	34719.01
N.ALL ENGINEERING	41834.57	6442.22	48276.79
N.1 ELECTRONICS	1289.99	297.29	1587.28
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	40544.59	6144.93	46689.52
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	25457.37	11787.76	37245.13
P.GEMS & JEWELLARY	164461.06	12639.59	177100.65
Q.CONSTRUCTIONS	62510.8	35097.91	97608.71
R.INFRASTRUCTURE	1500280.9	114942.87	1615223.77
R.1 TRANSPORT	311425.06	80031.48	391456.54
R.1.1 -RAILWAYS	19385.59	27169.18	46554.77
R.1.2 -ROADWAYS	274764.5	52196.58	326961.08
R.1.3 -OTHERS	3569.81	477.26	4047.07
R.1.4 -WATERWAYS	27.04	90.37	117.41
R.1.5 -OTHERS	13678.13	98.09	13776.22
R.2 ENERGY	716763.09	23429.22	740192.31
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	716685.91	22604.58	739290.49
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	64.6	824.64	889.24
R.2.3 -GAS/LNG STRG/PIPELINE	12.58	0.00	12.58
R.3 TELECOMMUNICATION	70305.95	147.15	70453.10
R.4 INFRA-OTHERS	401786.77	11335.03	413121.80
R.4.1 -WATER SANITATION	214264.57	2639.60	216904.17
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	187522.2	8695.43	196217.63
S.OTHER INDUSTRIES	14404.07	975.83	15379.90
T.Residuary	4557969.24	179340.51	4737309.75
a.Education	24983.75	33.91	25017.66
b.Aviation	33603.44	23.04	33626.48
c. others	4499382.05	179283.56	4678665.61
TOTAL	6973878.38	401520.05	7375398.43

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. in Lakhs

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	1615223.77
2	Residuary	4737309.75



आस्तियों का अविशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि- ₹/लाखों में

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप: समयावधि	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	180232.00	0.00	2446.00	19208.00	86167.00	0.00
2 दिन से 7 दिन	84795.00	26843.00	25.00	2043.00	281951.00	10000.00
8 दिन से 14 दिन	32985.00	6807.00	236.00	1736.00	222750.00	75000.00
15 दिन से 30 दिन	145482.00	245.00	313.00	6998.00	380322.00	0.00
31 दिनों से 2 माह	136019.00	34457.00	1453.00	6994.00	684620.00	0.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	63515.00	11598.00	2161.00	8214.00	625880.00	0.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	296557.00	158300.00	2837.00	7446.00	1114923.00	1900.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	300852.00	254163.00	5690.00	0.00	3006074.00	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	1163303.00	227220.00	22245.00	11979.00	2004864.00	13900.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	1505575.00	463090.00	962.00	0.00	960873.00	0.00
5 वर्षों से अधिक	2747630.00	2115453.00	0.00	0.00	804192.00	0.00
कुल योग	6656945.00	3298176.00	38368.00	64618.00	10172616.00	100800.00

एन.पी.ए. की राशि (सकल)

श्रेणी	राशि-रूपए/-लाखों में
1. अवस्तरीय	158131.23
2. संदिग्ध 1	285718.13
3. संदिग्ध 2	275325.82
4. संदिग्ध 3	58555.94
5. हानि	2433.61
कुल	780164.73

निवल:- एन.पी.ए.

राशि- ₹/लाखों में

निवल:- एन.पी.ए.	460787.00
-----------------	-----------

एन.पी.ए.अनुपात

श्रेणी	प्रतिशत
1. सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	11.19%
2. निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	6.93%

एन.पी.ए. (सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि. ₹/लाखों में
अथशेष	629759.34
जमा	259175.54
कमी	108770.15
इतिशेष	780164.73

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. in Lakhs

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
Next 1 Day	180232.00	0.00	2446.00	19208.00	86167.00	0.00
2 Days To 7 Days	84795.00	26843.00	25.00	2043.00	281951.00	10000.00
8 Days To 14 Days	32985.00	6807.00	236.00	1736.00	222750.00	75000.00
15 Days To 30 Days	145482.00	245.00	313.00	6998.00	380322.00	0.00
31 Days To 2 Months	136019.00	34457.00	1453.00	6994.00	684620.00	0.00
Over 2 Months To 3 Months	63515.00	11598.00	2161.00	8214.00	625880.00	0.00
Over 3 Months To 6 Months	296557.00	158300.00	2837.00	7446.00	1114923.00	1900.00
Over 6 Months To 1 Year	300852.00	254163.00	5690.00	0.00	3006074.00	0.00
Over 1 Year To 3 Years	1163303.00	227220.00	22245.00	11979.00	2004864.00	13900.00
Over 3 Years To 5 Years	1505575.00	463090.00	962.00	0.00	960873.00	0.00
Over 5 Years	2747630.00	2115453.00	0.00	0.00	804192.00	0.00
GRAND TOTAL	6656945.00	3298176.00	38368.00	64618.00	10172616.00	100800.00

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. in Lakhs
1	Substandard	158131.23
2	Doubtful 1	285718.13
3	Doubtful 2	275325.82
4	Doubtful 3	58555.94
5	Loss	2433.61
	Total	780164.73

Net NPAs

Amt. in Lakhs

Net NPAs	460787.00
----------	-----------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	11.19%
2	Net NPAs to Net advances	6.93%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	629759.34
Additions	259175.54
Reductions	108770.15
Closing Balance	780164.73



एन.पी.ए. हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

क्रम संख्या	प्रावधान	राशि- रु/लाखों में गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
	प्रारंभिक शेष	188293.00
जमा:	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान:	177012.00
घटाएं: (ए)	अपग्रेड किए गए खाते	0.00
(बी)	अतिरिक्त प्रावधानों को वापिस लेना बट्टे खाते में डालना	49887.00
	उप-योग (बी)	49887.00
	इतिशेष	315418.00

बट्टे खाते में डाले गए तथा वसूलियों का विवरण जो आय विवरणी में सीधे बुक किए गए

रूपए लाखों में	
तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	1840.49
विविध आय-तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	4853.26
कुल	6693.75

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि- रु/लाखों में
गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	17091.12

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

राशि- रु/लाखों में	
गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	5322.25

निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

राशि. रु/लाखों में	
अथ शेष	2467.94
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9037.48
बट्टे खाते खोलना	0.00
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	0.00
इतिशेष	11505.42

शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियों का विश्लेषण

राशि- रु/लाखों में		
उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान
5 शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियां	473348.92	202580.89

गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान का भूगोल वार वितरण

			राशि- रु/लाखों में
उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान
घरेलू	780164.73	315417.75	28722.09
विदेशी	0.00	0.00	0.00

Movement of Provisions for NPAs

Amt. in Lakhs

Sl.No	Provision	Provisions for NPAs
	Opening Balance	188293.00
Add	Provisions made during the period (A)	177012.00
Less:	Upgraded Accounts	0.00
	Write-off/ Write-back of excess provisions	49887.00
	Sub- Total (B)	49887.00
	Closing Balance	315418.00

Details of write offs & recoveries that have been booked directly to the Income statement

Amt. in Lakhs

Interest Income Recovered- Technically Written Off Cases	1840.49
Miscellaneous Income-Recovery In Technical Write Off A/Cs	4853.26
TOTAL	6693.75

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. in Lakhs
Amount of Non-Performing Investments	17091.12

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. in Lakhs
Provisions held for non-performing investments	5322.25

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. in Lakhs
Opening Balance	2467.94
Provisions made during the period	9037.48
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	0.00
Closing Balance	11505.42

Major Industry Breakup of NPA

Amt. in Lakhs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA
NPA in Top 5 Industries	473348.92	202580.89

Geography wise Distribution of NPA & Provision

Amt. in Lakhs

Industry	Gross NPA	Provision for NPA	Provision for Standard Advances
Domestic	780164.73	315417.75	28722.09
Overseas	0.00	0.00	0.00

तालिका डी.एफ.- 4 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बासेल-II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।
2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
4. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है।
8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोखिम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोखिम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात् दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।
9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH**Qualitative Disclosures**

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II & Basel III as defined by RBI.

2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The Short-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for short-term exposures.

A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.



मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

राशि. रु/लाखों में

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100 % जोखिम भार से कम	4310339.29
100 % जोखिम भार	2377793.97
100 % जोखिम भार से अधिक	707588.42
कटौती	1196196.16
कुल	6199525.52

तालिका डी.एफ. 5.

ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II तथा बेसल-III) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- सम्पाशिवक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियों

2. पात्र वित्तीय सम्पाशिवक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पाशिवकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पाशिवक निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- 2.) सोना : 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
- 8.) शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।
- 9.) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपाशिवक के पात्र नहीं।

सांपाशिवक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पाशिवक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पाशिवक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋणधर्माग्राहियों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (सांपाशिवक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. **गारंटियाँ** : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल-II तथा बासल-III के अनुसार पात्र गारंटियों प्रति गारंटियों के वर्ग में ये शामिल हैं :

- i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी. बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिम युक्त हैं।

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. in Lakhs

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	4310339.29
100 % risk weight	2377793.97
More than 100 % risk weight	707588.42
Deducted	1196196.16
TOTAL	6199525.52

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES
Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) & Basel III are as follows:

- Collateralised transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i. Cash and Certain Deposits.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions
- ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल हैं जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बी.बी.बी.—अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए—अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

बैंक एक्सपोजर के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल—पू के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पाशिवकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा—निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त रु. ₹. 285541.72 लाख

तालिका डी.एफ.- 6- प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकरण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

आस्तियों के प्रकटीकरण की नीति के उद्देश्य

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय—विक्रय।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।
2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

हालाँकि, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत मानकीकृत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) रु. 5432.00 लाखों में।

तालिका डी.एफ.- 7- ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय व्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधारधर्ण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा—निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा—निर्देशों के अनुसार की जाती है।

- ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – **Rs.285541.72 lakhs**

Table DF 6 -SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Exposure (balance outstanding) under Assignment of Standard Pool Assets - **Rs 5432.00Lakhs**

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.



बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

पूंजी आवश्यकता	राशि. रू.लाखों में
ब्याज दर जोखिम	55509.29
ईक्विटी स्थिति जोखिम	6729.40
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

तालिका डी.एफ.- 8- परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने “परिचालन जोखिम प्रबंधन “और” व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन” पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोनल ऑफिस ६ हेड ऑफिस से “हानि आंकड़ों” एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढांचा है।

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित/कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति(ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है।ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग,समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरतायोजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजीप्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ.- 9- बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम(आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठनध्विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. in Lakhs
Interest rate risk;	55509.29
Equity position risk;	6729.40
Foreign exchange risk;	NIL

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting “Loss Data” from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank.

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 7. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

- 1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्छ्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोखिम पर आय

राशि- ₹./लाखों में

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	1252.74
--	---------

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई.)- 10.15 प्रतिशत

तालिका डी.एफ. 10 प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन-देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोखिम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन.देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन-देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

(रूपए/-लाखों में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदेशी मुद्रा संविदाएं	318899.60	8068.80

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति (एक्सपोजर)/लेन -देन नहीं है।

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(रूपए/-लाखों में)

विनियामक समायोजनों के संक्रमण के 31 मार्च 2017			संदर्भ सं.
क्र. सं.	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत व आरक्षित		
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूंजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	250246.43	
2	प्रतिधारित उपार्जन	98698.78	
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	222367.58	
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूंजी	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह हेतु स्वीकृत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	571312.79	

- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

		Amt. in Lakhs
At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis		1252.74

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 10.15%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are to be evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions at present.

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative Disclosures

Bank does not recognize bilateral netting. For reporting purpose total exposure

Amt. in Lakhs

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	318899.60	8068.80

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

Table DF 11 – Composition of Capital

Amt. in Lakhs

Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017			Ref No.
S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	250246.43	
2	Retained earnings	98698.78	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	222367.58	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	n.a.	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	n.a.	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	571312.79	

	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	835.00	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00	
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00	
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र में प्रदत्त पूँजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	3206.27	
18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियाँ, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	संबंधित नहीं	
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	2606.22	यह जोखिम भारित किया गया है।
22	आरम्भिक 15प्रतिशत से अधिक की राशि	संबंधित नहीं	
23	जिसका: वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	संबंधित नहीं	
24	जिसका: बंधक सर्विसिंग अधिकार	संबंधित नहीं	
25	जिसका: अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए26बी26सी)	0.00	
26ए	असमेकित बीमा सहायिकाएं की इक्विटी पूँजी में निवेश	संबंधित नहीं	
26बी	असमेकित गैर-वित्तीय सहायिकाएं की इक्विटी पूँजी में निवेश	संबंधित नहीं	
26सी	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई	संबंधित नहीं	
26डी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	संबंधित नहीं	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य ईक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	6647.49	
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीडटी1)	564665.30	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत		
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (3132)	0.00	
31	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन ईक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	0.00	
32	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में परिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	0.00	
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	0.00	

	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	835.00	
10	Deferred tax assets (associated with accumulated losses (net of eligible DTL) to be deducted in full from CET1)	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	3206.27	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) ³	0.00	
20	Mortgage servicing rights ⁴ (amount above 10% threshold)	Not Relevant	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	2606.22	Amount upto 10% has been Risk Weighted
22	Amount exceeding the 15% threshold	n.a.	
23	of which: significant investments in the common stock of financials	n.a.	
24	of which: mortgage servicing rights	n.a.	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	n.a.	
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries ⁸	n.a.	
26b	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries ⁸	n.a.	
26c	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank ⁹	n.a.	
26d	Unamortised pension funds expenditures	n.a.	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	6647.49	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	564665.30	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	

34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00	
35	जिसका: सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 100% से अधिक शेयरधारिता ना होए की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	0.00	
41ए	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायिकाएं का अतिरिक्त टियर ८ पूँजी में निवेश।	0.00	
41बी	जिसमें से: सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई, के अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी	0.00	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर-1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी (एटी1)	100000.00	
45	(टियर-1 पूँजी (टी1.सीईटी1 एटी1) (पंक्ति 29 पंक्ति 44ए)	664665.30	
	टियर-2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00	
47	टियर-2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	65000.00	सबार्डीनेट ऋण
48	टियर-2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर-2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00	
49	जिसका: निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों	0.00	
50	प्रावधान	29120.32	
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर-2 पूँजी	94120.32	
	टियर-2 पूँजी: विनियामक समायोजन		
52	स्वयं के टियर-2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर-2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00	
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00	
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00	
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56 ए. 56 बी)	0.00	
56 ए	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायिकाओं की टियर ८ पूँजी में निवेश।		
56बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनियाँ, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई, के टियर-2 पूँजी में कमी	0.00	
57	टियर-2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	
58	टियर-2 पूँजी (टी2)	94120.32	
59	कुल पूँजी (टीसी =टी1टी2) (पंक्ति 45पंक्ति 58)	758785.62	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60एपंक्ति 60बीपंक्ति 60सी)	6743481.56	

34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions ¹⁰)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments	0.00	
41a	Of which : Investment in the Additional Tier I capital of unconsolidated insurance subsidiaries.	0.00	
41b	Of which : Shortfall in the Additional Tier I capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank..		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	100000.00	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	664665.30	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	65000.00	Subordinate Debt
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	n.a.	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	n.a.	
50	Provisions	29120.32	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	94120.32	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	Of which : Investment in the Tier II capital of unconsolidated insurance subsidiaries.		
56b	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00	
58	Tier 2 capital (T2)	94120.32	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58)	758785.62	
60	Total risk weighted assets (row 60a +row 60b +row 60c)	6743481.56	

60ए	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	5477178.36	
60बी	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	780483.64	
60सी	जिसका: कुल परिचालित जोखिम भारित आस्तियां	485819.56	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.37%	
62	टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.85%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.25%	
64	संस्था विषयक बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिक्रिय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.375%	
65	जिसका: पूँजी अभिरूपता बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसका: बैंक विषयक प्रतिक्रिय बफर आवश्यकता	—	
67	जिसका: जी.एसआईबी बफर आवश्यकता	—	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.87%	
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल ३ से भिन्न है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल ३ से भिन्न हो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल ३ से भिन्न हो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल ३ से भिन्न हो)	9.00%	
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	29250.64	
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	65.37	
74	बंधक संविसिग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	0.00	
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	56727.15	
	टियर-2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर-2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	29120.32	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर-2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	68464.73	
78	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
	फेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)		
80	फेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
82	फेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		
84	फेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)		

तालिका डी.एफ.-12 - पूँजी का संयोजन - समाधान अपेक्षाएं

लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

60a	of which: total credit risk weighted assets	5477178.36	
60b	of which: total market risk weighted assets	780483.64	
60c	of which: total operational risk weighted assets	485819.56	
	Capital ratios and buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.37%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.85%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.25%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-	
67	of which: G-SIB buffer requirement	-	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.87%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00 %	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financials	29250.64	
73	Significant investments in the common stock of financials	65.37	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	56727.15	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	29120.32	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	68464.73	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	n.a.	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	n.a.	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

	सरीज-X=	सरीज-XI=	सरीज-XII=	सरीज-XIII=	टियर-2 बाण्ड्स (सबडीनेट ऋण लिखत)
क्रम सं.	विनियामक पंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोजर टेम्पलेट)	सरीज-X= 400 करोड़	सरीज-XI= 175 करोड़	सरीज-XII= 200 करोड़	सरीज-XIII= 300 करोड़
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकर्ता (अर्थात् सी-यू-एस-आई-पी-, आई-एस-आई-एन- अथवा प्राइवेट प्लेसेमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आई-एन-ई-608E90908	आई-एन-ई-608E909114	आई-एन-ई-608E909122	आई-एन-ई-608 E90917
3.	लिखित के शासी विधान	प्रतिभूति सविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारतीय रिजर्व बैंक सेबी, संबधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राारूप, 1956) एवं/अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति सविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राारूप, 1956) एवं/अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	प्रतिभूति सविदा विनियमन अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1980 डिपॉजिटरीज (जमा कर्ता) अधिनियम 1996, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक सेबी, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, कंपनियों के लिए (केन्द्रीय सरकार) के सामान्य नियम एवं प्राारूप, 1956) एवं/अथवा अनुबंध-घ में यथा उल्लिखित उपबंध	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ / जीएन / 2008 / 132127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्माण एवं सूचीकरण) अधिनियम, 2012 यथा संशोधित और दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 का परिपत्र संख्या CIR/IMD/DF/18/2013 तथा परिपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 संख्या Lad&Nro/Gn/2013&14/43/207 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्माण एवं सूचीकरण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित परंप्रित्र दिनांक 24 मार्च, 2015 संख्या Lad&Nro/Gn/2014&15/25/539 यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्माण एवं सूचीकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 और भा.रि. बैंक दिनांक 01.07.2015 संख्या RBI/2015&16/58 DBR- NO-BP- BC/1/21-06-201/2015&16, अधिसूचना दिनांक 01.03.2016 संख्या RBI/2015&16/331 DBR-NO-BP-BC-83/21.06.201/2015&16 तथा अधिसूचना दिनांक 02.02.2017 संख्या NO.DBR BP. BC NO-/50/ 21.06.201/2016&17
4.	विनियामक व्यवहार		टियर-2	टियर-2	टियर-2
5.	द्राजिशनल बासल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2
6.	पोस्ट द्राजिशनल बेसल-III नियम	टियर-2	टियर-2	टियर-2	टियर-2
7.	एकल/ समूह/ समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
8.	लिखित स्वरुप	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत

Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

S. N.	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Series- X =400 crore	Series- XI = 175 crore	Series - XII =200 crore	Series- XIII =300 crore	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A09098	INE608A09114	INE608A09122	INE608A09130	INE608A08017	INE608A08025
3	Governing law(s) of the instrument	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/ or the companies (Central Government's and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/ or the companies (Central Government's and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/ or the companies (Central Government's and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. provisions contained in annexure C and/ or the companies (Central Government's and forms 1956.	Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) Regulations, 2008 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2008/13/127878 Dated June 06, 2008, As Amended By Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2012-13/19/5392 Dated October 12, 2012 And Cir/ Imd/Df/18/2013 Dated October 29, 2013) And The Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/ Gn/2013-14/43/207 Dated January 31, 2014 As Amended Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2015 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2014-15/25/539 Dated March 24, 2015 And Rbi Circular No. Rbi/2015-16/58 Dbr.No.Bp. Bc.1/21.06.201/2015-16 Dated 01.07.2015, Notification No. Rbi/2015-16/285 Dbr.No.Bp. Bc.71/21.06.201/2015-16 Dated 14.01.2016, Rbi/2015-16/331 Dbr.No.Bp. Bc.83/21.06.201/2015-16 Dated 01.03.2016 And Notification No. Dbr. Bp.Bc.No.50/21.06.201/2016-17 Dated 02.02.2017.	Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) Regulations, 2008 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2008/13/127878 Dated June 06, 2008, As Amended By Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/ Gn/2013-14/43/207 Dated January 31, 2014 As Amended Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2012-13/19/5392 Dated October 12, 2012, As Amended And Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2012-13/19/5392 Dated October 12, 2012, As Amended And Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2014 Issued Vide Circular No. Lad-Nro/Gn/2013-14/43/207 Dated January 31, 2014, As Amended
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier I
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier I instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	Rs 64 Crores	Rs 28 Crores	Rs 56 Crores	Rs 108 Crores	Rs 500 Crores	Rs 1000 Crores
9	Par value of instrument	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	22.09.2008	26.06.2009	11.01.2010	24.06.2011	19.10.2016	08.05.2017

8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि—(करोड़ रुपयों में)	रुपए 64 करोड़	रुपए 28 करोड़	रुपए 56 करोड़	रुपए 108 करोड़	रुपए 500 करोड़	रुपए 1000 करोड़
9.	लिखित का सममूल्य	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000	रुपए 1000000
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)
11.	जारी करने की मूल तिथि	22-09-2008	26-06-2009	11-01-2010	24-06-2011	19-10-2016	08.05.2017
12.	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	सतत
13.	मूल परिपक्वता तिथि	22-04-2019	26-04-2019	11-04-2020	24-10-2021	19-10-2026	लागू नहीं
14.	जारी कर्ता की कॉल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हाँ	जी नहीं	जी हाँ दृ लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है जोकि भारि. बैंक की पूर्व अनुमति की शर्त के अधीन है।
15.	ऑपनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24-06-2017, सम मूल्य पर मोचन	लागू नहीं	लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है। वैकल्पिक कॉल तिथि 07.05.2022 है। कर आकस्मिकता तथा नियामक आकस्मिकता कॉलों की अनुमति प्रकटन प्रलेख में निर्धारित शर्तों के अधीन है। सम—मूल्य पर मोचन.
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	जी हाँ, देय तिथि कॉल विकल्प पर कॉल का उपयोग नहीं किया जाता है तब आगामी किसी भी कूपन तिथि पर उसके पश्चात्।
	कूपन & लाभांश						
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश/कूपन	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	11.05%	8.70%	8.70%	9.73:	7-9g:	10-90:
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हाँ
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्णतः विवेकानुसार
21.	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	नहीं
22.	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर-संचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Perpetual
13	Original maturity date	22.04.2019	26.04.2019	11.04.2020	24.10.2021	19.10.2026	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes	No	Yes - The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years subject to prior approval of RBI
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	24.06.2017 redemption at par	NA	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for atleast five years. The optional call date is 07.05.2022. The use of tax event and regulatory event calls is permitted subject to the conditions specified in the Disclosure Document. Redemption at par.
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	Yes, if call not exercised on Call Option Due Date then subsequently on any coupon date thereafter.
Coupons / dividends							
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.05%	8.70%	8.70%	9.73%	7.99%	10.90%
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	Write-off feature is applicable	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	PONV Trigger as per RBI Guidelines	The Bonds issued before March 31, 2019 i.e. before the full implementation of Basel III shall have two pre-specified triggers. A lower pre-specified trigger at CET1 of 5.5% of RWAs shall apply and remain effective before March 31, 2019. From this date the Trigger shall be raised to CET1 OF 6.125% of RWAs for all such Bonds. PONV Trigger as per RBI Guidelines.
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	full or partial	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	Permanent	The write down mechanism may be Temporary or Permanent at Bank's Discretion.

28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	खारिज करना लागू है	जी हैं
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पीओएन.वी ट्रिगर (जैसा की तदु की हनपकमसपदमे में लिखा है)	31 मार्च, 2019 से पहले जारी किए गए बाण्डों अर्थात् C, I ल. को पूर्णतया: लागू करने से पहले दो पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर होंगे। सीईटी 1 पर आर.डब्ल्यू.ए. का 5.5: पूर्व-निर्धारित लोअर ट्रिगर लागू होगा तथा 31 मार्च, 2019 से पहले तक प्रभावी रहेगा। ऐसे सभी बाण्डों के लिए इस तिथि से सीईटी पर आर.डब्ल्यू.ए. के 6.125: के ट्रिगर में वृद्धि की जाएगी।
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूर्णतः अथवा आंशिक	भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशानुसार qikj च्छट ट्रिगर
33.	अवलेखन की दशा में स्थायी हैं अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थायी	बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार अवलेखन प्रणाली अस्थायी अथवा स्थायी हो सकती है।
34.	यदि अस्थायी अवलेखन हैं तो आलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	परिवर्तन और स्थायी अवलेखन से एक अस्थायी अवलेखन से भिन्न है अर्थात् मूल लिखित को पूर्णतया: समाप्त नहीं किया जा सकता है। सामान्यतया: आकस्मिक ट्रिगर की पुनरावृत्ति होने पर लिखित के सम-मूल्य का अवलेखन (गिरावट) किया जाता है और जिसको भविष्य में भा. रि. बैंक के C, IV III के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों की संपुष्टि करते हुए इसके मूल मूल्य में प्रतिलेखन (वृद्धि) की जा सकती है। बाण्डों के विस्तृत लक्षणों तथा प्रचलित लेखांकन मानकों पर अस्थायी अवलेखन के बाद तुलन पत्र में दर्शायी गई राशि निर्भर कर सकती है।
35.	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार)	असुरक्षित देयता (जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों)	सभी जमाकर्ताओं (ख) आम ऋणी और (ग) बैंक के टियर 1 पूंजी के तौर पर अहर्ता प्राप्त गौण ऋणों के अतिरिक्त गौण ऋण (जैसा कि बॉसल प. के दिशा-निर्देशों में परिभाषित होय (घ) बैंक द्वारा जारी तथा भविष्य में जारी किए जाने वाली टियर 2 पूंजी में सम्मिलित होने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखित (ड) बेभियादी सचयी अधिमान शेरय (च) प्रतिदेय गैर-सचयी अधिमान शेरय (छ) टियर 2 पूंजी में सम्मिलित करने हेतु पात्र बैंक द्वारा जारी और भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रतिदेय सचयी अधिमान शेरय।	दावों के अधीन (क) सभी जमाकर्ता (ख) आम ऋणी और (ग) बैंक के टियर 1 पूंजी के तौर पर अहर्ता प्राप्त गौण ऋणों के अतिरिक्त गौण ऋण (जैसा कि बॉसल प. के दिशा-निर्देशों में परिभाषित होय (घ) बैंक द्वारा जारी तथा भविष्य में जारी किए जाने वाली टियर 2 पूंजी में सम्मिलित होने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखित (ड) बेभियादी सचयी अधिमान शेरय (च) प्रतिदेय गैर-सचयी अधिमान शेरय (छ) टियर 2 पूंजी में सम्मिलित करने हेतु पात्र बैंक द्वारा जारी और भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रतिदेय सचयी अधिमान शेरय।
36.	संक्रमणकालीन अनुपालन स्वरूप	जी हैं	जी हैं	जी हैं	जी हैं	जी हैं	लागू नहीं	नहीं
37.	यदि हैं तो अनुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं

34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A temporary writedown is different from a conversion and a permanent writedown i.e. the original instrument may not be fully extinguished. Generally, the par value of the instrument is written-down (decrease) on the occurrence of the trigger event and which may be written-up (increase) back to its original value in future in conformity with the provisions of the RBI Basel III Guidelines. The amount shown on the balance sheet subsequent to temporary write-down may depend on the precise features of the Bonds and the prevailing accounting standards.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	claims of all depositors and general creditors of the bank	subordinated to the claims of (a) all depositors, (b) general creditors and (c) subordinated debt of the bank other than subordinated debt qualifying as 30 Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) ; (d) Debt Capital Instruments eligible For inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued in future by the Bank; (e) perpetual cumulative preference shares; (f) redeemable non-cumulative preference shares; (g) redeemable cumulative preference shares eligible for inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued in future by the Bank
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	YES	YES	YES	NA	NO
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	NA	NA



तालिका डी.एफ.14 – विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1. बाण्ड निर्गमन – X 400 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 400 करोड़
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबॉडिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज X)
जारी करना / क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा “आईसीआरए एए / स्थिर” और केयर द्वारा “केयर एए / स्थिर”
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000 /- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात 1000000 /- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेयता मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात 1000000 /- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	127 महीने (10 वर्ष तथा 7 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता / परिपक्वता	सम मूल्य पर – आवंटन की मानी गई तिथि से 127 महीनों (10 वर्ष तथा 7 माह) की समाप्ति पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	15 अप्रैल, 2019
कूपन दर	11.05 % वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई
लिस्टिंग	प्रस्तावित – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	बैंक की ओर से आइण्डि.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजिटरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर (अर्थात 11.05 % वार्षिक दर से) – चौक / डिमांड ड्राफ्ट / आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चौक(कों) / ब्याज / प्रतिदेय वारंट(स) / डिमांड ड्राफ्ट / आर-टी-जी-एस- प्रणाली के माध्यम से
अभिदान की विधि	“केवल एकाउंट पेई” रेखांकित चौक(कों) / डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए बैंक कूट संख्या “PSIB 0000385” पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या “PSIB 0000001” पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि	10-09-2008
इश्यू के बंद होने की तिथि	12-09-2008
पे-इन डेट्स	10-09-2008 से 12-09-2008
आबंटन की मानी गई तिथि	15-09-2008

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

*बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन / स्थगन) करने, खोलने / बंद करने / भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

Table DF 14 –Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments

1. BOND ISSUE – X Rs. 400 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 400 crores
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-X) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA/Stable" by ICRA and "CARE AA\Stable" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	127 Months (10 Year 7 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 127 Months (10 Year 7 Months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from the Reserve Bank of India)
Redemption Date	April 15, 2019
Coupon Rate *	11.05% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	15th May of each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd. has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At coupon rate (i.e. @ 11.05% p.a.) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to one day prior to the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of " Punjab & Sind Bank " and crossed " Account Payee Only " payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of " Punjab & Sind Bank RTGS Account " IFSC Code: " PSIB 0000385 " for Mumbai and " PSIB 0000001 " for New Delhi
Issue Opens on ^	September 10, 2008
Issue Closes on ^	September 12, 2008
Pay-In Dates ^	September 10, 2008 to September 12, 2008
Deemed Date of Allotment ^	September 15, 2008

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.



2- बाण्ड निर्गमन-XI 175 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 175 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड्स) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉडिनेटेड टियर-II बाण्ड्स (सरीज XI)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं.की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए एए / स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए / स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
परिपक्वता मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	118 महीने (9 वर्ष तथा 10 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	सम मूल्य पर - आवंटन की मानी गई तिथि से 9 वां तथा 10 माह (118 महीनों)के अंत में (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	26 अप्रैल, 2019
कूपन दर'	8-70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.)के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई-डी-बी-आई- ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज'	कूपन दर पर (अर्थात 8.70% वार्षिक दर से) - चौक/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चौक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(ओ)/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- /ई-सी-एस-प्रणाली के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चौक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि'	15-06-2009
इश्यू के बंद होने की तिथि'	19-06-2009
पे-इन डेटस'	15-06-2009 से 19-06-2009
आबंटन की मानी गई तिथि'	26-06-2009

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजनध्थगन) करने, खोलनेध्बंद करनेध्भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

2. **BOND ISSUE – XI Rs. 175 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 175 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XI) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA\Stable" by ICRA and "CARE AA\Stable" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	9 Year 10 Months (118 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 9 Year 10 Months (118 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 26, 2019 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of " Punjab & Sind Bank " and crossed " Account Payee Only " payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of " Punjab & Sind Bank RTGS Account " IFSC Code: " PSIB 0000385 " for Mumbai and " PSIB 0000001 " for New Delhi
Issue Opens on ^	June 15, 2009
Issue Closes on ^	June 19, 2009
Pay-In Date ^	June 15, 2009 to June 19, 2009
Deemed Date of Allotment ^	June 26, 2009

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.



3-बाण्ड निर्गमन-XII - 200 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 200 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉडिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए एए / स्थिर" और क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए / स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	123 महीने (10 वर्ष 3 महीने)
पुट विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	आवंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीने (123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	15.04.2020 (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर	8.70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिंस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर (अर्थात 8.70% सर्विसेज दर से) - चौक/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चौक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स)/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	"केवल एकाउंट पेई" रेखांकित चौक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि	06.01.2010
इश्यू के बंद होने की तिथि	13.01.2010
पे-इन डेट्स	06.01.2010 से 13.01.2010
आबंटन की मानी गई तिथि	15.01.2010

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

3. BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE

VII. SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"ICRA AA\Stable" by ICRA and "CRISIL AA\Stable" by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 15, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of " Punjab & Sind Bank " and crossed " Account Payee Only " payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of " Punjab & Sind Bank RTGS Account " IFSC Code: " PSIB 0000385 " for Mumbai and " PSIB 0000001 " for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2009
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.



4-बाण्ड निर्गमन-XIII 300 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 300 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबॉडिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "एए / स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए / स्थिर"
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	छठे वर्ष के अंत में (भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता परिपक्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24-10-2021 (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर	9-73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई)के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्ट्री लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्ट्री सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर - आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चौक(कों)डिमांड ड्राफ्ट(टों)/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से (अर्थात 9-73% वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चौक(कों)/ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स)/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ई-सी-एस- प्रणाली के माध्यम से।
अंशदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रॉनिक्स अंतरण के तरीके से "पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर-टी-जी-एस- खाता" में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि	20.06.2011
इश्यू के बंद होने की तिथि	24.06.2011
पे-इन डेट्स	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि	24.06.2011

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

4. **BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE**

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"AA\Stable" by ICRA and "CARE AA\Stable" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6 th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24 th October 2021 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	M/S Link Intime india Private Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	20 th June 2011
Issue Closes on ^	24 th June 2011
Pay-In Date ^	20 th June 2011 to 24 th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24 th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.



5-बाण्ड निर्गमन- XIV 500 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 500 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बेसल प्ल के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए, भविष्यल की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समग्र पूंजी को बढ़ाया जाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णतः चुकता बेसल III कॉप्लाएंट टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में ("बांड")
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, असुरक्षित होंगे। बॉण्डधारकों के दावों में यह होगा कि : (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखतों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जो कि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए / स्थिर" और केयर द्वारा "केयर एए / स्थिर"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / - प्रति बांड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (10,00,000 रुपये / - प्रति बांड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (रु 10,00,000 / - प्रति बांड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बांड तथा उसके बाद 1 (एक) बांड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीमड दिनांक से 10 साल
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता परिपक्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	19 अक्तूबर 2026
कूपन दर	7.99% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	बांड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्तूबर वार्षिक
न्यासी	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	इश्यूड में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, एप्लीकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जो कि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बांड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डीमड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आबंटित को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चौक/ब्यागज या प्रतिदेयता वारंट/मांग ड्राफ्ट/खाते में सीधे जमा/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यच किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक एकाउंट" के पक्ष में "केवल अदाता के खाते में" रेखांकित किया गया हो और जिस स्था न/केंद्र में आवेदन पत्र जमा करवाया गया हो वहाँ पर सममूल्य पर देय अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक IFSC कोड PSIB0000606, राजेंद्र प्लेयस, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फंड ट्रांसफर/आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
इश्यू के खुलने की तिथि	05.10.2016
इश्यू के बंद होने की तिथि	05.10.2016
पे-इन डेट्स	19.10.2016
आबंटन की मानी गई तिथि	19.10.2016

5. **BOND ISSUE – XIV Rs 500 Crore****SUMMARY TERM SHEET**

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 500 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XIV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"CRISIL AA\Stable" by CRISIL and "CARE AA\Stable" by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	October 19, 2026
Coupon Rate	7.99% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
Trustee	Axis Trustee Services Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re- enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Mode of Subscription	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of "Punjab & Sind Bank A/c" and crossed "Account Payee Only" payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi.
Issue Opens on	05.10.2016
Issue Closes on	05.10.2016
Pay in Date	19.10.2016
Deemed Date of Allotment	19.10.2016



6 ऐटी 1 बॉन्डों 1000 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 1000 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	दीर्घ अवधि के स्रोत में वृद्धि करने तथा भविष्य के विकास हेतु बॉसलि III के अनुसार इसकी अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूती प्रदान करने के लललए बैंक की समग्र पूंजी में वृद्धि करना।
लिखत	डिबेंचर के रूप में वचनपत्र ("बाण्ड") असुरक्षित, अपरिपर्तीन्य, सुबोर्दिनते बेमियादी कर योग्य बाण्ड जो टीयर 1 पूंजी के रूप में मान्य हलगे (जैसा वक भारतीय रिजर्व बैंक के बॉसलि III की शर्तों में परिभाषित है)
लिखत की प्रकृति	बॉन्ड न तो सुरक्षित हैं, ना ही निगामकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही सम्भंदित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर बॉन्ड धारको के दावो की विररष्ठता में वृद्धि करता है ("बॉन्ड धारको") अर्थाथ निगामकर्ता के अन्य ऋणदाता। बॉन्ड धारको के दावि हलगे : (i) ईकक्विटी शेयरो में निवेशको तथा बैंक के बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयरो, यदि कोई हैं, के दाविो पर तरजीह पाएंगेय (ii) जमाकतारओ के दावो, आम ऋणदाताओ तथा टीयर 1 पूंजी के तौर पर गौण ऋणो(जैसा वक बॉसलि III की शतर में परिभाषित है) के अतिरिक्त बैंक के गौण ऋणो से गौण हलगेय (iii) ना तो सुरक्षित हैं, ना ही निगामकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही सम्भंदित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर दाविो की वीरिश्ठा में वृद्धि करता है अर्थात बैंक के अन्य ऋणदाता। (iv) अधिमान के बगैर समान रूप रखते हैंय (v) यदि बैंक द्वारा तत्पत्वात जारी वकए गए बॉन्डोधीबेंतेरो (ए.टी.आई. लिखित की प्रकर्ति अनुसार) की शर्तों में उल्लेखित नही किया जाता है वक ऐसे बॉन्ड धारको के दावो को तरजीह दी जाएगी या इस प्रकटन प्रलेख के अंतगरत जारी वकए बॉन्डो से गौण हलगे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अपने दशा-निर्देशो में अन्यथा निर्धारित नही करता है, बैंक के ऐसे दीबेंत्रो/बॉन्डो के धारको के दावो के समरूप बॉन्ड धारको के दावि हलगे।य
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए ए / स्थिर" और केयर द्वारा "केयर ए / स्थिर"।
प्रतिभूति	प्रतिभूति रहित
अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000 / – प्रति बॉंड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000 / – प्रवत बॉन्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सममूल्य पर (10,00,000 / – प्रवत बॉन्ड)
न्यूनतम आवेदन	दस (10) बॉन्ड और उसके बाद 1(एक) के गुणांक में बॉन्ड
अविधध	बेमियादी
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	लिखित की कम से कम पाच वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर काल विकल्प की अनुमति है।
प्रतिदेयता परिपक्वता	सम मूल्य पर
प्रतिदेयता तिथि	बेमियादी
कूपन दर	10.90% वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष 08 मई को वार्षिक

6. PSB AT-1 BONDS SERIES I- Rs 1000 Crore

SUMMARY TERM SHEET

<u>Issuer</u>	Punjab & Sind Bank
<u>Issue Size</u>	Rs 1000 Crore
<u>Issue Objects</u>	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
<u>Instrument</u>	Unsecured, subordinated, non-convertible, perpetual taxable bonds which will qualify as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines of the Reserve Bank of India) in the nature of Debentures (the "Bonds")
<u>Nature of Instrument</u>	The Bonds are neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim of the holders of the Bonds (the "Bondholders") vis-à-vis other creditors of the Issuer. The claims of the Bondholders shall be : (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual noncumulative preference shares of the Bank, if any; (ii) subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank other than any subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines); (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or any other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors. (iv) rank pari passu without preference amongst; (v) unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures (in the nature of AT1 instruments) by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the bond issued under this Disclosure Document or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall be pari passu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances of the Bank;
<u>Issuance/ Trading</u>	In demat mode only
<u>Credit Rating</u>	"ICRA A\Stable" by ICRA and "CARE A\Stable" by CARE.
<u>Security</u>	Unsecured
<u>Face Value</u>	Rs 10,00,000/- per Bond
<u>Issue Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Redemption Price</u>	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
<u>Minimum Subscription</u>	10 (Ten) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
<u>Tenure</u>	Perpetual
<u>Put Option</u>	None
<u>Call Option</u>	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years
<u>Redemption/ Maturity</u>	At PAR
<u>Redemption Date</u>	Perpetual
<u>Coupon Rate</u>	10.90% p.a.
<u>Interest Payment</u>	Annual
<u>Interest Payment Date</u>	Annual on May 08, of each year



न्यासी	विस्त्रा आई.टी.सी.एलि. (इंधडया) लिमिटेड
डिपाजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
रजजस्ट्रार	लिंग इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर ब्याज (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की शर्तों के अंतर्गत आय कर की कटौती या कोई संविधानिक संशोधन अथवा पुनः क्रियाशील करनाजैसा भी लागू हो) का भुगतान सभी आवेदकों को बॉन्डो की आवेदन राशि पर चौक (ओ)/डिमांड ड्राफ्ट(ओ) के पास होने की तिथि से किया जाएगा और आर.टी.जी.एस./अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरण के मामले में, निधियों की प्राप्ति होने पर आवेदन की अनुमानित तिथि से एक दिन पहले ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वास्तविक दिन के गणना की परमपरा/वास्तविकता के अनुसार आवेदन राशि पर गणना की जाएगी। सभी वेध्य आवेदनों पर जिसमें रिफंड भी शामिल हैं , ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आवेदन राशि जिसको विपस लोटाया गया है, आवेदन राशि पर ब्याज का भुगतान रिफंड आदेश के साथ लोटाया जाएगा और आवेदन राशि जिसके विरुद्ध बॉन्डो को आबंटित किया गया है, आबंटन की अनुमानित तिथि से आवेदन राशि पर ब्याज 10 कार्य दिवसों के अंदर अदा किया जाएगा। जहाँ एक आवेदक को आवेदित बॉन्डो से कम संख्या में बॉन्डो का आबंटन किया जाता है, आवेदक को आवेदन पर अदा की गई फालतू राशि के साथ विपस की गई राशि पर ब्याज का भुगतान भी वकया जाएगा। आवेदन राशि पर ब्याज पर लागू दर पर स्रोत पर आय कर कटौती (टी.डी.एस.) की जाएगी।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चौक/प्रतिदेयता वारंट/मांग ड्राफ्ट/खाते में सीधे जमा/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यक किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	विप्रेषण को या तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहरित "केवल अदाता के खाते में" क्रॉस चौक(ओ)/मांग पत्र(ओ) जो की सम मूल्य पर देय हो जिन स्थानों/केंद्रों पर आवेदन पत्र जमा किया गया हो और निधि अंतरण/आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अंतरण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 21, राजेद्र प्लेस, नई दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB0000606" में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि	02.05.2017
इश्यू के बंद होने की तिथि	02.05.2017
पे-इन डेट्स	08.05.2017
आबंटन की मानी गई तिथि	08.05.2017

तालिका डी-एफ-15- पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

तालिका डीएफ- 16: इक्विटी - बैंकिंग बही खातों की स्थिति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. धारिताओं में भेदभाव, जिस पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित हैं और जिसे संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित लक्ष्यों के अंतर्गत लिया गया है।	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नीतिगत उद्देश्यों से आरआरबी में रखा गया है। बैंक पूंजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नहीं रखता है।
2. बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओं के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व-धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओं तथा इन प्रथाओं में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकें और मूल्यांकन प्रणालियां शामिल होनी चाहिए।	ऐसे निवेश, जिसे परिवर्तन तक रखा जाना अभिप्रेत है, एचटीएम प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत हैं। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया गया है तथा उपार्जन लागत पर रखा गया है। निवेश मूल्यग में अस्थाई ह्रास के अलावा किसी भी प्रकार के ह्रास का प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री संबंधी किसी भी हानि की पहचान लाभ-हानि खाता में की जाती है तथा उसे भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निवल कर एवं सांविधिक आरक्षितियों के पश्चात् "आरक्षित पूँजी" से समायोजित किया जाता है।

<u>Trustee</u>	Vistra ITCL (India) Limited
<u>Depository</u>	National Securities Depository Limited (“NSDL”) and Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”)
<u>Registrar</u>	Link Intime India Private Limited
<u>Interest on Application Money</u>	Interest at the Coupon Rate (subject to deduction of Income-tax under the provisions of the Income-tax Act 1961, or any statutory modification or reenactment as applicable) will be paid to all the applicants on the application money for the Bonds. Such interest shall be paid from the date of realization of cheque (s)/demand draft (s) and in case of RTGS/other means of electronic transfer interest shall be paid from the date of receipt of funds to one day prior to the Deemed Date of Allotment. The Interest on application money will be computed as per Actual/Actual Day count convention. Such interest would be paid on all the valid applications including the refunds. For the application amount that has been refunded, the Interest on application money will be paid along with the refund orders and for the application amount against which Bonds have been allotted, the Interest on application money will be paid within ten working days from the Deemed Date of Allotment. Where an applicant is allotted lesser number of Bonds than applied for, the excess amount paid on application will be refunded to the applicant along with the interest on refunded money. Income Tax at Source (TDS) will be deducted at the applicable rate on Interest on application money.
<u>Settlement</u>	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
<u>Mode of Subscription</u>	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of “Punjab & Sind Bank A/c” and crossed “Account Payee Only” payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi
<u>Issue Opens on</u>	02.05.2017
<u>Issue Closes on</u>	02.05.2017
<u>Pay in Date</u>	08.05.2017
<u>Deemed Date of Allotment</u>	08.05.2017

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions**Qualitative Disclosures**

Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under objectives including for relationship and strategic reasons.	Equity investment in the banking book is in RRB, held for strategic purpose. Bank does not hold any equity investment in banking book with intention to make capital gain.
Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the Banking Book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investment which is intended to be held till maturity are classified as HTM securities. Investments classified under HTM category are not marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of investments is provided for. Any Loss on sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss. Any gain from sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserves, to “Capital Reserves” in accordance with RBI guidelines.

मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलन-पत्र में निवेशों का प्रकटित मूल्य, इसके अतिरिक्त निवेशों के उचित मूल्या, प्रस्तुत प्रतिभूतियों हेतु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत शेयर मूल्यम से तुलना, जहाँ शेयर मूल्यत, वास्तविक मूल्यत से वस्तुतः भिन्नी है।	प्रकटित मूल्य-65.37 वास्तविक मूल्य- 1324.54 (तुलन-पत्र के अनुसार)
2	निवेशों के प्रकार और स्वरूप, जिसमें निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है: • सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए तथा • नीजि रूप से धारित।	शून्य 65.37
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापन से उत्पन्न संचयी लाभ प्राप्ति (हानियाँ)	शून्य
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	शून्य
5	कुल प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	1259.17
6	उपर्युक्त में से टीयर-I तथा टीयर-II में शामिल की गयी राशियाँ	शून्य
7	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूह द्वारा विभाजित पूंजी अपेक्षाएँ और सकल राशियाँ तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओं के संबंध में किन्ही पर्यवेक्षी सक्रमण या ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो	आरआरबी में एचटीएम इक्विटी निवेश, को मास्टीर परिपत्र बासल-III पूंजी विनियमनों के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार उपचारित किया गया है।

तालिका डी-एफ- 17- लेखा आस्तियाँ बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों की तुलनात्मक संक्षिप्ति		
	मदें	(रु. लाखों में)
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	11375924.23
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यासपारिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जो कि लेखांकन उद्देश्यों से परंतु विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर समेकित की गई हैं।	—
3.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र में मान्य प्रत्यतयी आस्तियों का समायोजन।	—
4.	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का समायोजन	—
5.	प्रतिभूति वित्तीय लेन-देनों का समायोजन (यथा रेपो तथा समान प्रतिभूतिकृत ऋण)	200000.00
6.	तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली मदों का समायोजन (यथा तुलन-पत्र के अलावा एक्सपोजर के समतुल्यल राशि जमा करने हेतु रूपांतरण)	503376.81
7.	अन्य7 समायोजन	
8.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	11879301.04

तालिका डी-एफ-18- लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेपलेट		
	लीवरेज अनुपात मद संरचना	(रु. लाखों में)
तुलन-पत्र एक्सपोजर		
1.	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक सहित)	11175924.23
2.	(निर्धारक बेसल प्प टियर 1 पूंजी में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(4041.27)
3.	कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)	11171882.96
डेरिवेटिव एक्स पोजर		
4.	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों में शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन मार्जिन का कुल जोड़)	—

Amount in Lacs

Quantitative Disclosures		
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	Value disclosed 65.37 Fair Value 1324.54 (as per Balance sheet)
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded; and • Privately held.	Nil 65.37
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealised gains (losses)	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)	1259.17
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	Nil
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The HTM equity investment in RRB is given treatment as per para 4.4.9.2 of Master circular Basel III Capital Regulations.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(Rs. in Lakhs)
1.	Total consolidated assets as per published financial statements	11375924.23
2.	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3.	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4.	Adjustments for derivative financial instruments	-
5.	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	200000.00
6.	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	503376.81
7.	Other adjustments	
8.	Leverage ratio exposure	11879301.04

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template

	Leverage ratio Item framework	(Rs. in Lakhs)
On-balance sheet exposures		
1.	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	11175924.23
2.	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(4041.27)
3.	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	11171882.96
Derivative exposures		
4.	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	-

5.	सभी डेरिवेटिव लेन-देन में शामिल पीएफई हेतु पूरक राशि	—
6.	सकल डेरिवेटिव संपार्श्विक बशर्ते जिसमें प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र आस्तियों से कटौती की गई है।	—
7.	(डेरिवेटिव लेन-देनों में दर्शाए गये नकदी घट-बढ़ मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियाँ)	—
8.	(ग्राहक- समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग	—
9.	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	—
10.	लिखत ऋण डेरिवेटिव हेतु समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ	—
11.	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)	—
प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्स पोजर		
12.	सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखाकन लेन-देनों के समायोजन उपरांत	200000.00
13.	(सकल एसएफटी आस्तियों की देय नकदी तथा प्राप्य नकदी की निवल राशि)	—
14.	एसएफटी आस्तियाँ हेतु सीसीआर एक्सपोजर	—
15.	एजेंट लेन-देन एक्स पोजर	—
16.	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (प्रतिभूति पंक्तियों 12 से 15 का कुल जोड़)	200000.00
अन्य तुलनपत्रेतर से एक्सपोजर		
17.	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	1544541.36
18.	(ऋण समतुल्या राशि के रूपांतरण हेतु समायोजन)	(1041164.55)
19.	तुलनपत्रेतर मदे (पंक्ति 17 तथा 18 का जोड़)	503376.81
पूँजी तथा कुल एक्सपोजर		
20.	टीयर 1 पूँजी	664665.30
21.	कुल एक्स पोजर (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का जोड़)	11875259.77
लीवरेज अनुपात		
22.	बेसल ष लीवरेज अनुपात	5.60:

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद है।

5.	Add-on amounts transactions for PFE associated with <i>all</i> derivatives	-
6.	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7.	(Deductions of margin provided receivables assets for cash variation in derivatives transactions)	-
8.	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9.	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10.	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11.	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	-
Securities financing transaction exposures		
12.	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	200000.00
13.	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14.	CCR exposure for SFT assets	-
15.	Agent transaction exposures	-
16.	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	200000.00
Other off-balance sheet exposures		
17.	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1544541.36
18.	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(1041164.55)
19.	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	503376.81
Capital and total exposures		
20.	Tier 1 capital	664665.30
21.	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	11875259.77
Leverage ratio		
22.	Basel III leverage ratio	5.60%



धवन एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	दविन्दर पाल सिंह एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार
एस. मान एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	बल्देव कुमार एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च, 2018 की वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों की रिटर्न, सभी 24 आंचलिक कार्यालय, 20 शाखाएं तथा 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा और शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 620 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 874 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 9 प्रतिशत, जमा राशियों का 22.13 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 6.70 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 21.66 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुसार हैं। उत्तरदायित्व में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।
- एक लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणियों में किए गए प्रकटन और राशियों संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का परीक्षण सम्मिलित है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विषय में दी गई गलत सूचना का आंकलन सम्मिलित है जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम भरा आंकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा वास्तविक प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षण में मूल्यांकन करने में उचित लेखा सिद्धांतों का उपयोग तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान के साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत करना भी सम्मिलित है।
- हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं सामान्यतः पूर्ण हैं और हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार हैं।

विषय का महत्व:

- हमारी रिपोर्ट की विशेषता बताए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - अपील में विलंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में नोट सं. 10.9.5, जिसका प्रभाव निश्चित नहीं है।
 - बैंक की पूंजी पर्याप्तता बेसल-II तथा बेसल-III अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में प्रकट किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा- नीतियों और उक्त परिच्छेद 6(क) से (ख) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।

Dhawan & Co. Chartered Accountants	Davinder Pal Singh & Co. Chartered Accountants
For S. Mann & Co. Chartered Accountants	For Baldev Kumar & Co. Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The Members of Punjab & Sind Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31st March, 2018, which comprise the balance sheet as at March 31, 2018, and profit and loss account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of various departments of head office; all the 24 zonal offices, 20 branches and 1 integrated treasury branch audited by us and 620 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the balance sheet and the profit and loss account, are the returns from 874 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9 per cent of advances, 22.13 per cent of deposits, 6.70 per cent of interest income and 21.66 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time and Accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence, we have obtained is generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of matter:

6. Without qualifying our report, we draw attention to:
 - (a) Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable;
 - (b) Note no. 10.9.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable;
 - (c) Capital adequacy as per Basel – II and Basel – III and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in Para 6 (a) & (b) above;

अभिमत

7. हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि:-
 - क) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन-पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2018 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं;
 - ख) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियां जो कि भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है और
 - ग) नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष तक की नकदी प्रवाह विवरणी के सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970-1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं जो बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
 - ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।
10. **आगे हम सूचित करते हैं कि:**
 - (क) रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
 - (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हम को बैंक के शाखा लेखाकारों द्वारा शाखा कार्यालयों की लेखा परीक्षित रिपोर्ट भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनका सही उपयोग किया गया है, और
 - (ग) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002864एन

(दीपक कपूर)
साझेदार
एम.नं. 072302

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000075एन

(सुभाष मान)
साझेदार
एम.नं. 080500

नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई, 2018

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007601एन

(इंदरजीत कौर)
साझेदार
एम.नं. 500143

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 013148एन

(बलदेव गर्ग)
साझेदार
एम.नं. 092225

Opinion

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- the balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - the profit and loss account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
 - the cash flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The balance sheet and the profit and loss account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. **We further report that:**
- the balance sheet and profit and loss account dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the balance sheet, profit and loss account and the cash flow statement comply with the applicable accounting standards.

For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN : 002864N

Deepak Kapoor
(Partner)
M. No. 072302

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000075N

Subhash Mann
(Partner)
M. No. 080500

Place : New Delhi
Date : 16 May, 2018

For Davinder Pal Singh & Co.
Chartered Accountants
FRN : 007601N

Inderjit Kaur
(Partner)
M. No. 500143

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN : 013148N

Baldev Garg
(Partner)
M. No. 092225



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2018 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		रूपए	रूपए
पूँजी तथा देयताएं	अनुसूची	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूँजी	1	5649123	4004110
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	56177727	57420579
जमाराशियाँ	3	1017261664	855401613
उधार	4	36829849	29584377
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	21674060	20023692
जोड़		1137592423	966434371
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में इतिशेष	6	62563845	43646772
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	8763081	2250993
निवेश	8	329817572	279485019
अग्रिम	9	665694469	583345334
स्थिर आस्तियाँ	10	10825985	10954287
अन्य आस्तियाँ	11	59927471	46751966
जोड़		1137592423	966434371
आकस्मिक देयताएं	12	61793992	97296773
वसूली के लिए बिल		5946070	5970694
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची	31.3.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	79487533	81728719
अन्य आय	14	5812005	5780982
जोड़		85299538	87509701
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	57135566	60135376
परिचालन व्यय	16	16716836	14955547
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		18885113	10407936
जोड़		92737515	85498859
III. लाभ/हानि			
अवधि के शुद्ध लाभ/हानि (-)		-7437977	2010842
अग्रानीत लाभ/हानि (-)		18572748	18127770
सामान्य आरक्षितियों से आहरण		0	0
जोड़		11134771	20138612
मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर		-18.49	5.02

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2018

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	AS ON 31.03.18	AS ON 31.03.17
		[Audited]	[Audited]
Capital	1	5649123	4004110
Reserves & Surplus	2	56177727	57420579
Deposits	3	1017261664	855401613
Borrowings	4	36829849	29584377
Other liabilities & Provisions	5	21674060	20023692
TOTAL		1137592423	966434371

ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	62563845	43646772
Balances with banks & money at call and short notice	7	8763081	2250993
Investments	8	329817572	279485019
Advances	9	665694469	583345334
Fixed Assets	10	10825985	10954287
Other Assets	11	59927471	46751966
TOTAL		1137592423	966434371
Contingent Liabilities	12	61793992	97296773
Bills for Collection		5946070	5970694
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
		SCHEDULE	YEAR ENDED 31.03.18	YEAR ENDED 31.03.17
			[Audited]	[Audited]
I. INCOME				
Interest earned	13		79487533	81728719
Other income	14		5812005	5780982
TOTAL			85299538	87509701
II. EXPENDITURE				
Interest expended	15		57135566	60135376
Operating expenses	16		16716836	14955547
Provisions and contingencies			18885113	10407936
TOTAL			92737515	85498859
III. PROFIT/LOSS				
Net Profit/ Loss (-) for the period			-7437977	2010842
Profit/ Loss(-) brought forward			18572748	18127770
Withdrawal from General Reserve			0	0
TOTAL			11134771	20138612
Basic & Diluted Earning per share (EPS)			-18.49	5.02



IV.	विनियोजन			
	अंतरण:			
	सांविधिक आरक्षित निधियाँ		100000	505000
	पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		1013826	337670
	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ		151067	723194
	आरक्षित निवेश		0	0
	आस्थगित कर देयताएं		0	0
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		0	0
	प्रस्तावित लाभांश: (ईक्विटी)		0	0
	लाभांश वितरण कर		0	0
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया		9869878	18572748
	जोड़		11134771	20138612
	उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

गोविन्द एन. डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

एस.सेल्वा कुमार
निदेशक

पी.के.जेना
निदेशक

सी.ए. एस.आर. घेडिया
निदेशक

अतनु सेन
निदेशक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

नेत्रानन्द सेठी
महाप्रबंधक

जयंत कुमार नायक
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

दलजीत सिंह ग्रोवर
महाप्रबंधक

ए.एस.अहूजा
उप महाप्रबंधक

चन्द्र मोहन सिंह
मुख्य प्रबंधक

समिति पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002864एन

(दीपक कपूर)
एम.नं. 072302

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000075एन

(सुभाष मान)
एम.नं. 080500

नई दिल्ली
दिनांक: 16.05.2018

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007601एन

(इंदरजीत कौर)
एम.नं. 500143

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 013148एन

(बलदेव गर्ग)
एम.नं. 092225

IV.	APPROPRIATIONS			
	Transfer to:			
	Statutory Reserve		100000	505000
	Capital Reserve [Investment]		1013826	337670
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		151067	723194
	Investment Reserve		0	0
	Deferred Tax Liability		0	0
	Corporate Social Responsibility Fund		0	0
	Proposed Dividend (Equity)		0	0
	Dividend Distribution Tax		0	0
	Balance carried over to Balance Sheet		9869878	18572748
	TOTAL		11134771	20138612
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

GOVIND N DONGRE
EXECUTIVE DIRECTOR

S.SELVA KUMAR
DIRECTOR

P.K.JENA
DIRECTOR

CA S.R.GHEDIA
DIRECTOR

ATANU SEN
DIRECTOR

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

NETRANAND SETHI
GENERAL MANAGER

JAYANT KUMAR NAYAK
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

DALJIT SINGH GROVER
GENERAL MANAGER

A.S.AHUJA
DY.GENERAL MANAGER

C.M.SINGH
CHIEF MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE.

FOR DHAWAN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002864N

[DEEPAK KAPOOR]
M.No.072302

FOR S. MANN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 000075N

[SUBHASH MANN]
M.No.080500

NEW DELHI
DATED 16.05.2018

FOR DAVINDER PAL SINGH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 007601N

[INDERJIT KAUR]
M.No.500143

FOR BALDEV KUMAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 013148N

[BALDEV GARG]
M.No.092225

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 1 - पूँजी	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	प्राधिकृत पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10 / . के 75,00,00,000 शेयर	7500000	7500000
II.	अधिमानी शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) प्रत्येक रु. 10 / - के 225,00,00,000 शेयर	22500000	22500000
		30000000	30000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी प्रत्येक रु. 10 के 56,49,12,284 शेयर (पिछले वर्ष 40,04,11,027) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10 / . के 48,33,24,032 शेयर (पिछले वर्ष 31,88,22,775) सम्मिलित हैं।	5649123	4004110
II.	अधिमानी शेयर पूँजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)	0	0
	कुल [I+II]	5649123	4004110

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.	सांविधिक आरक्षित निधि		
	अथशेष	10836906	10331906
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	100000	505000
	उप-योग- I	10936906	10836906
II.	पूँजी आरक्षित निधि --		
	क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियाँ)		
	अथशेष	8733062	9021393
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-262642	-288331
	उप-योग II क	8470420	8733062
	ख. पूँजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	3271910	2934240
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1013826	337670
	उप-योग II ख	4285736	3271910
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथ शेष	13180418	13180418
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	6204987	0
	जमा: सार्वजनिक निर्गम व्यय	-9862	0
	उप-योग - III	19375543	13180418
IV.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ		
	क) सामान्य आरक्षित		
	अथ शेष	1089003	1089003
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	उप-योग- IV. क	1089003	1089003

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.18	AS ON 31.03.17
		[Audited]	[Audited]
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		30000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 56,49,12,284 (Previous Year 40,04,11,027) shares of Rs.10/- each [including 48,33,24,032 (Previous Year 31,88,22,775) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	5649123	4004110
II.	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	0	0
	TOTAL [I+II]	5649123	4004110

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.18	AS ON 31.03.17
		[Audited]	[Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	10836906	10331906
	Addition during the year	100000	505000
	Sub Total I	10936906	10836906
II.	Capital Reserves:		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	8733062	9021393
	Add: Addition during the year	0	0
	Less:Deduction during the year	-262642	-288331
	Sub Total II.a	8470420	8733062
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	3271910	2934240
	Add: Addition during the year	1013826	337670
	Sub-Total II.b	4285736	3271910
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	13180418	13180418
	Add: Addition during the year	6204987	0
	Less: Share Issue Expenses	-9862	0
	Sub-Total III	19375543	13180418
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.a	1089003	1089003

	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	105700	105700
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	262642	0
	उप-योग IV.ख	368342	105700
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत		
	अथशेष	1594015	870821
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	151067	723194
	उप-योग IV ग	1745082	1594015
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथ शेष	36817	36817
	जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप-योग IV घ	36817	36817
V	लाभ-हानि खाते में शेष	9869878	18572748
	कुल योग (I-V)	56177727	57420579

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 3 - जमा राशियाँ	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क.	I) 1.) क. मांग जमा		
	i) बैंकों से	600494	238202
	ii) अन्य से	38717131	44636014
	II. बचत बैंक जमा राशियाँ	201286643	190720973
	III. मियादी जमा		
	i) बैंकों से	19798259	16183593
	ii) अन्य से	756859137	603622831
	जोड़ (I+II+III)	1017261664	855401613
ख)	भारत में शाखाओं की जमा राशियाँ	1017261664	855401613

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 4 -- उधार	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	I.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक	7500000	0
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	2579849	12834377
	iv) अतिरिक्त टीयर 1 बॉण्ड	10000000	0
	v) गौण ऋण	16750000	16750000
	II.) भारत से बाहर उधार	0	0
	जोड़ (I+II)	36829849	29584377
	उपरोक्त जोड़ (I) और (II) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	10079836	2039430

	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	105700	105700
	Add: Addition during the year	262642	0
	Sub-Total IV.b	368342	105700
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	1594015	870821
	Add: Addition during the year	151067	723194
	Sub-Total IV.c	1745082	1594015
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	36817	36817
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total IV.d	36817	36817
V.	Balance in Profit & Loss Account	9869878	18572748
	Total [I to V]	56177727	57420579

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	AS ON 31.03.18	AS ON 31.03.17
		[Audited]	[Audited]
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	600494	238202
	ii. From others	38717131	44636014
	II. Savings Bank Deposits	201286643	190720973
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	19798259	16183593
	ii. From others	756859137	603622831
	TOTAL [I+II+III]	1017261664	855401613
B	Deposits of branches in India	1017261664	855401613

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.18	AS ON 31.03.17
		[Audited]	[Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	7500000	0
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	2579849	12834377
	iv) Additional Tier - I Bonds	10000000	0
	v) Subordinated Debt	16750000	16750000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	36829849	29584377
	Secured borrowings Included in I & II above	10079836	2039430

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. देय बिल	2039691	2317397
II. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	642934	451327
III. प्रोद्भूत ब्याज	10380618	8357393
IV. आस्थगित कर देयता	0	0
VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	8610817	8897575
जोड़	21674060	20023692

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2679331	2524634
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	39884514	35372138
ii) अन्य खातों में	20000000	5750000
जोड़ (I तथा II)	62563845	43646772

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.) भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क) चालू खातों में	309424	311185
ख) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क) बैंकों से	5000000	0
ख) अन्य संस्थाओं से	1940000	0
उप योग- (I)	7249424	311185
II.) भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	1513657	1939808
ii) अन्य जमा खातों में	0	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
उप-योग (II)	1513657	1939808
जोड़ (I+II)	8763081	2250993

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
I. Bills Payable	2039691	2317397
II. Inter-office adjustments [net]	642934	451327
III. Interest accrued	10380618	8357393
IV. Deferred Tax Liability	0	0
V. Others (including provisions)	8610817	8897575
TOTAL	21674060	20023692

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2679331	2524634
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	39884514	35372138
ii) in Other Account	20000000	5750000
TOTAL [I & II]	62563845	43646772

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
I. In India		
i) Balance with banks		
a) in Current Accounts	309424	311185
b) in other Deposit Accounts	0	0
ii) Money at call & Short notice		
a) with banks	5000000	0
b) with other institutions	1940000	0
SUB-TOTAL [I]	7249424	311185
II. Outside India		
i) In Current Accounts	1513657	1939808
ii) In Other Deposit Accounts	0	0
iii) Money at call & Short notice	0	0
SUB-TOTAL [II]	1513657	1939808
TOTAL [I & II]	8763081	2250993

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 8 - निवेश	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.) भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ **	240234958	212710502
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	106863	106863
iii) शेयर	2789405	2310952
iv) डिबैंचर तथा बांड्स	63535283	60944401
v) सहायक इकाईयाँ, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	6537	6537
vi) अन्य		
क) वाणिज्यिक पत्र/सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	23076728	3324660
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड	67798	81104
उप-योग (I)	329817572	279485019
II. भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल योग (I+II)	329817572	279485019
कुल मूल्य	331500340	279976079
मूल्य ह्रास का प्रावधान (-)	1682768	491060
निवल निवेश	329817572	279485019

** इनमें रु.1079.35 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य रु.1077.26 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु.1202.51 करोड़ (अंकित मूल्य रु.1413.34 करोड़) थी।

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 9 - अग्रिम	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	3835201	3744960
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	253231341	192694025
iii) मीयादी ऋण	408627927	386906349
जोड़	665694469	583345334
ख) i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित)	555468985	515478652
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	56518459	18279956
iii) प्रतिभूति रहित	53707025	49586726
जोड़	665694469	583345334
ग) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	240540521	213093499
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	124679101	70177428
iii) बैंक	23004084	517604
iv) अन्य	277470763	299556803
जोड़	665694469	583345334

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
I. Investments in India in		
i) Government Securities **	240234958	212710502
ii) Other approved securities	106863	106863
iii) Shares	2789405	2310952
iv) Debentures & Bonds	63535283	60944401
v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
vi) Others:		
a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts	23076728	3324660
b) Units of UTI, other MF	67798	81104
SUB-TOTAL [I]	329817572	279485019
II. Investments outside India	NIL	NIL
TOTAL [I + II]	329817572	279485019
Gross Value	331500340	279976079
Provision for Depreciation [-]	1682768	491060
Net Investments	329817572	279485019

** Includes encumbered securities of Rs.1079.35crore [Face Value Rs.1077.26 crore] previous year Rs.1202.51 crore [Face Value Rs.1413.34 crore]

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
A i) Bills purchased & discounted	3835201	3744960
ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	253231341	192694025
iii) Term Loans	408627927	386906349
Total	665694469	583345334
B i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	555468985	515478652
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	56518459	18279956
iii) Unsecured	53707025	49586726
Total	665694469	583345334
C ADVANCES IN INDIA		
i) Priority Sector	240540521	213093499
ii) Public Sector	124679101	70177428
iii) Banks	23004084	517604
iv) Others	277470763	299556803
Total	665694469	583345334



(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियाँ	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) परिसर		
परिसर का मूल्य (अथ शेष)	1156018	1154799
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	9190459	9190459
उप- योग	10346477	10345258
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	70311	1219
पुनर्मूल्यन लागत पर	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	0	0
पुनर्मूल्यन लागत पर	0	0
घटाएं— अद्यतित दिनांक को मूल्यह्रास		
वास्तविक लागत पर	-403463	-346529
पुनर्मूल्यन लागत पर	-720037	-457395
जोड़ ।	9293288	9542553
2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
मूल्य (अथ शेष)	4427825	4139992
वर्ष के दौरान परिवर्धन	447987	344040
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-36375	-56207
अद्यतन मूल्यह्रास	-3306740	-3016091
जोड़ 2	1532697	1411734
कुल जोड़ (1+2)	10825985	10954287

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. प्रोद्भूत ब्याज	6882186	4732624
II. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	834783	600630
III. लेखन सामग्री और स्टाम्प	40435	37290
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
V. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	5933319	2225706
VI. अन्य \$\$	46236748	39155716
जोड़	59927471	46751966

\$\$ आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि रु. 3557.97 करोड़ (पिछले वर्ष यह रु.2797.69 करोड़ थी) सम्मिलित है।

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
I. Premises		
Cost [Opening Balance]	1156018	1154799
Appreciation in cost on account of revaluation	9190459	9190459
Sub-Total	10346477	10345258
Additions during the year		
Original Cost	70311	1219
Revaluation Cost	0	0
Deductions during the year on		
Original Cost	0	0
Revaluation Cost	0	0
Less Depreciation to date on		
Original cost	-403463	-346529
Revaluation cost	-720037	-457395
Total-I	9293288	9542553
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
Cost [Opening Balance]	4427825	4139992
Additions during the year	447987	344040
Deductions during the year	-36375	-56207
Depreciation to date	-3306740	-3016091
Total II	1532697	1411734
TOTAL I & II	10825985	10954287

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
I. Interest accrued	6882186	4732624
II. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	834783	600630
III. Stationery & Stamps	40435	37290
IV. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
V. Deferred Tax asset (Net)	5933319	2225706
VI. Others \$\$	46236748	39155716
TOTAL	59927471	46751966

\$\$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.3557.97 crore [Previous Year Rs.2797.69 crore]

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची- 12 - आकस्मिक देयताएं	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	68790	107686
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	31889962	69492966
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियाँ		
क) भारत में	27295455	24980662
ख) भारत के बाहर		
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1691231	1866905
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	848554	848554
जोड़	61793992	97296773

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	31.3.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I. ब्याज/अग्रिमों पर मितिकाटा/बिल	52315249	56814951
II. निवेशों पर आय	24508344	22555907
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	1170404	437301
IV अन्य	1493536	1920560
जोड़	79487533	81728719

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 14 - अन्य आय	31.3.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	834725	898565
II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	2595223	2619745
III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	-1119	-1860
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ (निवल)	258888	325636
V. विविध आय	2124288	1938896
जोड़	5812005	5780982

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 15 - अपचित ब्याज	31.3.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I जमाराशियों पर ब्याज	54123415	58214711
II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	421760	517674
III अन्य	2590391	1402991
जोड़	57135566	60135376

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.18 [Audited]	AS ON 31.03.17 [Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	68790	107686
II. Liability for partly paid investments	0	0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	31889962	69492966
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	27295455	24980662
b) Outside India		
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1691231	1866905
VI. Other items for which the bank is contingently liable	848554	848554
TOTAL	61793992	97296773

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.18 [Audited]	Year Ended 31.03.17 [Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	52315249	56814951
II. Income on investments	24508344	22555907
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1170404	437301
IV. Others	1493536	1920560
TOTAL	79487533	81728719

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.18 [Audited]	Year Ended 31.03.17 [Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	834725	898565
II. Profit on sale of Investments [net]	2595223	2619745
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	-1119	-1860
IV. Profit on exchange transactions [net]	258888	325636
V. Miscellaneous Income	2124288	1938896
TOTAL	5812005	5780982

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.18 [Audited]	Year Ended 31.03.17 [Audited]
I. Interest on deposits	54123415	58214711
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	421760	517674
III. Others	2590391	1402991
TOTAL	57135566	60135376

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय	31.3.2018 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2017 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	11230044	9901435
II किराया, कर और रोशनी	1279385	1320205
III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	86465	76218
IV विज्ञापन और प्रचार	15740	14843
V बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	641058	712925
घटा : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	0	288331
	641058	424594
VI निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	2740	3072
VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	119806	102987
VIII विधि प्रभार	102833	118386
IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	95682	100843
X मरम्मत और अनुरक्षण	154101	131711
XI बीमा	846272	863652
XII अन्य व्यय	2142710	1897601
जोड़	16716836	14955547

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
	Year Ended 31.03.18 [Audited]	Year Ended 31.03.17 [Audited]
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and provisions for employees	11230044	9901435
II. Rent, taxes and lighting	1279385	1320205
III. Printing and stationery	86465	76218
IV. Advertisement & publicity	15740	14843
V. Depreciation on Bank's property	641058	712925
Less: Transfer from Revaluation Reserve	0	288331
	641058	424594
VI. Directors' fees, allowances and expenses	2740	3072
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	119806	102987
VIII. Law Charges	102833	118386
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	95682	100843
X. Repairs & maintenance	154101	131711
XI. Insurance	846272	863652
XII. Other expenditure	2142710	1897601
TOTAL	16716836	14955547



अनुसूची - 17

प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राकल्लन का उपयोग

प्रबंधन को रिपोर्ट की गई विचाराधीन आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट किए गए आय तथा व्यय और वित्तीय विवरणियों की तिथि के अनुसार, को बनाने में अनुमान और कल्पना करनी पड़ती है। प्रबंधन विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को बनाने में किए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा उचित हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडआई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैडआई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडआई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख-पत्र का मूल्यांकन फैडआई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:

- I. सरकारी प्रतिभूतियां
- II. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- III. शेयर (अंश)
- IV. ऋण-पत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड
- V. सहायक ईकाइयां/संयुक्त उपक्रम तथा
- VI. अन्य

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. Foreign Exchange Transactions

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
 - i. Government Securities
 - ii. Other approved securities
 - iii. Shares
 - iv. Debentures
 - v. Subsidiaries / Joint Ventures and
 - vi. Others

3.3 वर्गीकरण का आधार

- I. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक रखना' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- II. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यापार के लिए रखने' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- III. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उनको "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- IV. निवेशों को क्रय करते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

3.4 प्रतिभूतियां, जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" को अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।

3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणी वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध ह्रास का प्रावधान किया गया है।

3.6 "व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों" का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्य-ह्रास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।

3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारत औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 लेखा पद्धति - लेखा निपटान तिथि

लेखा निपटान तिथि का अभिप्राय (क) संस्था द्वारा प्राप्त की गई आस्ति जिस दिन इसकी पहचान हुई, और (ख) संस्था द्वारा इसके निस्तारण किए जाने वाले दिन पर होने वाले लाभ अथवा हानि की पहचान करना और आस्ति की पहचान समाप्त करना।

तदनुसार, संपूर्ण संविभाग के लिए बैंक लेखा निपटान तिथि का, एस.एल.आर. अथवा गैर एस.एल.आर. हेतु अनुपालन करता है। निवेश की लागत भारत औसत लागत पद्धति वर्ग के अनुसार आधारित है।

3.9 "बिक्री हेतु उपलब्ध" एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य कोष "बाजार दर" निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी. डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।

अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्न है:

क.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
ख.	राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान शेयरों, ऋण-पत्रों तथा पी.एस.यू बाण्ड्स पर लाभ:	फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिम्डा एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
ग.	ईक्विटी शेयर:	नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य आधार पर जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
घ.	म्यूचुअल फंड यूनिट्स :	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
ड.	ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनः पूँजीगत बांड्स, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान:	शुद्ध लागत पर।

3.3 Basis Of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.

3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually

3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.

3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 Method Of Accounting – Settlement Date Accounting

Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity , and (b) the de-recognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity .

Accordingly, Bank follows settlement date accounting for the whole portfolio, SLR as well as Non SLR. Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.9 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities: and State Government securities.	At rates put out by FIMMDA/PDAI
b.	Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
c.	Equity Shares:	At market price taken from NSE and BSE for quoted share. For unquoted at fair value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.10 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ-हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.11 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, "परिपक्वता तक रखना" श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.12 अनर्जक निवेश:

गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्य-ह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.13 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय प्राप्ति के आधार पर आय की गणना की जाती है।

3.14 यदि किसी मामले में, 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों पर किसी भी वर्ष में मूल्य-ह्रास के कारण किए गए प्रावधान आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातों में जमा कर दिया जाता है और उसके समान राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातों - "राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्न प्रकार प्रावधान किया है:

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15% * गैर-आरक्षित ऋणों का 25% * गैर-आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%
हानि	बही बकाया का 100%

* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकन/भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य, ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है अर्थात् बकाया जोखिम।

4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'अन्य दायित्वों तथा प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

4.5 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की जाती है:-

- i) जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।

3.10 In determining acquisition cost of investments:

- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
- Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.11 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.12 Non Performing Investments

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.13 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.14 In the event, provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the P.& L. Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-

- When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

- ii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री किए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किया जाता है।
- iii) यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5. अस्थाई प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों को अलग से निर्माण और उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आंकलन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थाई प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियां

- 6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
- 6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नहीं किया गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्य-ह्रास:

- 7.1 मूल्य-ह्रास निम्नानुसार लगाया गया है:
 - 7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33% परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्य-ह्रास लगाया गया है चाहे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
 - 7.1.2 आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्य-ह्रास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्य-ह्रास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्य-ह्रास लगाया गया है।
 - 7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्रित मूल्य पर लिया गया है।
- 7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्य-ह्रास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ-हानि खाते से वसूला गया है और पुनर्मूल्यन आरक्षित खाते से राजस्व आरक्षित खाते में समतुल्य राशि को अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व पहचान

- 8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।
- 8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 8.4 भा.रि. बैंक द्वारा शुरु की गई विशेष योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मामलों हेतु अर्थात् दबाव में आस्तियों की धारणीय भुगतान की अनुसूची पुनः बनाने की योजना (एस4ए), नीतिगत ऋण पुनःसंरचना, लंबी अवधि के परियोजना ऋणों की लचीली संरचना (5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनःसंरचना योजना के बाहर), जहाँ उसके बाद खाता अनर्जक हो जाता है, तो किसी भी वसूली को पहले ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज में जमा किया जाएगा। उसके बाद वसूली को खाते में बकाया मूल धन में समायोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आ रहे सभी खातों में लेखा प्रक्रिया एक समान एक सी बनी रहेगी।
- 8.5 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण, म्यूचुअल फंड उत्पाद के यूनिटों की आय तथा ए.टी.एम. परिचालन शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 8.6 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 8.7 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

- ii). If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.
- iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5 Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 Fixed Assets

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7 Depreciation on Fixed Assets

- 7.1 Depreciation is provided for on -
 - 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
 - 7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.
 - 7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 7.3 Depreciation attributable to revalued portion of the assets is charged to Profit & Loss Account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve Account to Revenue Reserve Account.

8 Revenue Recognition

- 8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 8.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.
- 8.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- 8.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 8.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.



- 8.8 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।
- 8.9 टीयर – II पूँजी में उन्नयन के कारण बांड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।
- 8.10 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ

- 9.1 ग्रेज्युटी निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया है।
- 9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आस्तियों का ह्रास

स्थायी आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि (यदि कोई है) की पहचान आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी ए.एस. 28 (आस्तियों का ह्रास) के अनुसार की जाती है और लाभ एवं हानि खाते को नामे की जाती है।

11. आय पर कर:

- 11.1 चालू आय कर को लागू कर दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 11.2 ए.एस. 22 – आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर-परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

- 8.8 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 8.9 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 8.10 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 Staff Retirement Benefits

- 9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.
- 9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Impairment of Assets

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 Taxes on Income

- 11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 अंतर्शाखा खातों (आईबीआर + डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान, जिसे अंतर्कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 31.03.2018 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
- 1.3 ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/प्रदत्त लाभांश वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान कर दिया है। दिनांक 31.03.2018 तक के नोस्ट्रो खातों का समायोजन कर दिया गया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है, तो नगण्य होगा।

- 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30.09.2017 की अवधि तक तथा 31.03.2018 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छ: महीनों से अधिक के अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

अंतर्शाखा खाता में निवल जमा है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

- 1.5 बकाया नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु. 3.78 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.70 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है। जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 5.15 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 4.81 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अवरुद्ध अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।
2. दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक वित्तीय विवरणियों का अनुसरण करते हुए, वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

3. पूंजी

- 3.1 वर्ष के दौरान बैंक ने भा.रि. बैंक/वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सेबी आइसीडीआर अधिनियम के अनुसार रु.10 के प्रति शेयर पर निर्धारित रु. 47.72 के प्रति शेयर प्रीमियम पर भारत सरकार को अधिमान आधार पर 16,45,01,257 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। तदनुसार, बैंक का इक्विटी शेयर पूंजी रु.164.50 करोड़ से बढ़ कर रु. 564.91 और शेयर प्रिमियम रु.619.51 करोड़ से बढ़ कर (शेयर संबंधित 0.99 करोड़ व्यय को समायोजित करने के पश्चात) रु.1937.55 करोड़ हो गया है।

3.2 जोखिम भारित संपत्ति पर पूंजी

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2017-18	2016-17
(i)	सी.आर.ए.आर. टीयर-1 पूंजी (बासल-II)	8.87%	8.40%
(ii)	सी.आर.ए.आर. टीयर-II पूंजी (%) (बासल- II)	2.40%	3.17%
(iii)	कुल सी.आर.ए.आर. (बासल- II)	11.27%	11.57%
(iv)	सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात (बासल-III)	8.37%	9.14%
(v)	अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी अनुपात (बासल-III)	1.48%	0.00%
(vi)	सी.आर.ए.आर.-टीयर-1 पूंजी अनुपात (बासल III)	9.85%	9.14%
(vii)	सी.आर.ए.आर.-टीयर-II पूंजी अनुपात (बासल III)	1.40%	1.91%
(viii)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (बासल-III)	11.25%	11.05%
(ix)	भारत सरकार के शेयर धारकों की प्रतिशतता	85.56%	79.62%
(x)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	785.00	शून्य
(xi)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पी.एन.सी.पी.एस.: आई.पी.डी.आई.:	1000 शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य
(xii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर-II पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखत अधिमानी शेयर पूंजी लिखत बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर(आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर(आरसीपीएस)	शून्य शून्य शून्य	500.00 500.00 शून्य

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 Balancing of Books and Reconciliation

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 31.03.2018 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2018.

In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet is not quantifiable.

- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2017 and remained outstanding as on 31.03.2018 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- 1.5 Aggregate net credit position in respect of outstanding NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs. 3.78 crores (previous year Rs 3.70 crores) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs. 1.77 crores for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs. 5.15 crores (previous year Rs.4.81 crores) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.

- 2.1 There is no change in the Accounting Policies in preparation of the financial statements as were followed in the annual financial statements for the year ended 31.03.2017.

3. Capital

- 3.1 During the year, Bank has issued 16,45,01,257 Equity Shares of Rs.10/ each to Government of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.47.72 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.164.50 crore to Rs.564.91 crore and Share Premium has increased by Rs.619.51 crore (after adjusting Share Issue Expenses of Rs.0.99 crore) to Rs.1937.55 crore.

3.2 Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (CRAR)

(Rupees. in crore)

Items		2017-18	2016-17
(i)	CRAR - Tier I capital (Basel-II)	8.87%	8.40%
(ii)	CRAR - Tier II capital (Basel-II)	2.40%	3.17%
(iii)	Total CRAR (Basel-II)	11.27%	11.57%
(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	8.37%	9.14%
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	1.48%	0.00%
(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	9.85%	9.14%
(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	1.40%	1.91%
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	11.25%	11.05%
(ix)	Percentage of the shareholding of the Government of India	85.56%	79.62%
(x)	Amount of equity capital raised (including share premium)	785.00	NIL
(xi)	Amount of Additional Tier I capital raised of which	1000.00	NIL
	PNCPS:	NIL	NIL
	IPDI:	NIL	NIL
(xii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument:	NIL	500.00
	Preference Share Capital Instruments:	NIL	500.00
	[Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

मर्दे		2017-18	2016-17
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	33150.04	27997.61
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एन.पी.ए. प्रावधान सहित)		
	(क) भारत में	168.28	49.11
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(क) भारत में	32981.76	27948.50
	(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)		
(i)	अथ शेष	49.11	48.36
(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	119.17	32.36
(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बढ़े खाते में डालना / पुनरांकन	-	31.61
(iv)	शेष	168.28	49.11

4.2 एमटीएम हानियों का प्रसार

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीआर.संख्या बीपी.बीसी.102 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 02 अप्रैल 2018 के माध्यम से दिसंबर 31, 2017 और मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस और एचएफटी में किए गए निवेश पर एमटीएम घाटे के प्रावधान के विस्तार का विकल्प प्रदान किया है। तदनुसार, बैंक ने दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही में रु.76.49 करोड़ तथा मार्च 2018 तिमाही में रु.15.99 करोड़ का प्रभार लगाया और दिसंबर 2017 तिमाही की रु.76.49 करोड़ की हानि तथा मार्च 31, 2018 तिमाही की रु.47.97 करोड़ की हानि का आगामी वित्तीय वर्ष की अगली तिमाही तक विस्तार किया है।

4.3 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.3.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित की लेखा

पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन- पुनः खरीद के समझौते के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूति और पुनः प्रतिवर्तित समझौते के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूति, को क्रमशः संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में मानी जाती हैं। पुनः खरीद के प्रथम एवं द्वितीय चरण की विचारणीय राशि का अंतर, लेन-देन की अवधि के ब्याज आय या ब्याज खर्च के रूप में मान्य है।

4.3.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन प्रविष्टियों (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2018 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	0.00	1725.00	54.11	750.00
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	0.00	6199.00	1507.55	2000.00

4.3.3 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेन-देन प्रविष्टियों (कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31.03.2018
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. Investments

4.1 Value of Investments

(Rupees in crore)

Items			2017-18	2016-17
(1)	(i)	Gross Value of Investments		
	(a)	In India	33150.04	27997.61
	(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)		
	(a)	In India	168.28	49.11
	(b)	Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments		
	(a)	In India	32981.76	27948.50
	(b)	Outside India	Nil	Nil
(2)	Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)			
	(i)	Opening balance	49.11	48.36
	(ii)	Add: Provisions made during the year	119.17	32.36
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	31.61
	(iv)	Closing balance	168.28	49.11

4.2 Spreading of MTM losses

RBI vide its circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 granted an option to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. Accordingly, the bank has charged Rs.76.49 crore related to quarter ended December 2017 and Rs.15.99 crore for quarter March 2018 and spread the losses to the tune Rs.76.49 crore related to December 2017 quarter and Rs.47.97 crores related to March 31, 2018 to the subsequent quarters of ensuing Financial Year.

4.3 Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)

4.3.1 Accounting for Repos/Reverse Repo

Repurchase and reverse repurchase transactions - Securities sold under agreements to repurchase (Repos) and securities purchased under agreements to resell (Reverse Repos) are accounted as collateralized borrowing and lending transactions respectively. The difference between the consideration amount of the first leg and the second leg of the repo is recognized as interest income or interest expense over the period of the transaction.

4.3.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2018
Securities sold under Repos	0.00	1725.00	54.11	750.00
Securities purchased under Reverse Repos	0.00	6199.00	1507.55	2000.00

4.3.3 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2018
Securities sold under Repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

4.4 एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि

	2017-18	2016-17
निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	शून्य	शून्य

4.5 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची: 31.03.2018 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति:

(रु. करोड़ में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापना की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
1)	2	3	4	5	6	7
i.	सार्वजनिक उपक्रम	4484.07	3925.94	0	3816.40	1980.13
ii.	वित्तीय संस्थान	240.51	44.60	0	46.66	14.60
iii.	बैंक	2117.77	104.42	0	24.95	2007.82
iv.	निजी कम्पनी	2135.40	425.79	0	254.74	482.12
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	0	0.65	0.65
vi.	अन्य	44.95	6.95	0	44.95	44.95
vii.	मूल्यद्वय के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	75.79	0	0	0	0
	कुल*	8947.56	4508.35	0.00	4188.35	4530.27

नोट: *कॉलम 3 का जोड़ तुलन-पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के जोड़ से मेल खाना चाहिए :

क. शेयर

ख. डिबेंचर व बॉण्ड

ग. सहायक/संयुक्त उपक्रम

घ. अन्य

4.6 अनुप्रयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
अथ शेष	30.85	56.26
वर्ष के दौरान परिवर्धन	140.54	0.94
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.48	26.35
इति शेष	170.91	30.85
कुल प्रावधान	53.22	24.43

4.7 व्युत्पत्तियाँ

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेन-देन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज-दर व्युत्पत्तियाँ) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेन-देन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.8 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
मानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.4 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :

	2017-18	2016-17
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

4.5 Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2018

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	4484.07	3925.94	0	3816.40	1980.13
ii.	FIs	240.51	44.60	0	46.66	14.60
iii.	Banks	2117.77	104.42	0	24.95	2007.82
iv.	Private Corporate	2135.40	425.79	0	254.74	482.12
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	0	0.65	0.65
vi.	Others	44.95	6.95	0	44.95	44.95
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	75.79	0	0	0	0
	Total *	8947.56	4508.35	0.00	4188.35	4530.27

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

- a) Shares
- b) Debentures & Bonds
- c) Subsidiaries / joint ventures
- d) Others

4.6 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance	30.85	56.26
Additions during the year	140.54	0.94
Reductions during the year	0.48	26.35
Closing balance	170.91	30.85
Total Provisions held	53.22	24.43

4.7 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2017-18. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.8 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil



- 4.9 वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 875 करोड़ की (अंकित मूल्य) परिपक्वता तक रखने से बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी में प्रतिभूतियों को अंतरित किया है।
- 4.10.1 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम श्रेणी का/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।
- 4.10.2 एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री में सकल लाभ (करों से मुक्त) को पूंजी आरक्षित खाता में अंतरित किया जाता है।

5 आस्ति गुणवत्ता

5.1 गैर निष्पादित आस्तियां

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2017-18	2016-17
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	6.93	7.51
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	54.41	46.69
(iii)	सकल एनपीए में घट-बढ़		
	(क) अथ शेष	6297.59	4229.05
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2591.75	2900.06
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	1087.69	831.52
	(घ) इति शेष	7801.65	6297.59
(iv)	निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	4375.08	2949.47
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1989.11	2381.90
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	1756.32	956.29
	(घ) इति शेष	4607.87	4375.08
(v)	एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) अथ शेष	1882.93	1266.71
	(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	1770.12	1135.20
	(ग) घटा: अधिक किए प्रावधानों को बढ़े खाते डालना/पूर्णांकन	498.87	518.98
	(घ) इति शेष	3154.18	1882.93

- 5.2 जी.आई.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध/वसूली योग्य हैं, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

5.3 आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए प्रावधानन में अंतर

(रु हजार में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	दिनांक 31.03.2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	6297.59
2	दिनांक 31.03.2017 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किया गया सकल एनपीए	6840.29
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)	542.70
4	दिनांक 31.03.2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	4375.08
5	दिनांक 31.03.2017 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किया गया निवल एनपीए	4700.28
6	निवल एनपीए में अंतर (5-4)	325.20
7	दिनांक 31.03.2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	1882.93
8	दिनांक 31.03.2017 को भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारण किए गए एनपीए हेतु प्रावधान	2100.43
9	प्रावधानन में अंतर (8-7)	217.50
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद रिपोर्ट किया गया शुद्ध लाभ (पीएटी)	201.08
11	प्रावधानन में अंतर को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु कर के बाद समायोजित (अनुमानिक) शुद्ध लाभ	58.85

* 31 मार्च, 2017 संदर्भित अवधि की समाप्ति है जिसके संबंध में अंतरों का निर्धारण किया गया।

4.9 During the year, the Bank shifted securities worth Rs. 875 crore (face value) from “Held till Maturity” to “Available for Sale Category”.

4.10.1 The value of shifting/ sales from HTM category(excluding one time transfer and sale under pre-announced OMO auctions and repurchase of Government securities by Government of India) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

4.10.2 Gross profit (without netting of Taxes) on sale of securities under HTM categories are transferred to Capital Reserve Account.

5. Asset Quality

5.1. Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

Items		2017-18	2016-17
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	6.93	7.51
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	54.41	46.69
(iii)	Movement of Gross NPAs		
(a)	Opening Balance	6297.59	4229.05
(b)	Additions during the year	2591.75	2900.06
(c)	Reductions during the year	1087.69	831.52
(d)	Closing balance	7801.65	6297.59
(iv)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening Balance	4375.08	2949.47
(b)	Additions during the year	1989.11	2381.90
(c)	Reductions during the year	1756.32	956.29
(d)	Closing balance	4607.87	4375.08
(v)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening Balance	1882.93	1266.71
(b)	Add: provisions made during the year	1770.12	1135.20
(c)	Less: write off, write back of excess provisions	498.87	518.98
(d)	Closing balance	3154.18	1882.93

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(Rupees in crores)

Sr.	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	6297.59
2	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	6840.29
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	542.70
4	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	4375.08
5	Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	4700.28
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	325.20
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	1882.93
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	2100.43
9	Divergence in provisioning (8-7)	217.50
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	201.08
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning	58.85

5.4 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

पंजाब एण्ड सिंध बैंक																
31.03.2018 को पुनः संरचित खातों का प्रकीर्ण																
क्र. सं.	पुनः संरचना का प्रकार	सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था			एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनः संरचना व्यवस्था			अन्य			कुल			(राशि करोड़ों में)		
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण															
1.	वित्तीय-वर्ष की 1 अप्रैल को पुनः संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	2				2	4				4	18				24
	बकाया राशि	77.65				77.65	17.23				17.23	1391.76				1486.64
	प्रावधान	10.41				10.41	1.31				1.31	131.68				143.40
2.	वर्ष के दौरान नए पुनः संरचित खाते							1	2		3	1	1	4		6
	बकाया राशि							0.87	2.21		3.08	15.87*		0.87	221.19	237.93
	प्रावधान							0.13	2.11		2.24	0.31		0.13	74.88	75.32
3.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित मानक का उन्नयन															
	बकाया राशि															
	प्रावधान															
4.	अग्रिम पुनः संरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रावधानों को रोकते हैं तथा / या वित्त-वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त-वर्ष के प्रारंभ में अग्रिम पुनः संरचित मानक को दिखाने की आवश्यकता नहीं है															
	बकाया राशि						-2				-2	-1	-3			-3
	प्रावधान						-0.03				-0.03	-92.45	-92.48			-92.48
	बकाया राशि						0.00				0	0	0			0
5.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों का उन्नयन	-1				-1	-2				-2	-9	-12			-12
	बकाया राशि (-)	-10.46				-10.46	-12.71				-12.71	-837.67	-860.84			-860.84
	प्रावधान (-)	-2.62				-2.62	-4.20				-4.20	-233.36	-240.18			-240.18
6.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की अपलिखित	-1				-1	-1				-1	-2	-2			-2
	बकाया राशि	-67.19				-67.19	-4.49				-4.49	-62.83	-134.51			-134.51
7.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनः संरचित खाते (अंतिम आँकड़े)							1	2		3	8				
	बकाया राशि							0.87	2.21		3.08	414.68		0.87	221.19	636.74
	प्रावधान							0.13	2.11		2.24	25.76		0.13	74.88	100.77

5.4 Details of Accounts Restructured:

tSTATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2018 (Rupees in crores)																		
Sl.	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				TOTAL			
	Asset Classification →	Details ↓	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No. of Borrower	2				2	4					4	18			24	
		Amt.O/s	77.65				77.65	17.23					17.23	1391.76			1486.64	
		Prov. thereon	10.41				10.41	1.31					1.31	131.68			143.40	
2	Fresh Restructuring during the year	No. of Borrower							1	2			3	1		2	1	4
		Amt.O/s							0.87	2.21			3.08	15.87*	218.98		0.87	221.19
		Prov. thereon							0.13	2.11			2.24	0.31	72.77		0.13	74.88
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	No. of Borrower																
		Amt.O/s																
		Prov. thereon																
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No. of Borrower						-2					-2	-1			-3	
		Amt.O/s						-0.03					-0.03	-92.45			-92.48	
		Prov. thereon						0.00					0	0			0	
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of Borrower (-)	-1				-1	-2					-2	-9			-12	
		Amt.O/s (-)	-10.46				-10.46	-12.71					-12.71	-837.67			-860.84	
		Prov. Thereon (-)	-2.62				-2.62	-4.20					-4.20	-233.36			-240.18	
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrower	-1				-1							-1			-2	
		Amt.O/s (-)	-67.19				-67.19	-4.49					-4.49	-62.83			-134.51	
		No. of Borrower							1	2			3	8		2	1	4
7	Restructured accounts as on Mar'31 of the FY (Closing figures*)	Amt.O/s							0.87	2.21			3.08	414.68	218.98		0.87	221.19
		Prov. thereon							0.13	2.11			2.24	25.76	72.77		0.13	74.88
* The amount of Rs.15.87 crores includes Rs.13.40 crores disbursed to 2 accounts which are included in restructured accounts as on April 1, 2017. The remaining amount of Rs.2.46 crores pertains to accounts which has been restructured during the FY 2017-18.																		

5.5 वर्तमान ऋणों की लचीली संरचना को लागू करना

(रु. करोड़ में)

अवधि	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की भारित औसत जोखिम अवधि	
		मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पूर्व	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
विगत वित्तीय वर्ष (2016-17)	2	271.16	-	10.77	18.74
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18	1	245.37	-	10.15	19.93

5.6 अनुकूल ऋण पुनः संरचना योजना (खाते जो वर्तमान में जकड़ी हुई अवधि में हैं)

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर को इनवोक किया गया	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
1	31.68	-	-	-	31.68	-

5.7 एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावी करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू करना अनिर्णीत है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ ऋण को ईक्विटी/गिरवी ईक्विटी शेयरों को लागू कर दिया गया है।		खातों के संबंध में रिपोर्ट करने की तिथि पर बकाया राशि जहाँ प्रवर्तकों की ईक्विटी की बिक्री या जारी किए गए नए शेयरों से स्वामित्व में परिवर्तन उल्लिखित है।	
	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत	मानक वर्गीकृत	एनपीए वर्गीकृत
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.8 दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनः संरचना हेतु योजना (एस4ए)

(रु. करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किया गया प्रावधान
		पार्ट A में	पार्ट B में	
एनपीए वर्गीकृत	43.59	22.67	20.92	16.66*

* कुल दर्ज बकाया राशि रु. 36.64 करोड़ है, जिसमें से प्रतिभूत हिस्से की राशि रु.33.30 करोड़ है और प्रतिभूति रहित हिस्से की राशि रु. 3.34 करोड़ है। प्रतिभूत हिस्से पर 40% का प्रावधान है। रु.13.32 करोड़ और प्रतिभूति रहित हिस्से पर प्रावधान 100% का है रु.3.34 करोड़।

5.5 Application of Flexible Structuring to Existing Loans

(Rupees in crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year (2016-17)	2	271.16	-	10.77	18.74
Current Financial Year (2017-18)	1	245.37	-	10.15	19.93

5.6 Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(Rupees in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
1	31.68	-	-	-	31.68	-

5.7 Change in Ownership outside SDR Scheme

(Rupees in crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.8 Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A).

(Rupees in crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as NPA	43.59	22.67	20.92	16.66*

* Total Book O/s Rs 36.64 crs , out of which secured portion is Rs 33.30 crs and unsecured portion is 3.34 crs. Provisioning is 40% on secured i.e Rs 13.32 crs and 100 % on unsecured i.e. Rs 3.34 crores.



5.9 क. आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2017-18	2016-17
(i)	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ii)	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	शून्य	शून्य

ख. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2017-18	2016-17
(i)	बैंक द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	37.99	0.00001
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संगठनों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनर्जक खातों में बेची गई अंतर्निहित प्रतिभूतियां	-	-
	कुल	37.99	0.00001

5.10 खरीदी/बेची गई गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) क्रय की गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

		विवरण	2017-18	2016-17
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2017-18	2016-17
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.11 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

मर्दे	2017-18	2016-17
मानक आस्तियों पर प्रावधान	287.22	375.87
अंकित मूल्य में छस हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	15.16	45.62

5.12 धोखाधड़ी संबंधी खातों में प्रावधान

(रु. करोड़ में)

वर्ष	रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले	सम्मिलित राशि	किया गया प्रावधान	अपरिशोधित राशि	आज की तिथि में अपरिशोधित राशि
2017-18*	23	136.60	136.28	शून्य	शून्य
2016-17#	16	178.78	178.76	शून्य	शून्य

* वर्ष 2017-18 में वसूली गई राशि रु. 0.32 करोड़
 # दिनांक 31.03.2018 तक वसूली गई राशि रु. 9.19 करोड़
 # धोखाधड़ी राशि में सम्मिलित मेमोरेन्डा ब्याज रु. शून्य

5.9 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(Rupees in crore)

Item		2017-18	2016-17
(i)	Number of Accounts	Nil	Nil
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	Nil
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	Nil

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(Rupees in crore)

Item		2017-18	2016-17
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	37.99	0.00001
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	-	-
Total		37.99	0.00001

5.10 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

Particulars			2017-18	2016-17
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

Particulars			2017-18	2016-17
1.	No. of accounts sold		Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding		Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received		Nil	Nil

5.11 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

Item		2017-18	2016-17
Provisions towards Standard Assets		287.22	375.87
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances		15.16	45.62

5.12 Provisioning pertaining to Fraud Accounts

(Rs in crores)

Year	No of Frauds Reported	Amount Involved	Provision made	Unamortized Amount	Unamortized Amount As on Date
2017-18*	23	136.60	136.28	Nil	Nil
2016-17#	16	178.78	178.76	Nil	Nil

* Amount Recovered in 2017-18 -

Rs.0.32 crore

Amount Recovered upto 31/03/2018 -

Rs. 9.19 crore

Memoranda Interest included in Fraud Amount -

Nil

5.13.1. भा.रि. बैंक के निदेशों के अनुसार दिवालिया प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु—दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड(आई.बी.सी.) के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित 6 ऋण खातों के संबंध में दिनांक 23 जून, 2017 के पत्र संख्या डीबीआर नं.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 के प्रावधानन शर्तों के अनुसार, बैंक को अतिरिक्त प्रावधान करना था। इसी प्रकार, दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड (आई.बी.सी.) के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित 5 ऋणी खातों के संबंध में भा.रि. बैंक के दिनांक 28 अगस्त, 2017 के संप्रेषण संख्या डी.बी.आर.नं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 के अनुसार, बैंक को अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक था। आगे, भा.रि. बैंक के संप्रेषण दिनांक 02 अप्रैल, 2018 संख्या डीबीआर.बीपी.8756/21.04.048/2017-18 के अनुसार, 31 मार्च, 2018 को एन.सी.एल.टी. खाते के संबंध में संरक्षित हिस्से पर प्रावधान को 50% से घटा कर संरक्षित हिस्से पर 40% कर दिया गया। बैंक ने पुराने खातों के संबंध में उपलब्ध इस विकल्प का उपयोग नहीं किया जहाँ पहले से दिसम्बर, 2017 तक की तिमाही में 50% का प्रावधान किया गया था। बैंक ने मार्च, 2018 के दौरान सम्मिलित 2 एनसीएलटी खातों के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता के विकल्प का उपयोग करते हुए 40% का प्रावधान किया है।

5.14 कुछ बैंको ने इस वर्ष के दौरान रत्नों और आभूषण उधारकर्ता के संबंध में धोखाधड़ी दर्ज की। बैंक ने खाते को गैर निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया तथा पूरी तरह से तैयार किया।

5.15.1 भा.रि. बैंक ने परिपत्र डीबीआर नं बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 दिनांकित फरवरी 12,2018 के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया, जो एसडीआर के वर्तमान दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करता है, एसडीआर तथा एस 4 एस के बाहर स्वामित्व में तुरंत प्रभाव से परिवर्तन (कार्यान्वयन के अंतर्गत की परियोजना को छोड़कर) करता है। संशोधित फ्रेमवर्क के अंतर्गत, खातों हेतु लाभ जहां इन योजनाओं को इनवोक किया गया था लेकिन अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया था, को इनवोक कर दिया गया और आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार इन खातों को वर्गीकृत किया गया है।

6. कारोबार अनुपात

	मर्दे	2017-18	2016-17
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	7.42%	8.17%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.54%	0.58%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.07%	1.24%
(iv)	आस्तियों से आय	(-)0.69%	0.20%
(v)	प्रति कर्मचारी (रूपये करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ+अग्रिम)	18.18	15.34
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपए करोड़ में)	(-)0.08	0.02

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2018 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

(रु. करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियाँ
1 दिन	861.67	1802.32	0.00	0.00	24.46	192.08
2-7 दिन	2819.51	847.95	268.43	99.98	0.25	20.43
8-14 दिन	2227.50	329.85	68.07	750.00	2.36	17.36
15-30 दिन	3803.22	1454.82	2.45	0.00	3.13	69.98
31 दिन से 2 माह तक	6846.20	1360.19	344.57	0.00	14.53	69.94
2 माह से 3 माह तक	6258.80	635.15	115.98	0.00	21.61	82.14
3 माह से अधिक व 6 माह तक	11149.23	2965.57	1583.00	19.00	28.37	74.46
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	30060.74	3008.52	2541.63	0.00	56.90	0.00
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	20048.64	11633.03	2272.20	139.00	222.45	119.79
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	9608.73	15055.75	4630.90	0.00	9.62	0.00
5 वर्ष से अधिक	8041.92	27476.30	21154.53	0.00	0.00	0.00
कुल	101726.17	66569.45	32981.76	1007.98*	383.69	646.18

- 5.13.1 As per RBI directions for initiating Insolvency Process-Provisioning Norms vide letter DBR No.BP:15199/ 21.04.048/2016-17 dated June 23,2017 in respect of 6 borrowal accounts covered under the provision of Insolvency and Bankruptcy Code(IBC),the Bank was required to make additional provision. Similarly, as per RBI direction vide letter DBR.No.BP.1906/21.04.048/2017-18 dated August 28,2017 in respect of 5 borrowal accounts covered under the process of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC),the Bank was required to make additional provision. Further as per RBI communication DBR.BP.8756/21.04.048/2017-18 dated April 2,2018, the provisioning requirement in respect of NCLT account has been reduced from 50% of secured portion to 40% of secured portion as on March 31,2018. The bank has however, not exercised the option of dispensation available in respect of old accounts in which provision of 50% was already held by bank upto Dec 2017 quarter. The Bank has availed the option of provisioning requirement in respect of 2 NCLT accounts admitted during the quarter ending March 2018 by providing 40% Provision in said accounts.
- 5.13.2 RBI vide circular DBR No. BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated February 12,2018 issued a revised framework for resolution of stressed assets, which supercedes the existing guidelines of SDR ,Change in ownership outside SDR(except projects under implementation) and S4A with immediate effect. However, under the revised framework, there was no account where any of these scheme had been invoked but not yet fully implemented.
- 5.13.3 RBI vide circular RBI/2017-18/129 DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 dated February 07, 2018 regarding Relief for MSME Borrowers registered under Goods and Services Tax (GST), the bank has classified the eligible accounts as standard for the purpose of classification and has accordingly made accelerated provision of 5% amounting to Rs.0.59 crore as on 31.03.2018.
- 5.13.4 In compliance of RBI directions, Bank is maintaining provisions of Rs. 36.42 Crore under Food Credit availed by State Government of Punjab.
- 5.14 In view of fraud reported during the year in certain banks in respect of one Gems and Jewellery borrower, the Bank has classified the account as Non Performing Assets and provided fully.

6 Business Ratios

Items		2017-18	2016-17
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	7.42%	8.17%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.54%	0.58%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	1.07%	1.24%
(iv)	Return on Assets	(-)0.69%	0.20%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	18.18	15.34
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	(-)0.08	0.02

7. Asset Liability Management

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2018:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings Excl. Bonds	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	861.67	1802.32	0.00	0.00	24.46	192.08
2 – 7 days	2819.51	847.95	268.43	99.98	0.25	20.43
8 – 14 days	2227.50	329.85	68.07	750.00	2.36	17.36
15 - 30 days	3803.22	1454.82	2.45	0.00	3.13	69.98
31 days to 2 months	6846.20	1360.19	344.57	0.00	14.53	69.94
Over 2 months & upto 3 months	6258.80	635.15	115.98	0.00	21.61	82.14
Over 3 months & up to 6 months	11149.23	2965.57	1583.00	19.00	28.37	74.46
Over 6 months & up to 1 year	30060.74	3008.52	2541.63	0.00	56.90	0.00
Over 1 year & up to 3 years	20048.64	11633.03	2272.20	139.00	222.45	119.79
Over 3 years & up to 5 years	9608.73	15055.75	4630.90	0.00	9.62	0.00
Over 5 years	8041.92	27476.30	21154.53	0.00	0.00	0.00
Total	101726.17	66569.45	32981.76	1007.98*	383.69	646.18



8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2018	31.03.2017
1)	प्रत्यक्ष जोखिम		
(क)	रिहायशी बंधक		
i.	आवासीय संपत्ति को बंधक रख ऋण देना पूर्णतया सुरक्षित है	5413.32	4660.22
ii.	प्राथमिकतो क्षेत्र के अग्रिम में समावेशन हेतु व्यक्तिगत आवासीय ऋण उपयुक्त है।	3974.94	3610.07
(ख)	व्यावसायिक अचल संपत्ति		
	व्यावसायिक अचल संपत्ति(कार्यालय इमारतों,खुदरा क्षेत्र,बहु उद्देश्य व्यावसायिक परिसर, बहु परिवार आवासीय इमारतों, बहु किरायेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक गोदाम स्थल,होटल, जमीन अधिग्रहण,विकास एवं निर्माण,इत्यादि) को बंधक रख ऋण देना पूर्णतया सुरक्षित है। विवरण में गैर कोष आधारित सीमाओं को भी लिया गया है।	2863.12	4623.82
(ग)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियां और अन्य प्रतिभूतिकृत विवरण में निवेश	शून्य	शून्य
	क. आवासीय	शून्य	शून्य
	ख. व्यावसायिक अचल संपत्ति	शून्य	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष विवरण (राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर कोष एवं गैर कोष आधारित विवरण।)	4937.98*	4549.34*
वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी		13214.42	13833.38

*एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 1521.83 करोड़ के निवेश शामिल हैं।

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारी (एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

मर्दे		31.03.2018	31.03.2017
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनितों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	335.44	90.82
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में विनियोग के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	1.20	शून्य
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहाँ अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	शून्य	शून्य
4.	अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात जहाँ पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण-पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां	6.89	7.28
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु निधि एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण-पत्रों या अन्य प्रतिभूतियाँ या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण-पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सौदों हेतु स्टॉक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	6.95	7.88
पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी		348.28	105.98

8. Exposures :

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rupees in crore)

Category		31.03.2018	31.03.2017
1)	Direct Exposure		
(a)	Residential Mortgages		
i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	5413.32	4660.22
ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	3974.94	3610.07
(b)	Commercial Real Estate		
	Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	2863.12	4623.82
(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	Nil	NIL
a.	Residential	Nil	NIL
b.	Commercial Real Estate	Nil	NIL
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	4937.98*	4549.34*
Total Exposure to Real Estate Sector		13214.42	13833.38

* includes Rs.1521.83 crore (Previous year Rs.529.81 crores) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

Items		31.03.2018	31.03.2017
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	334.24	90.82
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	1.20	NIL
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	NIL	NIL
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	NIL	NIL
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	6.89	7.28
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	NIL	NIL
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	6.95	7.88
Total Exposure to Capital Market		349.28	105.98

8.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित है, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा अतिक्रमण की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी/समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा का निम्न मामलों के अतिरिक्त, जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, अतिक्रमण नहीं किया है:

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम(%)	31.03.2018 को ऋण सीमा/ देयताएं	ऋण जोखिम (%)
1.	कर्नाटका पावर कॉर्पो.लिमिटेड	916.55	11.84	916.55	11.84
2.	कलेश्वरम् इरिगेशन प्रोजेक्ट कॉर्पो.लिमिटेड	1500.00	19.38	690.26	8.92
3.	मैसर्स आन्ध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाय कॉर्पो. लिमिटेड	1500.00	19.38	1490.45	19.26
4.	तेलंगाना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाय कॉर्पो. लिमिटेड	1481.40	19.14	395.88	5.12
5.	हरियाणा स्टेट अरबन डेवलपमेंट आथोरिटी	950.00	12.27	शून्य	--

8.5 अमूर्त संपादित प्रतिभूतियों पर प्रतिभूति रहित अग्रिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसेस आदि पर ऋण भार	96.75	224.31
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसेस पर ऋण भार	149.19	128.50

8.6 अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी)

भा.रि. बैंक द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रु. 3030.54 करोड़ का जोखिम बांटने के आधार पर अधिकतम 180 दिन के लिए अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) जारी किया गया है जिसके कारण कुछ सीमा तक दिनांक 31.03.2018 को बैंक के कुल अग्रिम उस सीमा तक कम हो गए हैं।

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्ड का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2017-18	2016-17
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियाँ	शून्य	शून्य

9.2 बैंकायोरेंस व्यवसाय के संबंध प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2017-18	2016-17
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	1.60	0.98
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
ग. एपीवाई पर कमीशन	0.69	0.12

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

10.1 एएस-5 अवधि के लिए निवल लाभ-हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

10.1.1 लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एएस-5 में बताया जाना हो, सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2017-18, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board:

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on 31.03.2018	Limit / Liability as on 31.03.18	Exposure (%) (of capital fund of Rs.7739.36Cr.)
1.	Karnataka Power Corp. Limited	916.55	11.84	916.55	11.84
2.	Kaleshwaram Irrigation Project Corp.Ltd	1500.00	19.38	690.26	8.92
3	M/s Andhra Pradesh State Civil Supplies Corp Ltd.	1500.00	19.38	1490.45	19.26
4	Telangana Drinking water supply Corp.Ltd	1481.40	19.14	395.88	5.12
5	Haryana State Urban Development authority	950.00	12.27	Nil	--

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	96.75	224.31
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	149.19	128.50

8.6 Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC)

In terms of RBI Guidelines DBOD No. BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank-Participation Certificate (IBPC) of Rs. 2000 crore has been issued on 18.02.2018 on risk sharing basis for maximum period of 180 days.

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rs. in crore)

	2017-18	2016-17
A. Penalty imposed by RBI on Bank	Nil	NIL
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	NIL

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. In crore)

	2017-18	2016-17
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	1.60	0.98
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	Nil	NIL
C. Commission on APY	0.69	0.12

10 Disclosure as per Accounting Standard (AS)

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 एएस -6 मूल्यह्रास लेखांकन

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों के लिए कुल मूल्यह्रास का ब्रेक-अप

(रु. करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी	2017-18	2016-17
परिसर	31.95	36.60
अन्य स्थायी आस्तियाँ	32.15	34.69
कुल	64.10	71.29

10.2.1 संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर लेखांकन मानक -10 (संशोधित 2016), 1 अप्रैल 2017 से लागू, के अनुसार निश्चित परिसंपत्तियों के संशोधित हिस्से पर, लाभ और हानि खातों के क्रेडिट करने जिससे 26.26 करोड़ तक की लाभ में कमी के बजाए, चालू वर्ष के दौरान 26.26 करोड़ रुपये का मूल्यह्रास पुनर्मुल्यांकित रिजर्व से राजस्व रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

10.2.2 दिनांक 31.03.2018 तक क्रियान्वयन/विनिर्माण के अंतर्गत की पूंजी प्रतिबद्धताएं रु. 76.70 करोड़ हैं।

10.3 एएस-9 राजस्व मान्यता

10.3.1 आय की कुछ मदों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची-17 की मद संख्या 8 (राजस्व मान्यता) में प्रकट मदों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उक्त आय को ठोस न माना जाए।

10.4 एएस 15 - कर्मचारी लाभ

10.4.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एएस-15) के आधार पर किया गया है।

आरबीआई ने अपने पत्र डीबीआर सं.बी पी.बी सी. 9730/21.4.018/2017-18 दिनांक अप्रैल 27,2018 के माध्यम से बैंको को यह विकल्प दिया है कि वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम,1972 के तहत दिनांक 29.03.2018 से 10 लाख से 20 लाख तक बढ़े ग्रेच्युटी सीमा पर, तिमाही मार्च 31,2018 की समाप्ति से शुरू चार तिमाहियों पर अतिरिक्त देयता का प्रसार कर सकते हैं। बैंको ने इस विकल्प का प्रयोग किया है और तिमाही के दौरान 18.00 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और आने वाले वित्तीय वर्ष की आगामी तीन तिमाहियों के लिए 54 करोड़ रुपये आस्थगित किए हैं।

10.4.2 लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

10.4.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	3041.10	2727.92	230.25	232.58	105.87	117.40
ब्याज लागत	216.52	193.79	15.82	14.96	6.93	7.31
विगत सेवा लागत			80.34			
वर्तमान सेवा लागत	99.74	219.31	15.09	12.14	11.55	3.31
प्रदत्त लाभ	(300.73)	(288.06)	(50.09)	(66.12)	(31.89)	(39.66)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि/(लाभ)	144.24	188.14	74.92	36.69	46.97	17.49
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	3200.85	3041.10	298.90	230.25	139.43	105.87

10.1.2 AS-6 Depreciation Accounting

Break-up of total depreciation for each class of assets

(Rs. In crore)

Class of Assets	2017-18	2016-17
Premises	31.95	36.60
Other Fixed Assets	32.15	34.69
Total	64.10	71.29

10.2 Pursuant to Accounting Standard – 10, (revised 2016) on Property Plant & Equipment, applicable from 1st April 2017, depreciation of Rs.26.26 crore for the year on revalued portion of fixed assets has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve during the current year instead of crediting to Profit and Loss Account resulting decrease in profit by Rs.26.26 crore.

10.3 AS-9 Revenue Recognition

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – “Revenue Recognition” of Schedule 17 – Significant Accounting Policies. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 AS 15 - Employees Benefit

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI.

RBI vide its letter DBR No. BP.BC. 9730/21.4.018/2017-18 dated April 27,2018 has given the option to Banks to spread additional liability on account of the enhancement of gratuity limits from Rs. 10 Lakh to Rs. 20 Lakh from 29.03.2018 under the Payment of Gratuity Act,1972,over four quarters beginning with the quarter ended March 31,2018.The Bank has exercised the option and charged Rs. 18.00 crore during the quarter ended March 31,2018 and deferred Rs. 54.00 crore to subsequent three quarter of the ensuing financial year.

10.4.2 The summarized position of post employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

10.4.3 Changes in the Present value of the Obligation

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	3041.10	2727.92	230.25	232.58	105.87	117.40
Interest cost	216.52	193.79	15.82	14.96	6.93	7.31
Past Service Cost			80.34			
Current service cost	99.74	219.31	15.09	12.14	11.55	3.31
Benefits paid	(300.73)	(288.06)	(50.09)	(66.12)	(31.89)	(39.66)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	144.24	188.14	74.92	36.69	46.97	17.49
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	3200.85	3041.10	298.90	230.25	139.43	105.87

10.4.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	2981.00	2580.72	208.64	197.83	104.86	116.97
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	244.74	220.65	16.59	17.11	10.35	10.53
नियोक्ता अंशदान	263.81	345.42	49.79	58.07	21.13	16.25
घटाएं प्रदत्त लाभ	(300.73)	(288.06)	(50.09)	(66.12)	(31.89)	(39.66)
बीमांकिक (हानि) / लाभ	(35.6)	122.27	(0.15)	1.75	(0.65)	0.77
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	3153.22	2981.00	224.78	208.64	103.80	104.86
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	209.14	342.92	16.44	18.86	9.70	11.30

10.4.5 शुद्ध बीमांकिक हानि / (लाभ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
मूल्यांकिक हानि / (लाभ) दायित्व (ए)	144.24	188.14	74.92	36.69	46.97	17.49
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	35.6	(122.27)	0.15	(1.75)	(0.65)	(0.77)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	179.84	65.87	75.07	34.94	46.32	16.72
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि / (लाभ)	179.84	65.87	75.07	34.94	46.32	16.72
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4.6 तुलन-पत्र में पहचानी गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	3200.85	3041.10	298.90	230.25	139.43	105.87
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	3153.22	2981.00	224.78	208.64	103.80	104.86
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति / देयता	(47.63)	(60.10)	(74.12)	(21.61)	(35.63)	(1.01)
किए गए उच्च प्रावधान	(30.00)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	--		54.00			
अमान्य परिवर्ती देयता	--					
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति / देयता	(77.63)	(60.10)	(20.12)	21.61	(35.63)	(1.01)

10.4.4 Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Fair value of Plan Assets as at 1st April	2981.00	2580.72	208.64	197.83	104.86	116.97
Expected return of Plan Assets	244.74	220.65	16.59	17.11	10.35	10.53
Contributions	263.81	345.42	49.79	58.07	21.13	16.25
Benefits paid	(300.73)	(288.06)	(50.09)	(66.12)	(31.89)	(39.66)
Actuarial gain/(loss)	(35.6)	122.27	(0.15)	1.75	(0.65)	0.77
Fair value of Plan Assets as at 31st March	3153.22	2981.00	224.78	208.64	103.80	104.86
Actual return on Plan Assets	209.14	342.92	16.44	18.86	9.70	11.30

10.4.5 Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	144.24	188.14	74.92	36.69	46.97	17.49
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	35.6	(122.27)	0.15	(1.75)	(0.65)	(0.77)
Net Actuarial loss/(gain)	179.84	65.87	75.07	34.94	46.32	16.72
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	179.84	65.87	75.07	34.94	46.32	16.72
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

10.4.6 Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	3200.85	3041.10	298.90	230.25	139.43	105.87
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	3153.22	2981.00	224.78	208.64	103.80	104.86
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(47.63)	(60.10)	(74.12)	(21.61)	(35.63)	(1.01)
Higher Provisioning kept	(30.00)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Transitional liability recognized during the year	--		54.00			
Unrecognized transitional liability	--					
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(77.63)	(60.10)	(20.12)	21.61	(35.63)	(1.01)

10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
चालू सेवा लागत	99.74	219.31	15.09	12.14	11.55	3.31
बीती हुई सेवा लागत			80.34			
ब्याज लागत	216.52	193.79	15.82	14.96	6.93	7.31
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(244.74)	(220.65)	(16.59)	(17.11)	(10.35)	(10.53)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ)/हानि	179.84	65.87	7.63	34.94	42.72	16.72
शुद्ध (लाभ) व्यय	251.35	258.32	102.29	44.93	50.86	16.83

10.4.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियां	60.10	147.20	21.61	34.75	1.01	(0.43)
शुद्ध लाभ व्यय	251.35	258.32	102.29	44.93	55.75	16.83
घटाएं – दिया गया अंश	263.81	345.42	49.79	58.07	21.13	16.25
अन्तिम देयता/आस्तियां	47.64	60.10	74.11	21.61	35.63	1.01
जोड़ें – किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्तिम देयता/आस्तियां	47.64	60.10	74.11	21.61	35.63	1.01

10.4.9 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	13.29	14.84	1.44	1.56	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	31.60	33.94	---	--	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बांड्स	30.55	35.22	26.59	28.61	शून्य	शून्य
अन्य निवेश	24.57	16.00	71.98	69.83	100	100

10.4.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
बड़ा दर	7.49	7.50	7.71	7.50	7.71	7.50
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	8.21	8.55	7.95	8.65	9.87	9.00
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.4.7 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Current service cost	99.74	219.31	15.09	12.14	11.55	3.31
Past Service Cost			80.34			
Interest cost	216.52	193.79	15.82	14.96	6.93	7.31
Expected return on plan assets	(244.74)	(220.65)	(16.59)	(17.11)	(10.35)	(10.53)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	179.84	65.87	7.63	34.94	42.72	16.72
Net (benefit)/ expense	251.35	258.32	102.29	44.93	50.86	16.83

10.4.8 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Opening net Liability/(Asset)	60.10	147.20	21.61	34.75	1.01	(0.43)
Net benefit expense	251.35	258.32	102.29	44.93	55.75	16.83
Less: Contribution paid	263.81	345.42	49.79	58.07	21.13	16.25
Closing liability/(Asset)	47.64	60.10	74.11	21.61	35.63	1.01
Add: Higher Provisioning Kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Closing liability/(Asset)	47.64	60.10	74.11	21.61	35.63	1.01

10.4.9 Investment percentage maintained by the trust

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Central Government Securities	13.29	14.84	1.44	1.56	Nil	Nil
State Government Securities	31.60	33.94	---	--	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	30.55	35.22	26.59	28.61	Nil	Nil
Other investments	24.57	16.00	71.98	69.83	100	100

10.4.10 Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Discount rate	7.49	7.50	7.71	7.50	7.71	7.50
Expected rate of return on plan assets	8.21	8.55	7.95	8.65	9.87	9.00
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.4.11 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बढ़ा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बढ़ा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों जैसे श्रमिक बाजार में मांग तथा आपूर्ति पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.4.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(रु. करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण*		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ*		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
देयता का वर्तमान मूल्य	6.949	6.90	1.01	1.07	0.616	0.61	1.40	1.70
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
किए गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	0.09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	6.949	6.90	1.01	1.07	0.616	0.61	1.40	1.70

* जैसा कि प्रबंधन ने आकलन किया।

10.4.13 नवंबर, 2017 से प्रभावी मजदूरी संशोधन के कारण उत्पन्न होने वाली देयता को पूरी करने के लिए रु.500 करोड़ के एक अस्थाई प्रावधान का सृजन किया गया है। अपेक्षित जानकारी के अभाव में, देयता का पता नहीं लगाया जा सका और अस्थायी रूप से प्रदान किया गया।

10.5 लेखामानक - 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

(रु. लाखों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1. खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	271036	251756
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	385956	411907
ग. फुटकर बैंकिंग	195774	211324
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	229	110
कुल	852995	875097
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	76800	63110
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	57976	64874

10.4.11 Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.4.12 Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Present Value of Obligation	6.949	6.90	1.01	1.07	0.616	0.61	1.40	1.70
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	6.949	6.90	1.01	1.07	0.616	0.61	1.40	1.70

* As assessed by the management

10.4.13 An ad-hoc provision of Rs. 50.00 crore has been made to meet the likely liability arising on account of Wage Revision effective from November 2017. In absence of requisite information, liability could not be ascertained and has been provisionally provided for.

10.5 AS 17 – Segment Reporting

Part A : Business Segment :

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Year ended 31.03.18 (Audited)	Year ended 31.03.17 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	271036	251756
b) Corporate/ Wholesale Banking	385956	411907
c) Retail Banking	195774	211324
d) Other Banking Operations	229	110
Total	852995	875097
2. Segment Result		
a) Treasury	76800	63110
b) Corporate/ Wholesale Banking	57976	64874

ग. फुटकर बैंकिंग	29408	33283
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	229	110
कुल	164413	161377
3. गैर-आबंटित व्यय	49942	37189
4. परिचालन लाभ	114471	124188
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	173955	99141
6. आयकर	14896	4939
7. विशेष लाभ/हानि	0	0
8. शुद्ध लाभ	-74380	20108
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोष	3360208	2837592
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	5264059	4473607
ग. फुटकर बैंकिंग	2670168	2295139
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	81489	58006
कुल आस्तियां	11375924	9664344
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	3198598	2671952
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	5010883	4212468
ग. फुटकर बैंकिंग	2541746	2161164
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	6429	4513
कुल आस्तियां	10757656	9050097

नोट: मानक ए.एस-17 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि क. राजकोष परिचालन ख. कारपोरेट/थोक बैंकिंग ग. फुटकर बैंकिंग घ. अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

कार्पोरेट/थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो, उनका आबंटन यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक खंड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.6 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्ले प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

(1)	श्री जतिंदरबीर सिंह	दिनांक 04.02.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त
(2)	श्री मुकेश कुमार जैन	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक और दिनांक 14.07.2017 को कार्यमुक्त
(3)	श्री अरविन्द कुमार जैन	दिनांक 15.12.2015 से कार्यकारी निदेशक और दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो गए।
(4)	श्री फरीद अहमद	दिनांक 17.02.2017 से कार्यकारी निदेशक
(5)	श्री गोविंद एन डोंग्रे	दिनांक 10.10.2017 से कार्यकारी निदेशक

c) Retail Banking	29408	33283
d) Other Banking Operations	229	110
Total	164413	161377
3. Unallocated Expenses	49942	37189
4. Operating Profit	114471	124188
5. Provisions & Contingencies	173955	99141
6. Income Tax	14896	4939
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0
8. Net Profit	-74380	20108
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	3360208	2837592
b) Corporate/ Wholesale Banking	5264059	4473607
c) Retail Banking	2670168	2295139
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	81489	58006
Total Assets	11375924	9664344
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	3198598	2671952
b) Corporate/ Wholesale Banking	5010883	4212468
c) Retail Banking	2541746	2161164
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	6429	4513
Total Liabilities	10757656	9050097

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.6 AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

(i)	Mr. Jatinderbir Singh	Chairman and Managing Director w.e.f. 04.02.2014 & retired on 31.12.2017
(ii)	Mr. Mukesh Kumar Jain	Executive Director w.e.f. 05.08.2013 & relieved on 14.07.2017
(iii)	Mr. Arvind Kumar Jain	Executive Director w.e.f. 15.12.2015 & retired on 31.01.2017
(iv)	Mr. Fareed Ahmed	Executive Director w.e.f. 17.02.2017
(v)	Mr. Govind N. Dongre	Executive Director w.e.f. 10.10.2017

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

रु. लाखों में

नाम एवं पदनाम	2017-18	2016-17
श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	21.33	28.02
श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	6.91	23.61
श्री अरविन्द कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	0.03	19.33
श्री फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक	22.44	2.57
श्री गोविंद एन डोंग्रे, कार्यकारी निदेशक	10.60	शून्य

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

विवरण	दिनांक 31.03.2018	दिनांक 31.03.2017
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम - सतलुज ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

एस-18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन करने से छूट देता है। अतः सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन नहीं किया गया है।

10.7 प्रति शेयर आय (एस-20)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	-743.80	201.08
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	40.22	40.04
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रु.)	-18.49	5.02
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

10.8 लेखा मानक 21- समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.9 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

10.9.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।

10.9.2 आस्थगित कर अस्तियों/ देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विषय	आस्थगित कर अस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1. स्थायी अस्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य	3.11	0.23
2. संशोधित मजदूरी का प्रावधान	17.30	शून्य	शून्य	शून्य
3. धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	शून्य	शून्य	60.39	51.75
4. निवेशों हेतु एनपीए पर प्रावधान	18.42	8.45	-	शून्य
5. गंदे तथा संदेहजनक ऋणों हेतु प्रावधान (एनपीए)	615.86	250.31	-	शून्य
6. पुनःसंरचित मानक अस्तियों के अंकित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	5.25	15.79	-	
कुल	656.83	274.55	63.50	51.98

10.9.3 बैंक द्वारा आयोजित आयकर और आस्थगित कर के प्रावधान को कानूनी विशेषज्ञों और अनुकूल न्यायिक घोषणाओं की राय को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।

a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rs. in lacs)

Name and Designation	2017-18	2016-17
Mr. Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director	21.33	28.02
Mr. Mukesh Kumar Jain, Executive Director	6.91	23.61
Mr. Arvind Kumar Jain Executive Director	0.03	19.33
Mr. Fareed Ahmed	22.44	2.57
Mr. Govind N. Dongre	10.60	NIL

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
Loans outstanding	NIL	NIL

c) Name of Related Party: Satluj Gramin Bank (An Associate)

Para 9 of AS 18 - Related Party Disclosures exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled. Hence, the transactions with the associated bank have not been disclosed.

10.7 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Net Profit After tax available for equity Shareholders	-743.80	201.08
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	40.22	40.04
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	-18.49	5.02
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in crore)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil	3.11	0.23
2	Provision for wage revision	17.30	Nil	Nil	Nil
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	Nil	Nil	60.39	51.75
4	Provision for NPA on Investments	18.42	8.45	-	Nil
5	Provision for Bad & Doubtful Debts (NPAs)	615.86	250.31	-	Nil
6	Provision for diminution in FV of Restructured Standard Assets	5.25	15.79	-	
Total		656.83	274.55	63.50	51.98

10.9.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.



- 10.9.4 अपील प्राधिकारियों/न्यायिक मत तथा कर विशेषज्ञों की निर्णायक निर्णय प्रणाली की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रु. 84.86 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 84.86 करोड़) की मांग के प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।
- 10.9.5 भविष्य में कर योग्य आय की उपलब्धता की उचित निश्चितता पर बैंक द्वारा समीक्षा की गई, जिस पर बुरा और संदिग्ध ऋण के प्रावधान, ऋण परिसंपत्तियों के प्रदर्शन के लिए नियामक प्रावधान के कारण उत्पन्न होने वाले समय के अंतर, जिसे वर्ष 2017-18 के दौरान महसूस किया जा सकता है और तदनुसार, बैंक ने उपर्युक्त समय अंतर पर 365.55 करोड़ की स्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है।
- 10.9.6 अब तक, निर्धारण वर्ष 2017-18 तक, बैंक ने गैर-बैंकिंग अग्रिम को , आयकर अधिनियम ,1961 के 36(1)(vii) के अंतर्गत असमाप्त बकाया प्रावधान के साथ बिना समायोजित किए, बड़े खाते में डालने के संबंध में आयकर अधिनियम ,1961 के 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की मांग की है। हालांकि, बैंक ने मूल्यांकन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए रिटर्न में संशोधन करना पसंद किया है और मूल्यांकन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए बैंक के साथ उपलब्ध 297.43 करोड़ रुपये के एम.ए.टी क्रेडिट का उपयोग एवं 47.40 करोड़ के अतिरिक्त कर का भुगतान करके 55.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर प्रदान किया है।
- 10.10 लेखा मानक 23— समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन बैंक के पास किसी प्रकार की अनुषंगी नहीं है। अतः एएस 23 लागू नहीं है।
- 10.11 लेखा मानक 26— अमूर्त आस्तियां
बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यक हिस्सा है, जैसे कि प्रतिदान आदि तथा लाभ-हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।
- 10.12 लेखा मानक 28— आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन
लेखा मानक 28— में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियां " माना गया है न कि "नकदी निर्मित इकाइयां"। प्रबंधन की राय के अनुसार 31.03.2018 तक आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 की शर्तों के अनुसार समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।
- 10.13 लेखा मानक 29 — प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
- 10.13.1 लेखा मानक — 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है:
- (क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटित होना या न होना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और
- (ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि
- * यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके
या
- * देयता राशि का सटीक अनुमान आंका नहीं जा सका है।
- ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।
- वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं संबंधी प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिरक्षीकृति नहीं दी है, के विरुद्ध दावा	27.22	26.42	2.92	0.80	3.70	0.00	26.44	27.22
इन्वोक्ड बैंक गारंटी	1.53	0.06	5.30	1.47	0	0	6.83	1.53
हस्तांतरित साख-पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- 10.9.4 Review made by the bank on reasonable certainty of availability of future taxable income on which timing differences arising on account of provision for bad and doubtful debt, Regulatory provision for performing loan assets, that can be realized and accordingly during the year 2017-18, the Bank has recognized deferred Tax Asset of Rs.365.55 Crore on the above timing differences.
- 10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income and Interest Tax aggregating to Rs.84.86 crore (Previous year Rs.84.86 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.
- 10.9.6 Hitherto, till the assessment year 2017-18, the bank had been claiming deduction under section 36(1)(vii) of the Income Tax Act, 1961 in respect of write off of non-rural advances without adjusting the same with the unexhausted provision outstanding under section 36(1)(viia) of the Income Tax Act, 1961. However, the bank has preferred to revise the returns for the assessment years 2016-17 and 2017-18 and has accordingly provided additional tax liability.

10.10 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

10.11 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2018, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.13 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.13.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	27.22	26.42	2.92	0.80	3.70	0.00	26.44	27.22
Invoked Bank Guarantees	1.53	0.06	5.30	1.47	0	0	6.83	1.53
L.C Devolved		NIL		NIL		NIL		NIL

10.13.3 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

लाभ-हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2017-18	2016-17
गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	1722.43	1106.33
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	-88.65	-90.38
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	-30.46	-48.81
गैर-निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	28.80	0.34
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	90.37	19.38
अन्य प्रावधान	17.06	4.54
कर-निधारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	277.11	274.59
आस्थगित कर	-370.76	-423.33
न्यूनतम वैकल्पिक कर साख पात्रता-वर्तमान वर्ष	-138.08	203.96
न्यूनतम वैकल्पिक कर साख पात्रता संशोधित	297.43	0.00
अन्य	83.26	-5.83
कुल	1888.51	1040.79

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

	2017-18	2016-17
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

कुल रु. शून्य (01.01.2018 से 31.03.2018) और शून्य राशि दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही की पिछली तिमाहियों में पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

	2017-18	2016-17
क) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	86	102
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	5837	4437
ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	5877	4453
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	46	86

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले

	2017-18	2016-17
क) वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1
ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	शून्य	शून्य
ग) वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
घ) वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	1

10.14 There are capital commitments to tune of Rs.76.70 crore as on 31.03.2018 for projects under execution/construction.

10.15 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

11.1. **Additional disclosures:** (Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2017-18	2016-17
Provision for Non Performing Advances	1722.43	1106.33
Provision for Standard Assets	-88.65	-90.38
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	-30.46	-48.81
Provision for Non Performing Investments	28.80	0.34
Provision for Depreciation in the value of Investments	90.37	19.38
Other Provisions	17.06	4.54
Provision for Taxation:		
Current Tax	277.11	274.59
Deferred Tax	-370.76	-423.33
MAT Credit Entitlement—Current Year	-138.08	203.96
MAT Credit Entitlement Reversed	297.43	0.00
Previous Year Tax Expenses	83.26	-5.83
Total	1888.51	1040.79

11.2 **Movement of Floating Provisions** (Rupees. in crore)

	2017-18	2016-17
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 **Draw down from Reserve**

A sum of Rs. NIL lacs (previous year Rs. NIL lacs) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 **Customer's Complaints:**

		2017-18	2016-17
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	86	102
b)	No. of Complaints received during the year	5837	4437
c)	No. of Complaints redressed during the year	5877	4453
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	46	86

11.5 **Awards Passed by the Banking Ombudsman:**

		2017-18	2016-17
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	1
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil	Nil
c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	Nil
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	1	1



11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2018	31.03.2017
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	26608.29	21078.67
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	26.16%	24.64%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2018	31.03.2017
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	18200.94	12051.53
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	26.10%	20.00%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2018	31.03.2017
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	18122.64	13843.14
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	20.19%	16.87%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ों में)

	31.03.2018	31.03.2017
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	1246.08	1192.88

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	31.03.2018			31.03.2017		
		बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	कुल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए. का प्रतिशत
क.	प्राथमिकता क्षेत्र						
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	10062.07	817.31	8.12%	9120.67	612.26	6.71%
2.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	3407.72	830.42	24.37%	3168.13	741.65	23.41%
3.	सेवा क्षेत्र	6244.64	841.50	13.48%	4922.68	634.06	12.88%
4.	व्यक्तिगत ऋण	5412.49	374.27	6.91%	4918.96	303.97	6.18%
	उप-योग (क)	25126.92	2863.5	11.40%	22130.44	2291.94	10.36%
ख	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%
2	उद्योग	20016.08	4197.71	20.97%	17566.98	3191.41	18.17%

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2018	31.03.2017
Total Deposits of twenty largest depositors	26608.29	21078.67
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	26.16%	24.64%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. In crore)

	31.03.2018	31.03.2017
Total Advances to twenty largest borrowers	18200.94	12051.53
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	26.10%	20.00%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. In crore)

	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	18122.64	13843.14
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	20.19%	16.87%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. In crore)

	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to top four NPA Accounts	1246.08	1192.88

11.7 Sector Wise NPAs

(Rupees. In crore)

Sl. No.	Sector*	31.03.2018			31.03.2017		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	10062.07	817.31	8.12%	9120.67	612.26	6.71%
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	3407.72	830.42	24.37%	3168.13	741.65	23.41%
3	Services	6244.64	841.50	13.48%	4922.68	634.06	12.88%
4	Personal loans	5412.49	374.27	6.91%	4918.96	303.97	6.18%
	Sub-total (A)	25126.92	2863.5	11.40%	22130.44	2291.94	10.36%
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%
2	Industry	20016.08	4197.71	20.97%	17566.98	3191.41	18.17%

3	सेवा क्षेत्र	21858.91	573.50	2.62%	18214.45	678.70	3.73%
4	व्यक्तिगत ऋण	2736.88	166.93	6.10%	2351.21	135.54	5.76%
	उप-योग (ख)	44611.87	4938.14	11.07%	38132.64	4005.65	10.50%
	कुल (क+ख)	69738.79	7801.64	11.19%	60263.08	6297.59	10.45%

* बैंक उक्त प्रारूप में उस उप क्षेत्र के कुल अग्रिमों से बकाया अग्रिम 10% से अधिक हैं, का प्रकटीकरण कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि खनन क्षेत्र को बैंक का कुल बकाया उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिम से 10 प्रतिशत से अधिक है तो बैंक को उद्योग क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत खनन क्षेत्र में अलग से उक्त प्रारूप में प्रकट करना चाहिए।

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1 अप्रैल को सकल एनपीए. (अथ शेष)	6297.59	4229.05
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए.)	2591.75	2900.06
उप-योग (क)	8889.34	7129.11
घटा : i) उन्नयन	210.14	151.00
ii) वसूलियां (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	417.74	189.88
iii) बड़े खातों में डालना	451.28	490.64
iv) उक्त iii) के अतिरिक्त अन्य बड़े खातों में डाले गए	8.53	0.00
उप-योग ख,	1087.69	831.52
31 मार्च को सकल एनपीए.(इति शेष) (क-ख)	7801.65	6297.59

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकसम्मत बढ़ा खातों का प्रारंभिक शेष)	1909.63	1471.48
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बढ़ा खाते	451.28	490.64
उप-योग (क)	2360.91	1962.12
घटा : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकसम्मत बढ़ा खातों से की गई वसूली (ख)	54.57	52.49
31 मार्च को (इति शेष) (क-ख)	2306.34	1909.63

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल आस्तियाँ	151.36	193.98
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	4.45	2.22

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रु. करोड़ों में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3	Services	21858.91	573.50	2.62%	18214.45	678.70	3.73%
4	Personal loans	2736.88	166.93	6.10%	2351.21	135.54	5.76%
	Sub-total (B)	44611.87	4938.14	11.07%	38132.64	4005.65	10.50%
	Total (A+B)	69738.79	7801.64	11.19%	60263.08	6297.59	10.45%

*Banks may also disclose in the format above, sub sectors where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances to that sector. For instance, if a bank's outstanding advances to the mining industry exceed 10 percent of the outstanding total advances to 'Industry' sector it should disclose details of its outstanding advances to mining separately in the format above under the 'Industry' sector.

11.8 Movement of NPAs

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	6297.59	4229.05
Additions (Fresh NPAs) during the year	2591.75	2900.06
Sub-total (A)	8889.34	7129.11
Less: (i) Up-gradations	210.14	151.00
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	417.74	189.88
(iii) Technical/ Prudential Write-offs	451.28	490.64
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	8.53	0.00
Sub-total (B)	1087.69	831.52
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	7801.65	6297.59

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at April 1	1909.63	1471.48
Add : Technical / Prudential write-offs during the year	451.28	490.64
Sub-total (A)	2360.91	1962.12
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year (B)	54.57	52.49
Closing balance as at March 31 (A-B)	2306.34	1909.63

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Assets	151.36	193.98
Total NPAs	0	0
Total Revenue	4.45	2.22

11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
NIL	NIL	NIL	NIL

11.11 अंतर्समूह जोखिम

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
		संस्वीकृत ऋण / लिमिट राशि	शेष बकाया	संस्वीकृत ऋण / लिमिट राशि	शेष बकाया
(क)	अंतर्समूह जोखिम की कुल राशि	30.69	6.01	34.01	24.35
(ख)	शीर्ष 20 अंतर्समूहों के जोखिम की कुल राशि	30.69	6.01	34.01	24.35
(ग)	उधारियों/ ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में अंतर्समूह जोखिम का प्रतिशत	0.04%	0.01%	0.04%	0.03%
(घ)	अंतर्समूह जोखिम पर सीमा भंग का विवरण तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.12 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीइएफ) हेतु अंतरण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
डीइएफ हेतु अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	136.65	127.26
जमा : वर्ष के दौरान डीइएफ हेतु अंतरित राशि	24.46	12.40
घटा : डीइएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूर्ति की गई राशि	2.29*	3.01 *
डीइएफ को अंतरित राशि का इति शेष	158.82	136.65

* मूल धन

आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम

11.13 वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15.01.2014 संख्या डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.85 / 21.06.200 / 2013-14 की शर्तों के अनुसार बैंक ने संघटकों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु रु. 0.30 करोड़ (विगत वर्ष रु. 0.46 करोड़) की राशि उपलब्ध की है।

12. चलनिधि व्युत्पत्ति अनुपात

(रु. करोड़ों में)

समाप्त तिमाही	30.06.2017		30.09.2017		31.12.2017		31.03.2018	
	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां								
1 कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां (एचक्यूएलए)		1970617.47		1925062.58		2135785.38		1,689,264.80
नकदी प्रवाह								
2 फुटकर जमाएं तथा छोटे व्यवसायियों से जमाएं, जिनमें	5013507.52	499568.62	5049325.41	503162.61	5044547.99	502652.16	4,949,137.17	493,086.02
(i) स्थिर जमाएं	35642.69	1782.13	35398.54	1769.93	36052.71	1802.64	36,553.94	1,827.70
(ii) घटा स्थिर जमाएं	4977864.83	497786.48	5013926.88	501392.69	5008495.28	500849.53	4,912,583.22	491,258.32
3 अरक्षित थोक निधियन जिसमें	3512323.15	1640101.33	3799794.50	1712701.19	4166113.43	1970419.40	2,485,916.63	1,309,874.87
(i) परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) गैर-परिचालन जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	3512323.15	1640101.33	3799794.50	1712701.19	4166113.43	1970419.40	2,485,916.63	1,309,874.87
(iii) अरक्षित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4 संरक्षित थोक निधियन								

11.11 Intra-Group Exposures

S.No.	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Sanc Loan/ limit	Balance O/s	Sanc Loan/ limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	30.69	6.01	34.01	24.35
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	30.69	6.01	34.01	24.35
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.04%	0.01%	0.04%	0.03%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil	Nil	Nil

11.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance of amounts transferred to DEAF	136.65	127.26
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	24.46	12.40
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.29*	3.01 *
Closing balance of amounts transferred to DEAF	158.82	136.65

* Principal Amount

Un-Hedged Foreign Currency Exposure

11.13 During the year, in terms of RBI Circular No. DBOD.No. BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dt. 15.01.2014, the Bank has provided an amount of Rs.0.30 cr. (Previous Year Rs.0.46 cr.) towards Unhedged Foreign currency Exposure Based on the details furnished by the constituents.

12. Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Lakhs)

		30.06.2017		30.09.2017		31.12.2017		31.03.2018	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		1970617.47		1925062.58		2135785.38		1,689,264.80
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	5013507.52	499568.62	5049325.41	503162.61	5044547.99	502652.16	4,949,137.17	493,086.02
(i)	Stable Deposits	35642.69	1782.13	35398.54	1769.93	36052.71	1802.64	36,553.94	1,827.70
(ii)	Less stable deposits	4977864.83	497786.48	5013926.88	501392.69	5008495.28	500849.53	4,912,583.22	491,258.32
3	Unsecured wholesale funding of which	3512323.15	1640101.33	3799794.50	1712701.19	4166113.43	1970419.40	2,485,916.63	1,309,874.87
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	3512323.15	1640101.33	3799794.50	1712701.19	4166113.43	1970419.40	2,485,916.63	1,309,874.87
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Secured wholesale funding								

5	अतिरिक्त अनिवार्यताएं, जिसमें	643627.93	76448.06	2002282.91	187742.22	236456.54	32454.94	187,320.80	18,848.07
(i)	व्युत्पन्न जोखिमों से संबद्ध बहिर्गमन तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चल निधि सुविधाएं	643627.93	76448.06	2002282.91	187742.22	236456.54	32454.94	187,320.80	18,848.07
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	507063.47	15214.46	459350.75	13783.07	1020015.22	40595.91	1,086,169.65	43,297.38
8	कुल नकदी प्रवाह	0.00	2231332.46	0.00	2417389.09	0.00	2546122.41		1,865,106.34
नकदी अंतः प्रवाह									
9	प्रतिभूत ऋण (यथा रिवर्स रेपो)	316366.67	4166.67	110500.00	23333.33	191700.00	58333.33	129887.28	29819.55
10	पूर्ण अर्जक जोखिमों से अंतःप्रवाह	170629.17	97769.37	220288.16	173451.21	121588.62	76543.29	261063.28	193088.25
11	अन्य नकदी अंतःप्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	कुल अंतः नकदी प्रवाह	486995.84	101936.04	330788.16	196784.55	313288.62	134876.62	390950.56	222907.79
13	कुल एच.क्यू.एल.ए.	0.00	1970617.47	0.00	1925062.58	0.00	2135785.38		1,689,264.80
14	कुल शुद्ध नकदी बाढ़ प्रवाह	0.00	2129396.42	0.00	2220604.55	0.00	2411245.79		1,642,198.55
15	चलनिधि व्यापि अनुपात (%)	0.00	92.54	0.00	86.69	0.00	88.58		102.87%

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की शर्तों के अनुसार प्रकटीकरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रेय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2017-18		2016-17	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1.	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) जो किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर सं. बी पी.बी सी 1/21.06.201/2015-16 जुलाई 1,2015 के अनुसार बैंको को बेसल III पूंजी विनियमन के अंतर्गत स्तंभ 3 का प्रकटन करना होगा। इन विवरणों को हमारे वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रकटन लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखा परीक्षा के दायरे में नहीं आता है।

15. जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद है।

5	Additional requirements, of which	643627.93	76448.06	2002282.91	187742.22	236456.54	32454.94	187,320.80	18,848.07
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	643627.93	76448.06	2002282.91	187742.22	236456.54	32454.94	187,320.80	18,848.07
6	Other contractual funding obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Other contingent funding obligations	507063.47	15214.46	459350.75	13783.07	1020015.22	40595.91	1,086,169.65	43,297.38
8	Total Cash Outflows	0.00	2231332.46	0.00	2417389.09	0.00	2546122.41		1,865,106.34
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	316366.67	4166.67	110500.00	23333.33	191700.00	58333.33	129887.28	29819.55
10	Inflows from fully performing exposures	170629.17	97769.37	220288.16	173451.21	121588.62	76543.29	261063.28	193088.25
11	Other Cash Inflows	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Total Cash Inflows	486995.84	101936.04	330788.16	196784.55	313288.62	134876.62	390950.56	222907.79
13	TOTAL HQLA	0.00	1970617.47	0.00	1925062.58	0.00	2135785.38		1,689,264.80
14	Total Net Cash Outflows	0.00	2129396.42	0.00	2220604.55	0.00	2411245.79		1,642,198.55
15	Liquidity Coverage Ratio(%)	0.00	92.54	0.00	86.69	0.00	88.58		102.87%

13. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	2017-18		2016-17	
		Principal Amount	Interest	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier.	NIL	NIL	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	NIL	NIL	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise , for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL	NIL	NIL

14. In term of RBI circular DBR NO.BP.BC1/21.06.201/2015-15 July 1,2015, banks are required to make pillar 3 disclosures under BASEL III capital regulations. These details are being made available on our website www.psbindia.com. These disclosures have not been subjected to audit by the auditors.

15. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.



31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000छोड़कर)

विवरण	2017-18	2016-17
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	-7437977	2010842
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	17981364	10214166
मूल्यहास स्थावर आस्तियां	641058	424594
मूल्यहास निवेश	903749	193770
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1119	1860
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	2530157	1341047
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	14619470	14186279
समायोजन हेतु		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	161860051	-57098026
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-2754528	-2305759
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	2451523	-4338916
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-51524261	-3231836
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-99354126	45238931
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-12273258	-768386
प्रत्यक्ष कर भुगतान (कूल रिफंड)	-2391816	3365490
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क)	10633055	-4952223
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-512756	-332814
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-1119	-1860
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-513875	-334674
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकद में इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम	1645013	0
प्राप्त शेयर प्रीमियम	6204987	0
सार्वजनिक निर्गम व्यय	-9862	0
अतिरिक्त टियर-I बांड का निर्गम	10000000	0
गौण बांड को जारी करना	0	5000000
गौण बांड का मोचन	0	-1500000
गौण बांडों पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-2530157	-1341047
इक्विटी पर लाभांश	0	0
लाभांश आबंटन कर	0	0
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	15309981	2158953
परिचालन गतिविधियों से नकदी	10633055	-4952223
निवेश गतिविधियों से नकदी	-513875	-334674
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	15309981	2158953
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि .	25429161	-3127944
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	45897765	49025709
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	71326926	45897765

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2018

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2017-18	2016-17
(A)Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	-7437977	2010842
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	17981364	10214166
Depreciation on Fixed Assets	641058	424594
Depreciation on Investments	903749	193770
Profit on sale of Assets	1119	1860
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	2530157	1341047
Operating Profit before working capital changes	14619470	14186279
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	161860051	-57098026
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2754528	-2305759
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	2451523	-4338916
(Increase) / Decrease in Investments	-51524261	-3231836
(Increase)/ Decrease in Advances	-99354126	45238931
(Increase) / Decrease in Other Assets	-12273258	-768386
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-2391816	3365490
Cash Flow from Operating Activities (A)	10633055	-4952223
(B)Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets (Net)	-512756	-332814
Profit on sale of Assets	-1119	-1860
Cash Flow from Investing Activities (B)	-513875	-334674
(C)Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	1645013	0
Share Premium received thereon	6204987	0
Public Issue Expenses	-9862	0
Issue of Additional Tier I Bonds	10000000	0
Issue of Subordinated Bonds	0	5000000
Redemption of Subordinated Bonds	0	-1500000
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-2530157	-1341047
Dividend on Equity	0	0
Dividend Distribution Tax	0	0
Cash Flow from Financing Activities (C)	15309981	2158953
Cash from Operating Activities	10633055	-4952223
Cash from Investing Activities	-513875	-334674
Cash from Financing Activities	15309981	2158953
Increase in Cash & Cash Equivalents	25429161	-3127944
Cash and Bank Balances (Opening)	45897765	49025709
Cash and Bank Balances (Closing)	71326926	45897765



फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

गोविन्द एन. डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

एस. सेल्वा कुमार
निदेशक

पी.के. जेना
निदेशक

सी.ए. एस.आर. घेडीया
निदेशक

अतनु सेन
निदेशक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

नेत्रानन्द सेठी
महाप्रबंधक

जयंत कुमार नायक
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

दलजीत सिंह ग्रोवर
महाप्रबंधक

ए.एस. अहूजा
उप महाप्रबंधक

चन्द्र मोहन सिंह
मुख्य प्रबंधक

कृते धवन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(दीपक कपूर)
साझेदार
एम.नं. 072302
एफआरएन 002864एन

(इंदरजीत कौर)
साझेदार
एम.नं. 500143
एफआरएन 007601एन

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)
साझेदार
एम.नं. 080500
एफआरएन 000075एन

(बलदेव गर्ग)
साझेदार
एम.नं. 092225
एफआरएन 013148एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: मई 16, 20148

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

GOVIND N DONGRE
EXECUTIVE DIRECTOR

S. SELVA KUMAR
DIRECTOR

P.K.JENA
DIRECTOR

CA SR GHEDIA
DIRECTOR

ATANU SEN
DIRECTOR

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

NETRANAND SETHI
GENERAL MANAGER

JAYANTA KUMAR NAYAK
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

DALJIT SINGH GROVER
GENERAL MANAGER

A.S.AHUJA
DY.GEN. MANAGER

C.M.SINGH
CHIEF MANAGER

For Dhawan & Co
Chartered Accountants

For Davinder Pal Singh & Co
Chartered Accountants

(Deepak Kapoor)
Partner
M. No. 072302
FRN : 002864N

(Inderjit Kaur)
Partner
M. No. 500143
FRN : 007601N

For S.Mann & Co.
Chartered Accountants

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants

(Subhash Mann)
Partner
M. No. 080500
FRN : 000075N

(Baldev Garg)
Partner
M. No. 092225
FRN : 013148N

Place: New Delhi
Dated: May 16, 2018



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक) 29.06.2018

फार्म 'बी' प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

अनुबंध "A"

मैं/हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ का/की/के हैं जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को
शुक्रवार, दिनांक 29 जून, 2018 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक में जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित
होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... माह के दिन 2018 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.

शेयरों की संख्या

कृपया रसीदी
टिकट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम व पता:

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम व पता:

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
 - व्यक्ति शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- प्रॉक्सी के साथ:**
 - अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी अधिकार की प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् रविवार 24 जून, 2018 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्य-समय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि संबंधित अटार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार की पंजीकरण संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "बी" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
- बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING}: 29.06.2018

FORM 'B' PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

Annexure-'A'

I/We.....Resident of.....in the district of
..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind
Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district of
.....in the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident
of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me/
us and on my / our behalf at the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Friday, the 29th June, 2018** at 10.00 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2018

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix
Revenue
Stamp

.....
Signature of Proxy

Name & Address:

.....

.....
Signature of the sole / first named shareholder

Name & Address:

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with :** (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Sunday, the 24th day of June, 2018 (5.00 p.m.)**.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पी.एस.बी

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय-21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

अनुबंध "B"

उपस्थिति पर्ची
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

शुक्रवार, 29 जून, 2018 प्रातः 10.00 बजे

(कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भरें एवं बैठक हॉल के पंजीकरण काउंटर पर उसे सौंप दें)

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय - 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रवेश पास
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

शुक्रवार, 29 जून, 2018 प्रातः 10.00 बजे

डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी पंजीकृत फोलियो			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट- मतदान की स्थिति में मतपत्र केवल प्रवेश पास पर जारी किया जाएगा।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

Annexure-‘B’

ATTENDANCE SLIP EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085

FRIDAY, JUNE 29, 2018, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ENTRY PASS (To be retained throughout the meeting) EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085

FRIDAY, JUNE 29, 2018, 10.00 a.m.

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

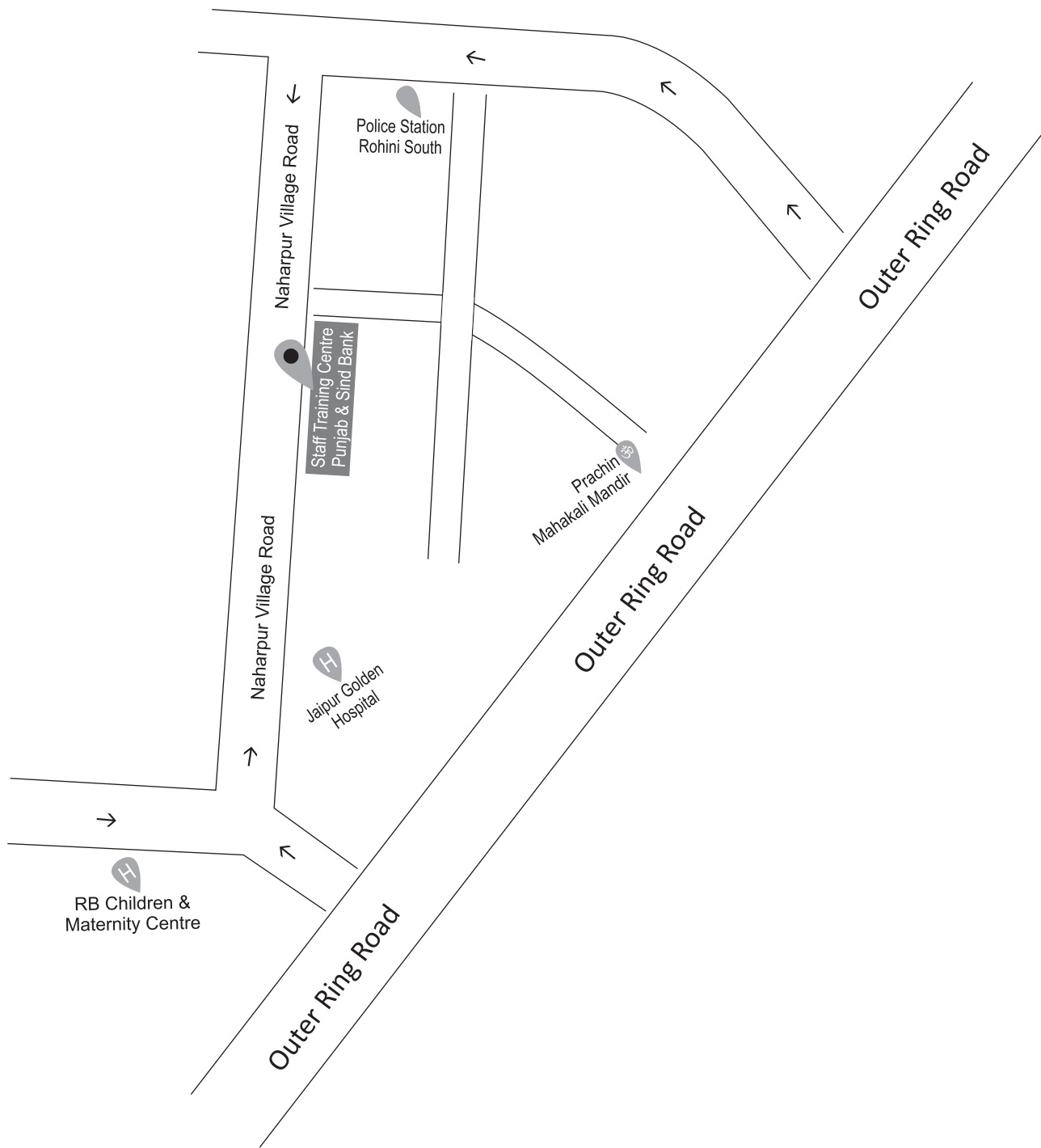
NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PUNJAB & SIND BANK

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085



मुख्य सतर्कता अधिकारी/ Chief Vigilance Officer



श्री संजय जैन (सी वी ओ)
Sh. Sanjay Jain (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers



श्री एस.सी. क्वात्रा
Sh. S.C. Kwatra



श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev



श्री जी.एस. नारंग (प्रतिनियुक्ति पर)
Sh. G.S. Narang (On Deputation)

सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने मुम्बई में आयोजित 13वें वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन-सह-सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार - 2017 समारोह में लघु बैंक श्रेणी के अंतर्गत "सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन" तथा "कृषि बैंकिंग" में एसोचैम से सर्वोत्तम बैंक के रूप में दो सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार जीते।

माननीय वित्त राज्य मंत्री, श्री शिव प्रताप शुक्ला, ने डॉ. फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक को बैंक विहीन एवं कम बैंक वाले क्षेत्रों में कृषि ऋण देने में उत्कृष्ट कार्य करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए एसोचैम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार, 2017 प्रदान किए।

Social Banking Excellence Award

Punjab & Sind Bank has won two Social Banking Excellence Awards from ASSOCHAM as Best Bank in "Agriculture Banking" and "Implementation of Government Schemes" under Small Bank category during 13th Annual Banking Summit-cum-Social Banking Excellence Awards-2017 ceremony held at Mumbai.

Shri Shiv Pratap Shukla, Hon'ble Minister of State for Finance gave "ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2017" to Dr Fareed Ahmed, Executive Director, Punjab & Sind Bank for excellent contribution towards lending to agriculture in unbanked and under banked areas and providing support to various Government Schemes.



राष्ट्रपति द्वारा सम्मान

पंजाब एण्ड सिंध बैंक को वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों' की राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बैंक की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह (आई.ए.एस.) ने यह पुरस्कार आज हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी के कर-कमलों द्वारा ग्रहण किया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंच पर माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री श्री किरन रिजजू एवं श्री हंसराज गंगाराम अहीर तथा राजभाषा सचिव श्री प्रभास कुमार झा भी उपस्थित थे।

Honored by the President of India

Punjab & Sind Bank has won Rajbhasha Award in 'A' Region under the category of Nationalized Banks and Financial Institutions for best implementation of Official Language Policy during the year 2016-17. On behalf of the Bank, Chairman and Managing Director, Shri Jatinderbir Singh (IAS), received this award on the occasion of "Hindi Divas" by the Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind. Shri Rajnath Singh, Hon'ble Home Minister, Shri Hansraj Gangaram Ahir, Shri Kiren Rijju, MoS Home Affairs and Shri Prabhas Kumar Jha, Secretary Rajbhasha also graced the occasion.

पी.एम.जे.डी.वाई. में निष्पादन हेतु SKOCH पुरस्कार

डॉ. फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने दिल्ली में आयोजित 51वें SKOCH सम्मेलन में पी.एम.जे.डी.वाई. में निष्पादन हेतु SKOCH पुरस्कार प्राप्त किया तथा उन्होंने पी.एम.जे.डी.वाई. के संबंध में बैंक का दृष्टिकोण साझा किया। बैंक के अच्छे कार्य निष्पादन करने वाले सर्वोच्च 10 बैंक मित्रों ने भी विशेष योगदान हेतु SKOCH ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किए।

SKOCH award for PMJDY performance

Dr. Fareed Ahmed ED, Punjab & Sind Bank received SKOCH Award for PMJDY performance during 51st SKOCH Summit held at Delhi & shared Banks view under PMJDY. Top 10 well performing Mitras of bank also received SKOCH Order of Merit Award for their outstanding contribution.

१९ मीं वर्गतावु नो वो इंडिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21 Rajendra Place, New Delhi-110008

वेबसाइट / Website: www.psbindia.com